राजस्थान विधान सभा का कार्य–विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का १५वां दिवस [संख्या ७

गुरुवार, दिनांक ९ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० १० बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पशु–पालन, कृषि, गृह, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, सिंचाई, वन एवं सामुदायिक विकास विभाग]

प्रश्न संख्या १

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २

श्री भैरवलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

जयपुर के डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनेरी ऑफिसर द्वारा खरीद किये गये इन्स्ट्रूमेन्ट्स

६ श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पशु–पालन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनेरी अधिकारी ने सन् १९५९–६० में इन्स्ट्रूमेन्ट्स आदि खरीदे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने कोटेशन्स मांगे थे ? यदि हां, तो किन किन फर्मों से, किस किस सामान के, किस किस दर के कोटेशन्स दिये ?

(३) किस किस फर्म से, कब कब, कितना कितना और कौन कौनसा सामान किस किस दर से खरीदा गया ?

(४) सन् १९५९–६० में इन्स्ट्रूमेन्ट्स आदि की खरीद के लिये इस जिले के लिये कितना बजट निर्धारित था और उसमें से कितने का खरीद लिया गया ?

(५) यह खरीद उक्त अधिकारी ने क्यों और किसके हुक्म से की ? यदि डाइरेक्टर की आज्ञा से खरीद की गई तो डाइरेक्टर ने यह आज्ञा किन कारणों से दी ? कृपया प्रश्नों से सम्बन्धित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

पशु–पालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां।

(२) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) १९५९–६० में जयपुर जिले के चिकित्सालयों के हेतु ४०००) रु० का प्रावधान था। इसके उपरान्त २,०००) रु० और रीएप्रोप्रिएशन के द्वारा स्वीकृत किया गया। कुल ५९७२) ४६ का सामान खरीदा गया।

(५) इस सामान का क्रय जिला पशु-पालन अधिकारी, जयपुर ने संचालक की स्वीकृति प्राप्त करके किया था। संचालक ने इस जिले के सभी पशु चिकित्सालयों के हेतु चिकित्सा सामग्री के अभाव व शल्यादि आवश्यकताओं के हेतु क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या इस क्रय के संबंध में जो बजट एलोकेशन था उससे ज्यादा क्रय किया गया ? क्रय करने से पहले क्या संचालक या सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

प्रश्न संख्या १०

Page No.3

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२

श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री नवनीतलाल, असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर, उदयपुर के विरुद्ध सरकारी रकम के दुरूपयोग की हुई शिकायत पर कार्यवाही

१३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सन् १६५६-६० में इन्टर्नल ऑडिट पार्टी ने श्री नवनीत लाल, असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर, उदयपुर के विरुद्ध सरकारी रकम के मिसएप्रोप्रियेशन की रिपोर्ट की थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इसकी ऑडिट पार्टी ने इस ही अधिकारी के विरुद्ध डबल टी० ए० क्लेम करने की भी रिपोर्ट की थी ?

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया इस ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच जारी है ।

श्री भैरोंसिंह : जांच कौन कर रहा है और कब से जारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मामला नियुक्ति विभाग में चल रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो चुकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रश्न का भाग (ख) है उसके बारे अभी में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह : और (ग) के बारे में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नियुक्ति विभाग में चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या नियुक्ति विभाग में कागजात भेजने से पहले डिपार्टमेंट में जांच की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, डिपार्टमेंट में जांच करके नियुक्ति विभाग को भेजा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जांच से मिसएप्रोप्रीयेशन का चार्ज एस्टैब्लिश हुआ है ?

Page No.4

श्री नाथूराम मिर्धा : फाइनल जांच के बाद पूछेंगे तो बता दूंगा।

प्रश्न संख्या १४

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५

श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

अजमेर स्थित आदर्श कारागृह में ललितकुमार नामक कैदी की मृत्यु

१६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित आदर्श कारागृह में माह अप्रेल में ललितकुमार नामक एक कैदी की मृत्यु हो गई? ललितकुमार जेल में कब तथा किसके द्वारा दाखिल करवाया गया था?

(ख) क्या यह है सही कि ललितकुमार अजमेर पुलिस द्वारा किसी मुकदमे की तफतीश के सिलसिले में लाया गया था? यदि हां, तो किस मुकदमे में और क्यों? ललितकुमार कहां से गिरफ्तार करके लाया गया था?

(ग) क्या यह सही है कि ललितकुमार को पुलिस द्वारा मारा-पीटा गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है?

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच हुई है? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसका क्या परिणाम रहा?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) नहीं, यह सही नहीं है। ललितकुमार बन्दी की आदर्श कारागृह, अजमेर में मृत्यु नहीं हुई। ललितकुमार नामक बन्दी बवजह बीमारी आदर्श कारागृह, अजमेर के अस्पताल में भरती था जिसको जेल डॉक्टर की सिफारिश पर वास्ते इलाज विक्टोरिया अस्पताल में भेजा गया और जेल डॉक्टर खुद एम्बुलेन्स में बन्दी के साथ विक्टोरिया अस्पताल जा रहे थे परन्तु रास्ते में ही बन्दी ललितकुमार की मृत्यु हो गई। दिनांक २५—४—६० को बाद दोपहर अजमेर जेल में सदर कोतवाली, अजमेर की पुलिस गार्ड द्वारा दाखिल कराया गया।

(ख) दिनांक १६—४—६० को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जयपुर के आदेशानुसार बन्दी ललितकुमार को सेन्ट्रल जेल जयपुर से १० दिन के वास्ते रिमान्ड पर अजमेर पुलिस द्वारा केस एफ. आई. आर. नं० ११२।६० जुर्म दफा ४५७।३८० आई. पी. सी. की तफतीश के सिलसिले में लाया गया था।

(ग) जांच विचाराधीन है।

(घ) हां, इस मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट अजमेर तथा जिलाधीश, अजमेर द्वारा की गई है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : उक्त जांच का परिणाम क्या निकला?

Page No.5

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की थी । मैंने ही इनिशियेट किया था, नोट भेजा था । उसका रिज़ल्ट भी आया, लेकिन इसमें और बातें रह गई थीं इसलिए कलेक्टर को जांच करने के लिए कहा गया था, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है जो सी. एस. के लेवल पर है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था कि पुलिसवालों ने उसको हैरेस किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत मुमकिन है कि पुलिसवालों ने हैरेस किया हो, ऐसा ख्याल है ।

श्री भैरोंसिंह : मजिस्ट्रेट कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि हैरेस हुआ हो तो क्या पुलिसवालों के खिलाफ केस रजिस्टर करके सजा देंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : केस के आते ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यहां से ले जाया गया, उस समय बीमार नहीं हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे पता नहीं है कि यहां से ले जाया गया था उस समय बीमार था या नहीं, लेकिन एन्क्वायरी का रिज़ल्ट आते ही नेसेसरी एक्शन लिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वह अजमेर ले जाया गया, बीमार हुआ और डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया उसके सम्बन्ध में सिटी मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि केस कृत्रिम था । किसी किस्म की बीमारी नहीं थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : डैथ का कॉज़ लिखा है इन्टैस्टाइनल ऑब्सैशन है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पोस्टमार्टम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बीमारी के कारण उसे ले जाया गया, बीमारी से मृत्यु हुई । बीमारी का कारण लिखा है, लेकिन जयपुर जेल से अजमेर लाया गया उस समय बीमार नहीं था और रिपोर्ट जो बीमारी की है वह कृत्रिम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है । ६ महीनों की सजा उसको जयपुर से हुई और ६ महीनों की सजा अजमेर से हुई । बीमरी की बात नहीं कही गई ।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में लाने के कितने दिन बाद में उसकी मृत्यु हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : १६ तारीख से २५ तारीख तक १० दिन का रिमाण्ड था । १५ तारीख को अजमेर में कन्विक्शन हुआ तब जेल गया और उसके ३ दिन बाद डैथ हुई ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : पोस्ट मॉर्टेम की रिपोर्ट में एण्टी मोर्टेम इन्जरी थी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेथ का रीज़न लिखा है, उससे ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि प्रोसीजर के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के

(श्री भैरोंसिंह)

अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करनी चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में कोई ऐसी बात निकलती, तो उस पर एक्शन होता । मैं कहता हूँ कि फर्दर बात ध्यान में आई, इसलिए दुबारा कराई ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल दूसरा है, सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तुरन्त एक्शन लेना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : एक्शन जैसी कोई बात कहीं हो तो लेना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मार्फत आई है और उन्होंने लिखा है कि एक्शन लेना आवश्यक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी की फाइंडिंग हैं, उसमें उन्होंने किसी को दोषी नहीं टहराया है, इसलिए एक्शन लेने की बात नहीं आती है । फाइनल रिपोर्ट आयगी उस पर एक्शन लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन्होंने लिखा है कि मौत संदिग्ध कारणों से हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं लिखा है ।

श्री भैरोंसिंह : फिर फाइंडिंग में क्या लिखा गया । आप कह रहे हैं कि मौत के बारे में स्पष्ट नहीं कहा, अस्पष्ट और संदिग्ध में क्या फर्क है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप फोलो कर लें । यह लिखा हैं कि डेथ इन्टेस्टाइनल आब्सेशन से हुई है, अब उसमें एक्शन क्या लें ? मुझे उसको पढ़ने के बाद एक-आध बात और ध्यान में आई, उसकी फर्दर इन्क्वायरी कराई है ।

श्री तनसिंह : एक्शन यह हो सकता है, कि जो इन्जरीज़ हैं, उससे यह अवश्य मालूम होता है कि पुलिस के द्वारा इन्फेक्टेड किया है । यह नहीं हो सकता कि पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन के लिए मार-पीट की जाय और वह मर जाय तो पेनल एक्शन नहीं हो सकता ।

श्री रामकिशोर व्यास : फाइनल रिपोर्ट आने पर यह कार्यवाही होगी ।

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के मामले में, जिसमें सुबूत है कि गिरफ्तारी के समय चोटें आईं और पोस्ट-मॉर्टम के समय चोटें थीं, उस स्थिति के अन्दर अधिकारियों के खिलाफ समय पर एक्शन न लिया जाय और मामला सरकार के विचाराधीन रहे, यह सरकार के सोचने की बात है । लेकिन इन सब चीजों का जनता के ऊपर असर पड़ता है । इसमें क्या दूसरी चीजें थीं, इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जाय, तो सबकी जानकारी हो सकती है । मामला इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति को पीटा गया

(श्री भैरोंसिंह)

और इतना पीटा कि वह मर गया।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट जैसा मन्त्री महोदय ने कहा विचाराधीन है, सिटी मजिस्ट्रेट से आ चुकी है, उस पर सरकार क्या एक्शन लेगी, सम्भवतः जो आप बता रहे हैं, वही एक्शन लें। लेकिन अभी वह विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : मर्डर के केस को इतने दिनों विचाराधीन रखें, तो फिर कौन से केस में जल्दी होगी?

श्री रामकिशोर व्यास : फरवरी के एण्ड में रिपोर्ट आई है....

श्री भैरोंसिंह : किसकी?

श्री रामकिशोर व्यास : फरवरी के एण्ड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई है।

श्री भैरोंसिंह ; और मृत्यु नवम्बर में हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई है वह फरवरी के लास्ट वीक में आई है और एक्शन चीफ सेक्रेटरी की स्टेज पर है।

श्री भैरोंसिंह : सिटी मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में मैं अन्तर नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि नवम्बर में मृत्यु होती है तो उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और रिपोर्ट तुरन्त आनी चाहिये। चार महीने पहले मृत्यु होती है और फरवरी में रिपोर्ट आई, उस पर आप एक्शन लेंगे। मेरा निवेदन यह है कि मर्डर केस में सरकार की इतनी ढिलाई है कि रिपोर्ट चार महीने बाद मिली। इस तरह की ढिलाई होगी तो बहुत कठिनाई आयेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत स्पष्ट बात है। जो सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट थी उसको पढ़ने के बाद में मेरे दिमाग में बात आई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा और उसकी रिपोर्ट फरवरी में आई है। Necessary action will be taken.

इसमें कहां अविश्वास की बात है, जैसा है, जो चीज़ लिखी है वह बताया, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई, उन्होंने मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की बिना पर लिखा है कि नेचुरल कॉज़ से डेथ हुई है। ऑर्डिनरीली केस खत्म हो जाता है, लेकिन मैं खुद महसूस करता हूँ कि फर्दर क्वेरी अराइज होती है, आपने भी कहा कि इन्जरीज़ कहां से आई, मेरे दिमाग में भी यही बात आई कि इन्जरीज़ कहां से आई इसलिए फर्दर इन्क्वायरी के लिए लिखा।

श्री तनसिंह : पुलिस ऑफिसर वही है या ट्रान्सफर कर दिया है?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्शन की स्टेज आ रही है?

श्री तनसिंह : इन्टेरिम एक्शन की बात है। एवीडेन्स की बिना पर ट्रान्सफर कर सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : सवाल यह नहीं है....

Page No.8

श्री भैरोंसिंह : सवाल मर्डर केस का है, कोई सिविल सूट पांच रुपये का नहीं है। एक आदमी मर गया और छः महीने का टाइम निकल रहा है और आप कहते हैं कि ट्रान्सफर नहीं कर सकते।

प्रश्न संख्या १७

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

लाडनू नगरपालिका द्वारा सड़क-निर्माण हेतु चबूतरे वगैरह की तोड़-फोड़

१८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि लाडनू नगरपालिका द्वारा सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में कई चबूतरे वगैरह तोड़ दिये गये ?

(ख) क्या यह सही है कि इन चबूतरों के तुड़वाने से पूर्व लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक बिल्डिंग लाइन निर्धारित नहीं की गई है ?

(घ) क्या सरकार सड़क बनने से पूर्व उपरोक्त कमियों को पूरा करवाने की व्यवस्था करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। कई एक रास्तों की बिल्डिंग लाइन तय कर दी गई है व अन्य की कार्यवाही चालू है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : जिन चबूतरों को अनधिकृत रूप से तुड़वा दिया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सम्पतराम : किनको ?

श्री भैरोंसिंह : जिन चबूतरों को तुड़वा दिया गया, तो तुड़वा देने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम : मैंने कब कहा कि अनधिकृत तुड़वा दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि इन चबूतरों के तुड़वाने के पूर्व लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई ? तो आपने कहा, 'जी हां'।

श्री सम्पतराम : म्युनिसिपैलिटी के लैंड में किसी ने एन्क्रोचमेंट किया, उस स्थिति में दो रास्ते हैं, या तो कोर्ट से एक्शन लेना चाहिए या पर्सुएशन से हटवाये जायं, पर्सुएशन से हटाये गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन चबूतरों को तुड़वा दिया वे एन्क्रोचमेन्ट के द्वारा बनवा दिये थे ?

श्री सम्पतराम : एन्क्रोचमेन्ट के द्वारा हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चबूतरों को तुड़वाने के पहले बिल्डिंग लाइन तय नहीं हुई थी ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा है कि कई एक रास्तों की बिल्डिंग लाइन तय कर दी गई है व कई की नहीं हुई है। जो चबूतरें तुड़वाये गये वे पर्सुएशन से हटाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : पर्सुएशन का सवाल नहीं है, उन लोगों ने यह शिकायत की है कि जो चबूतरें तुड़वा दिये गये हैं, उस जगह पर लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत पर्ज़ेशन नहीं किया था।

श्री सम्पतराम : यह हो सकता है कि माननीय सदस्य को शिकायत की हो, गवर्नमेंट के पास कोई शिकायत नहीं आई है, कोई एग्रीव्ड पार्टी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मेरे पास वही कॉपी आई है, जिसकी प्रतिलिपि मन्त्री महोदय को दी गई है ?

श्री सम्पतराम : ऐसी बात है तो मैं जानकारी करूंगा। मेरी नोलेज में नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास वही प्रतिलिपि है। न बिल्डिंग लाइन बनी, न एन्क्रोचमेंट किया, न लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत कार्यवाही हुई और एक रात को स्वप्न आया कि सड़क बनानी है और दूसरे दिन चबूतरों को तुड़वा दिया गया।

श्री सम्पतराम : न लैंड एक्वीज़िशन का सवाल है, न बिल्डिंग लाइन निर्धारित करने का सवाल है, जो एक्शन लिया गया है वह पर्सुएशन के द्वारा लिया गया है। हो सकता है कि किन्हीं लोगों ने बताया हो और उन्होंने दरख्वास्तें दी हों।

श्री भैरोंसिंह : पर्सुएशन के पहले लिखित अनुमति ले ली गई थी कि चबूतरे तुड़वा दिये जायं ?

श्री सम्पतराम : यह ज़रूरी नहीं है। जैसी हालत होती है उसके मुताबिक पारस्परिक सहयोग से काम होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका ने प्रस्ताव पास किया है कि बाजार में अमुक अमुक व्यक्तियों के मकानों के चबूतरें तुड़वाने पड़ेंगे क्योंकि सड़क बना रहे हैं इसलिए तुड़वा दिये जायं ?

श्री सम्पतराम : जो रिज़ोल्युशन हुआ है वह मेरी जानकारी में नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे है कि पर्सुएशन के कारण से हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि रिज़ोल्युशन पास करके तुड़वाने की व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि शिकायत पर जांच करायेंगे जिसके बारे में आपने बताया है।

प्रश्न संख्या १६

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २०

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २१

श्री अनूपसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

ग्राम लाछड़सर की चोरी के मामले में पकड़े गये अभियुक्त की पुलिस हिरासत में मृत्यु

२२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम लाछड़सर की चोरी के मामले में रतनगढ़ पुलिस द्वारा पकड़े गये अभियुक्त की मृत्यु पुलिस हिरासत में हो गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि अभियुक्त की लाश कुंए में से निकाली गई ?

(ग) क्या यह सही है कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा काफी मारा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई ?

(घ) क्या यह सही है कि इस मारपीट के अभियोग से बचने के लिये मरने के पश्चात् अभियुक्त को कुंए में डाल दिया गया ?

(ङ) क्या इस लाश का पोस्टमॉर्टेम करवाया गया था ? यदि हां, तो इसके शरीर पर कितनी चोटें बताई गईं तथा उनके आने का क्या कारण बताया गया ?

(च) इस सम्बन्ध में क्या किन्हीं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हिरासत से छुड़वा कर कुए में गिर पड़ने से मृत्यु हुई।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं, उसने स्वयं ने हिरासत में से छुड़वा कर और भागकर कुए में कूद कर आत्म-हत्या की थी।

(ङ) जी हां। पोस्ट मॉर्टेम निरीक्षण रिपोर्ट में कोई भी चोट उसके शरीर पर नहीं आना बताया गया।

(च) जी हां। जिन दो सिपाहियों की हिरासत में से अपराधी भागा था उनके विरुद्ध उनकी लापरवाही के लिए विभागीय जांच जारी है। उनको मुअत्तिल (सस्पेन्ड) कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : उस व्यक्ति को किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : चोरी के।

श्री भैरोंसिंह : कितने रुपये की चोरी थी और कब गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मालियत कितने की थी, यह मालूम नहीं है । कुछ बरामद हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : कुछ बरामदगी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : कितनी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ माल बरामद हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

श्री रामकिशोर व्यास : माल बरामदगी के लिए गांव में गये थे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माल बरामद होने के दो घन्टे बाद वह कुए में गिरा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, माल बरामद होने के बाद गांव में रहा, वहां से सुबह जा रहे थे, रास्ते में पाखाने-खाने गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माल बरामद हुआ था वह पूरा नहीं हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी ?

श्री भैरोंसिंह : जितना माल बरामद था, वह पूरा नहीं हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं कह सकता, पार्शियल रिकवरी हुई थी ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो आदमी हिरासत से छुड़वाता है वह अपने आपको कुंए में गिरने के लिए नहीं छुड़वायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : गांव में चोरी हुई, गांव वालों ने उसे बहुत बुरा-भला कहा होगा....

श्री दयाकृष्ण विजय : हिरासत में से अपने को छुड़वा कर वह कुंए में गिरेगा ?

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने मजिस्ट्रेट से जांच कराई कि कुंए में क्यों गिरा और किस तरह से उसको मारा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : विजयसिंह, डिप्टी एस. पी. ने उसकी जांच की थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में मरता है तो मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी करानी चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा केस नहीं है, थाने में डेथ नहीं हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस हिरासत और थाने में क्या फर्क है ? पुलिस कस्टडी में था जब उसकी डेथ हुई ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपका इन्टरप्रिटेशन है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

Page No.12

श्री भैरोंसिंह : वह पुलिस कस्टडी में था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस वक्त यह नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने दो आदमियों को सस्पेन्ड कैसे कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : चूंकि उनकी गफलत थी।

श्री भैरों सिंह : क्या यह माना जाय कि गिरफ्तारी के बाद वह पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पोइन्ट यह है कि एक आदमी हिरासत में है और हिरासत से भाग जाता है, तो भागने के बाद वह हिरासत में माना जायगा या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : यह बदकिस्मती हमारी है।

श्री रामकिशोर व्यास : पोइन्ट क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट यह है कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी नहीं हुई, जब कि क्रिमिनल प्रोसीसर कोड में इस प्रकार की इन्क्वायरी का प्रावधान है। फर्क तो यही पड़ता है कि अगर पुलिस कस्टडी में मरा है तो जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिये। फिर ऊपर से आप यह कह रहे हैं कि हिरासत में नहीं था....

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने तो यह नहीं कहा, मैंने तो कहा है कि अरेस्ट किया था माल रिकवर किया था, उसका पोस्टमोर्टम किया गया था, इन्जरीज़ उसके शरीर पर बिल्कुल नहीं थीं।

श्री भैरोंसिंह : सब हुआ पर यह पोइन्ट आप क्लियर कर दीजिये कि वह पुलिस की हिरासत में था कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो फैक्ट्स थे वे सब मैंने सदन के सामने रख दिये। अब यह लीगल इन्टरप्रिटेशन की बात है।

श्री भैरोंसिंह : लीगल इन्टरप्रिटेशन की बात है, ऐसी बात मन्त्री महोदय नहीं कहें, वरना सुनने वाले बाहर क्या कहेंगे; हंसी होगी बाहर।

श्री रामकिशोर व्यास : सुनने वालों में अक्ल होगी तो हंसी नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : सुनने वालों में अक्ल होगी तो निश्चित रूप से हंसेंगे कि राजस्थान के गृह मन्त्री कानून का इस तरह का इन्टरप्रिटेशन करते हैं; लॉ मिनिस्टर ऊपर से।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं ऊपर से, नीचे से सभी तरह से लॉ मिनिस्टर हूँ।

श्री भैरोंसिंह : नीचे से लॉ मिनिस्टर कैसे हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर आपकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि एस० डी० एम० ने इन्क्वायरी की है।

श्री भैरोंसिंह : एस० डी० एम० ने

(श्री भैरोंसिंह)

एन्क्वायरी की है तो माननीय अध्यक्ष, मैं फिर निवेदन करूंगा कि वे पूरी जानकारी करके सदन में उत्तर दिया करें। क्या रिज़ल्ट रहा एन्क्वायरी का ?

श्री रामकिशोर व्यास: "Death was due to drowning and there were no injuries".

श्री भैरोंसिंह : एन्क्वायरी में यह भी एक पोइन्ट था कि नहीं कि उसको कुए में ढकेल दिया गया था ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह तो डाक्टर ही बता सकता था कि डेथ का कॉज़ क्या था, ड्राउनिंग से मरा या किस तरह ? फिर एन्क्वायरी किस बात की की गई ? मेन पोइन्ट तो एन्क्वायरी का यह होना चाहिये था कि पुलिस के दबाव के कारण, पुलिस की प्रताड़ना के कारण, डर कर, भाग कर, कुए में गिर कर मर गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस का क्या दबाव हो सकता है ?

श्री तनसिंह : पुलिस की प्रताड़ना के डर से भाग कर कुए में गिर गया। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं सुनने में आया कि मामूली सी चोरी का केस उसमें वह पुलिस की हिरासत से छुट कर सीधा कुए में गिर कर मर गया हो।

श्री रामकिशोर व्यास : अजी कई एक शर्मदार आदमी भी होते हैं। गांव वालों ने उसे भला-बुरा कहा, शर्मदार था इसलिये कुए में गिर कर मर गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह आदमी दो बार पहले भी सजा पा चुका था ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है, मेरे पास सूचना नहीं है, पर इससे क्या फरक पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : दो बार सजा पाया हुआ है तो आप कैसे कहते हैं कि वह शर्मदार था, इसलिये कुए में गिर कर मर गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : XXXX

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

सदर अस्पताल व केसर मेमोरियल अस्पताल धौलपुर में रोगीवाहन व आवश्यक यंत्रों की व्यवस्था

२३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) सदर अस्पताल व कैसर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल, धौलपुर के लिये रोगी वाहन की आवश्यकता पूर्ति हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) उक्त हॉस्पिटल की यन्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या क्या व्यवस्था की जा रही है ?

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्य-विवरण में से निकाला गया।

Page No.14

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) धौलपुर अस्पताल के लिये रोगी वाहन हेतु अगले वर्ष के प्लॉन के बजट में प्रावधान रखा गया है।

(२) यन्त्रों की कमी की समय समय पर पूर्ति की जाती रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २४।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २५

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २६

श्री मोतीबाबा चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

बीकानेर एवं गंगानगर जिले में पाकिस्तानी सरहद पर तैनात आर० ए० सी० के जवानों के आवास हेतु समुचित व्यवस्था करना

२७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) बीकानेर एवं गंगानगर जिले में पाकिस्तानी सरहद पर कितने आर० ए० सी० की चौकियां हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि वहां जवानों के आवास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे कि वे बरसात, सर्दी एवं धूप से अपना बचाव कर सकें ? क्या यह भी सही है कि वहां पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(ग) क्या यह सही है कि गत वर्ष गर्मियों के मौसम में आर० ए० सी० के कई जवान गश्त लगाते हुए प्यास के कारण मौत के शिकार हुए ? अगर हां, तो क्या सरकार गश्त के लिये प्रत्येक चौकी पर कम से कम ३ ऊंटों की व्यवस्था करना वाजिब नहीं समझती, ताकि आ० ए० सी० के जवानों को अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करने में सहायता मिल सके ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ३७ चौकियां हैं।

(ख) जी नहीं, हालांकि सब चौकियों पर पक्के मकान नहीं हैं लेकिन आर० ए० सी० के श्रमदान से कच्ची झोंपड़ियां बना ली गई हैं, जिनमें रहने की तथा धूप—वर्षा वगैरह से बचने की समुचित व्यवस्था है। कैनाल सैक्टर एरिया में पानी की कोई दिक्कत नहीं है व अन्य स्थानों पर कुण्ड बने हुए हैं जिनमें पीने की पानी के समुचित व्यवस्था है इसके अतिरिक्त भी वहां वाटर टंकियों से पानी पहुंचाया जाता है।

(ग) जी नहीं, कोई जवान गश्त के दौरान में प्यास से नहीं मरा। पानी की हर चौकियों पर समुचित व्यवस्था होने से तीन

(श्री रामकिशोर व्यास)

तीन ऊंटों की और व्यवस्था करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि गराना चौकी पर दो जवान प्यास से मर गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न स्पेसिफिक इसीलिये है।

श्री रामकिशोर व्यास : जांच के बाद जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर की थड़ियां

२८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय जयपुर शहर में कुल कितनी थड़ियां बाजारों तथा फुटपाथों पर स्थित हैं इनमें से अधिकृत कितनी हैं और अनधिकृत कितनी ?

(ख) क्या यह सच है कि इन थड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ?

(ग) क्या यह सच है कि ठेला हॉकर्स एक सुनिश्चित स्थान पर ही खड़ा रह कर अपना क्रय-विक्रय करते हैं ?

(घ) क्या इन थड़ियों का उपयोग उन्हीं कामों के लिये होता है जिनके लिये उन्हें स्वीकृति मिली हुई है ?

(ङ) क्या इन थड़ियों पर दूकान वाणिज्य संस्थान अधिनियम तथा अन्य सरकारी कायदे-कानून लागू होते हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) इस समय जयपुर शहर में बाजारों व फुटपाथों पर ११६४ थड़ियां हैं। यह सभी अधिकृत हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं की है, किन्तु वस्तु विशेष के विक्रय के लिये स्वीकृत थड़ी अन्य वस्तु के उपयोग में नहीं की जा सकती, इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ङ) जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि ये थड़ियों वाले वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अनुसार छुट्टियां नहीं करते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह इस सवाल में नहीं है, अलग से पूछिये।

डॉ० चन्द्रकला : यह इसमें साफ पूछा है, क्या इन थड़ियों पर दूकान वाणिज्य संस्थान अधिनियम तथा अन्य सरकारी कायदे-कानून लागू होते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में मन्त्री महोदय दूसरे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : अभी जो बताया गया है उसमें थड़ियों की संख्या को पहले से अधिक बताया गया है जब कि (ख) का जवाब देते हुए मन्त्री महोदय ने कहा है कि थड़ियों की संख्या नहीं बढ़ी है। यह कैसे ?

श्री सम्पतराम : यह कहां कहा है ?

डॉ० चन्द्रकला : (ख) मैंने पूछा है कि क्या यह सच है कि इन थड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके उत्तर में आपने कहा है, 'जी नहं'।

श्री सम्पतराम : स्वीकृति से बढ़ी होगी, अनिधिकृत नहीं बढ़ रही है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। (क) में साफ पूछा है कि इनमें से अधिकृत कितनी हैं और अनधिकृत कितनी। उसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि ११६४ थड़ियों हैं, ये सभी अधिकृत हैं। और (ख) के उत्तर में कहा है कि थड़ियों की संख्या नहीं बढ़ रही है और अब अधिकृत और अनधिकृत कह कर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष, यह सही नहीं है, माननीय सदस्या ही मेरे से गुमराह नहीं होती हैं तो सदन कैसे होगा? मैंने यह कहा कि अनधिकृत रूप से थड़ियां लगाई गई थीं, उनको तादाद नही बढ़ी है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, मेरा मतलब यह है कि थड़ियां अच्छी चीज़ नहीं हैं शहर के लिये। अधिकृत अनधिकृत कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये थड़ियां क्यों बढ़ती जाती हैं इसका जवाब दिया जाता है कि 'नहीं'। दूसरी बार जवाब देते हैं कि अधिकृत बढ़ती जा रही हैं, अनधिकृत नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपकी नीति क्या है बढ़ाई जायं या घटाई जायं।

श्री सम्पतराम : नीति तो सभी जानते हैं, माननीय सदस्या भी जानती है। जौहरी बाजार से थड़ियों को हटाया है। पर बात यह है कि जितने थड़ी होल्डर्स हैं वे पाकिस्तान से बे-घरबार होकर आये थे, धीरे धीरे उनको पर्स्युएड करके धीरे धीरे उनको ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां वे अच्छी तरह स्थाई रूप से जम सकें। अन्डर स्पेशल सर्कम्स्टान्सेज़ ऐसा किया था। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि उनको एक दम ही हटा दिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला : इतना बड़ा व्याख्यान देने के बजाय यही जवाब दे देते कि उन्हें धीरे धीरे दूसरी जगह जमाया जा रहा है। हम भी नहीं चाहते कि एक दम उजाड़ दिये जायं। पर थड़ियां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं; अधिकृत बढ़ती जा रही हैं, यह चिन्ता का विषय है। शहर के लिये यह अच्छी बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठकों में लिये गये निर्णय

२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) :

(श्री भीमसेन)

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय के कक्ष में दिनांक १६ जुलाई, १९६० को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, जिसमें वित्त विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल थे, कोई बैठक हुई थी ? अगर हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय लिये गये ?

(ख) मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(ग) मेडीकल कॉलेज के उपयोग हेतु बस की व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

(घ) पुलिस कर्मचारियों के लिये टी. बी. वार्ड के निर्माण हेतु कब व कितनी धनराशि की स्वीकृत वित्त विभाग द्वारा की जा चुकी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, ऐसी एक बैठक दिनांक १५ व १६ जुलाई, १९६० को हुई थी। बैठक में जो निर्णय लिये गये उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) मेडिकल कॉलेज के उपयोग हेतु बस राजस्थान रोडवेज़ के कार्यालय से दिनांक ५—६—६० को प्राप्त हो चुकी है।

(घ) पुलिस कर्मचारियों के लिये टी. बी. वार्ड के निर्माण हेतु रु० ७४२५०) की स्वीकृति पत्र सं. डी. ६७७६ । एफ ३ (१) (६५) एच. ई । पी. एच. । ५८ ग्रुप २ दिनांक १५—६—६० द्वारा दी जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भीमसेन : बीकानेर मेडिकल स्टाफ की पूर्ति के लिये क्या किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सैंक्शन हो गई और पब्लिक सर्विस कमीशन को पोस्ट भरने के लिये लिख दिया।

श्री भीमसेन : क्या टेम्पोरेरी नहीं भरी जा सकतीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टेम्पोरेरी जितनी भरी जा सकती थीं भर दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

हिचरा बांध (काली सिंध)

२. **भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या इस वर्ष वर्षा-काल में हिचरा बांध (काली सिंध) टूट गया था ? यदि हां तो कुल कितने फुट बांध टूटा और शेष कितना बांध बचा ?

Page No.18

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : हिंचर गांव के पास काली सिंध नदी पर जो पिक अप वीयर बना हुआ था इस वर्ष बरसात में ३३५ फुट की लम्बाई में टूट गया था और ११६५ फुट शेष बचा है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : यह बांध कितनी बार टूट चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसके टूटने से कितना नुकसान हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : इस सारे मामले की इन्क्वायरी हो रही है और इसके टूटने के कारण मालूम किये जा रहे हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह किस तारीख को टूटा था ?

श्री दौलतराम सारण : यह ८-८-६० को टूटा था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसकी इन्क्वायरी कब से शुरू हुई है।

श्री दौलतराम सारण : जिस समय से यह टूटा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इस इन्क्वायरी में कितना खर्चा बैठेगा ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें खर्चा पड़ने का प्रश्न नहीं है। कलेक्टर, कमिश्नर और सु० इंजीनीयर मिल कर इसके टूटने के कारणों की जांच करेंगे और वर्षा से पहले इसको ठीक कराया जायगा।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह बांध तीसरी मर्तबा टूट चुका है और इसमें लाखों रुपये हर बार खर्च हुए हैं। अगर इसी तरह से बांध बनता जायगा और टूटता जायेगा तो ऐसे बांध बनाने से और रुपया खर्च करने से क्या फायदा ?

श्री दौलतराम सारण : इन्क्वायरी कमेटी इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है कि ऐसी गलती आयन्दा नहीं हो, ऐसी चेष्टा कर रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप जानकारी दें।

श्री दौलतराम सारण : आपके पास जानकारी है, आप दे रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास जानकारी है मैं दे रहा हूँ। यह रिपोर्ट किसके पास आनी चाहिये ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : What is the amount of loss ?

श्री अध्यक्ष : इसकी तो इन्क्वायरी हो रही है।

Page No.19

श्री पी० के० चौधरी : But that should be assessed. The Government must be in a position to know what is the amount of loss.

श्री दौलतराम सारण : लोस का अन्दाजा और दूसरी सभी बातें इस समय मैं नहीं कह सकता ।

श्री पी० के० चौधरी : That is very strange, Hon'ble Speaker, Sir. Damage has been caused to Government property and the Government is not able to tell us what is the total amount of loss.

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न पूछा था कि "इस वर्षा–काल में हिचरा बांध (काली सिंध) टूट गया था ? यदि हां, तो कुल कितने फुट बांध टूटा था और शेष कितना बचा ?" और इसका मैंने उत्तर दिया है, "हिंचरा गांव के पास काली सिंध नदी पर जो पिक अप वीयर बना हुआ था इस वर्ष बरसात में ३३५ फुट की लम्बाई में टूट गया था और ११६५ फुट शेष बचा है ।"

यह सूचना आपने मांगी थी और यह मैंने दे दी है, और अधिक सूचना आप चाहेंगे तो उसके लिये नोटिस दें और वह सूचना मैं आपको दूंगा ।

श्री पी० के० चौधरी : That is a valid supplementary as to the amount of loss caused. What is the total amount of loss ?

श्री अध्यक्ष : That is also subject of enquiry according to the Hon'ble Minister.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन्क्वायरी कमेटी किसने मुकर्रर की और वह कब तक अपनी रिपोर्ट देने वाली है ?

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेंट ने टूटे हुए बांधों की जांच के लिये कमेटी बनाई है जो ऐसे बांधों की जांच करती है और उसके टूटने के कारणों को मालूम करके अपनी रिपोर्ट पेश करती है ।

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट किसके पास सबमिट की जाती है ?

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the report has been submitted to the Hon'ble Minister for Irrigation.

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : We heve not received report of the Enquiry Committee as yet. It may have been received in the office but in the the information which has been supplied to us it is not available,

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रिपोर्ट लगभग एक महीने पहले पेश कर दी गई है ?

श्री भीखाभाई : That is not correct, I think.

श्री भैरोंसिंह : If it is not correct, then on what date it has been submitted ?

श्री भीखाभाई : It is a presumption which cannot be repudiated just now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then how do you say that it has not been presented ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

तहसील लाडपुरा के मंडाना रेन्ज के कृषकों को आवश्यकतानुसार लकड़ी की व्यवस्था

६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा—सु०) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील लाड़पुरा में मंडाना रेन्ज के कृषकों को निकट के जंगल से हल, कुली, डांडे एवं बलीते की लकड़ी आवश्यकतानुसार नहीं मिलती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि हर साल जो डांडे दिये जाते हैं वे कुछ प्रमुख लोगों को ही मिलते हैं तथा गरीबों के झोंपड़े अब भी बिना छप्पर के पड़े हैं ?

(३) क्या इस अभाव की पूर्ति के लिए किसानों को स्थानीय वनाधिकारियों को घूंस देना पड़ता है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेन्ज में कृषकों को आवश्यकतानुसार लकड़ी दिये जाने की व्यवस्था कर वर्तमान में चल रही घूंसखोरी को बन्द करेगी ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

भादरा कस्बे के एस० एच० ओ०, श्री अनारसिंह के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही

८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जिला गंगानगर के भादरा कस्बे के एस. एच. ओ., श्री अनारसिंह के विरूद्ध भ्रष्टाचार आदि की कुल कितनी शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

(३) यह जांच किस अधिकारी ने की थी और क्या शिकायत करने वालों के बयान भी लिए गये थे ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) छः शिकायतें पुलिस व पांच शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्राप्त हुई हैं, जिनमें दो समान (कोमन) हैं ।

(२) पुलिस विभाग द्वारा प्राप्त ६ शिकायतों में से २ झूंठी पाई गई हैं, २ में दुबारा जांच हो रही है और बाकी दो में भी जांच हो रही है । भ्रष्टाचार विभाग द्वारा प्राप्त ५ शिकायतों में से २ सिद्ध नहीं हुई और ३ की जांच हो रही है ।

(३) पुलिस विभागों में आई हुई शिकायतों में से ३ की जांच डी. एस. पी. बीकानेर ने की है व एक की जांच डी. एस. पी. हनुमानगढ़ ने की है । भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में आई हुई शिकायतों की जांच श्री मंगतराम डी. एस. पी., ए. सी. डी. के सुपुर्द की गई है । परिवादियों के बयान लिए गये थे । श्री अनारसिंह के प्रति आई हुई शिकायतों की जांच उच्च अधिकारी द्वारा किये जाने के आदेश भी दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन ।

सामाजिक शिक्षा प्रसार अधिकारी की उपयोगिता

१०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) सामाजिक शिक्षा प्रसार अधिकारी का मुख्य कार्यक्षेत्र (Specific Role) क्या है ?

(२) मेहता कमेटी ओन प्लोन प्रोजेक्ट्स ने उपरोक्त अधिकारी की उपयोगिता के सम्बन्ध में क्या सिफारिश की है तथा उस सिफारिश के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(३) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामाजिक शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं तथा अध्यापक, ग्राम सेवक आदि के पथ-प्रदर्शन हेतु प्रौढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से क्या साहित्य तैयार किया गया है ?

(४) Neo-literates के लिए follow up प्रोग्राम के लिए प्रौढ़ शिक्षा विभाग से क्या साहित्य तैयार करवाया गया है ?

(५) प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने के साथ साथ उनके व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि कराने हेतु किन किन विषयों की जानकारी कराने का प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम बनाया है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या साहित्य तैयार करवाया है ?.

समुदायिक विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) समाज शिक्षा प्रचार अधिकारी के लिए स्वीकृत जब चार्ट को प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) मेहता कमेटी द्वारा उक्त अधिकारी की उपयोगिता के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की हैं तथा उन पर राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) प्रौढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी, अध्यापक,

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ग्राम सेवकों इत्यादि के पथ प्रदर्शन के लिए समय समय पर आवश्यक निर्देशन, परिपत्र आदि भेजे जाते हैं।

(४) प्रौढ़ शिक्षा विभाग की ओर से नव साक्षरों के फोलो–अप प्रोग्रोम हेतु कोई साहित्य तैयार नहीं किया गया है। नव साक्षरों एवं बच्चों के लिए प्रकाशित उत्तम साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग की ओर से पुरुस्कार दिये जाते रहे हैं। इसी प्रकार नव साक्षरों के लिए प्रकाशित होने वाली चुनी हुई पुस्तकों की सूची भी समय समय पर विकास खण्डों (पंचायत समितियों) में भेजी जाती है।

(५) व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि कराने हेतु जिन विषयों की जानकारी करायी जाती है उसकी सूचना भी सदन की मेज पर रख दी गई है। जहां तक साहित्य तैयार कराने का प्रश्न है इसका उत्तर प्रश्न के भाग ४ के उत्तर में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भीमसेन : सरकार का अनुभव इसके बारे में क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अनुभव हुआ है कि वह पद तोड़ दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर नगर की जन–संख्या

११. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर की कुल आबादी कितनी है ?

(२) इसमें जन-जाति व अनुसूचित जन-जाति की संख्या कितनी है ?

(३) जयपुर नगरपालिका में सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

(४) क्या जो सीटें जन–जाति व अनु-सूचित जन–जाति की दृष्टि से निश्चित की गई हैं, वे जन–संख्या के अनुपात में ठीक है।

(५) प्रत्येक वार्ड जो बनाया गया है उसकी जन-संख्या कितनी है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पत-राम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पोस्टपोन-मेंट चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या १२।

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सिल-सिले में हुई गिरफ्तारियां

१२. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू–सु०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ११ जुलाई, १९६० की मध्य रात्रि और उसके पश्चात् सुबह तक कुल कितने कर्मचारी केन्द्रीय हड़ताल के सिलसिले में पकड़े गये ?

(ख) समस्त गिरफ्तार कर्मचारियों को किस अपराध के अन्तर्गत पकड़ा गया ?

(श्री लादूराम सुलाणिया)

(ग) क्या केन्द्रीय कर्मचारियों के अतिरिक्त शहर में दफा १४४ के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारियां हुईं ?

(घ) क्या दफा १४४ केवल केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप ही लगाई गई थी या अन्य कारण भी थे ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ५४६ ।

(ख) धारा ४।५ एसेन्शियल सर्विजेज़ मेन्टीनेन्स ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत ३७८ धारा १०७।१५१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत २ व धारा १८८ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत १६६ ।

(ग) जी हां, उक्त अवधि में केवल बीकानेर में ऐसे १५ व्यक्ति गिरफ्तार हुए ।

(घ) धारा १४४ केवल केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में उत्पन्न शान्ति कानून तथा व्यवस्था के भंग होने के सम्भावित खतरे को टालने के लिए ही लगाई गई थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि लोगों को उनके मकानों पर से गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपका जनरल क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : यह आपका प्रश्न जनरल है ।

(विराम)

श्री किशनाराम ।

श्री लादूराम सुलाणिया यह धारा पहले लगाई गई या बाद में ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह पहले ही लगाई गई ।

श्री लादूराम सुलाणिया : आपने पहले ही यह कैसे अनुभव कर लिया कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जावेगी और यह कानून लागू कर दिया ।

श्री रामकिशोर व्यास : हालतों से और अक्ल से ।

श्री लादूराम सुलाणिया : वे लोग अपने प्रश्न को उठा रहे थे । कोई हुल्लड़ नहीं मचा रहे थे । पहले ही आपने उन पर १४४ धारा लगा दी । जब कि दरअसल कोई कार्य नहीं हुआ था ।

(कोई उत्तर प्राप्त न होने पर)

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : लोग अपनी ड्यूटी पर काम करते थे और आपने १४४ धारा लगा दी । अगर वे कोई कार्य करते तो धारा लगाई जानी चाहिये थी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कह चुके हैं कि उनको खतरे का अन्देशा था कि शांति भंग होगी इसलिए उन्होंने धारा १४४ का उपयोग किया।

(विराम)

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

नगरपालिका छोटी सादड़ी

१५ **श्री लादूराम सुलाड़िया** (दूदू-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि छोटी सादड़ी (जिला चित्तौड़गढ़) की नगरपालिका के वर्तमान सदस्यों की पदावधि समाप्त हो चुकी थी ? यदि हां, तो किस दिनांक से ?

(२) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका छोटी सादड़ी के सदस्यों की पदावधि समाप्त होने के बाद पालिका एक्ट के अनुसार एक वर्ष की और अवधि बढ़ाई गई थी ? यदि हां, तो किस दिनांक से किस दिनांक तक ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि भी समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो इस समय पालिका का कार्य कौन कर रहा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पत राम) : (१) जी हां। दिनांक ३१-८-५६।

(२) जी हां। दिनांक १–६–५६ से ३१–७–६० तक।

(३) इस समय तहसीलदार छोटी सादड़ी को म्युनिसिपैलिटी का प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, सुना नहीं गया है। दुबारा सुनायें। माननीय मन्त्रीजी ऐसा उत्तर देते हैं कि जिसको सुन ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : आपको अच्छी तरह सुनायेंगे, कृपया दुबारा सुना दीजिये।

श्री सम्पतराम : (१) जी। हां दिनांक ३१-८-५६।

(२) जी हां। दिनांक १-६-५६ से ३१-७-६० तक।

(३) इस समय तहसीलदार छोटी सादड़ी को म्युनिसिपैलिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : चुनाव शीघ्र कराये जायं और इस प्रकार से प्रशासक नियुक्त न किये जायें, उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सम्पतराम : जो कार्यवाही करनी चाहिए वह की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या चुनाव कराने की दृष्टि से कोई नोटिफिकेशन निकाला गया था ?

श्री सम्पतराम : पहले नगर को वार्ड्स में विभाजित किया जाता है और फिर शिड्यूल्ड कास्ट आदि के रिज़र्वेशन के सम्बन्ध में क्या प्रोप्रोर्शन है, कहां होने

(श्री सम्पतराम)

चाहिये और कहां नहीं होना चाहिए यह देख कर उसके बाद फर्दर एक्शन होता है। पहले ही सदन से अर्ज किया था कि चुनाव जल्दी कराये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जिस समय एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया था और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति और समय में वृद्धि के भी कारण दिये थे गजट नोटिफिकेशन में, तो क्या उनमें कोई अन्तर नहीं है ?

श्री सम्पतराम : सुपरसेशन से नोटिफिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया उसके लिए नोटिफिकेशन दिया और म्युनिसिपल बोर्ड की मयाद खत्म हो गई उसका एक्सटेन्शन किया उनके दोनों कारणों में कोई अन्तर नहीं था ?

श्री सम्पतराम : यह सारा लॉ डिपार्टमेंट से किया जाता है और जो उचित समझा गया उस विभाग द्वारा वह किया गया है। एग्ज़क्ट डेट्स याद नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर्स के समय की वृद्धि कर सकते थे, सुपरसेशन करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री सम्पतराम : उसको सुपरसीड कर दिया गया है और यह आवश्यक समझा गया।

श्री लादूराम सुलाणिया : वार्ड्स पहले से ही निर्धारित करके डेट क्यों नहीं फिक्स कर देते हैं ?

श्री सम्पतराम : कोशिश तो ऐसी ही की जाती है। नये एक्ट के आने के बाद में बहुत से ऐसे कॉम्प्लीकेशन्स आ जाते हैं जिनके कारण देरी लगने की सम्भावना हो जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३१-७ के बाद ही एक्ट आया है।

श्री अध्यक्ष : और भी कॉम्प्लिकेशन्स अराइज़ होते है।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

(विराम)

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

भूतपूर्व जोधपुर स्टेट से आज तक कार्य कर रहे जोधपुर नगरपालिका के कर्मचारियों के पी. एफ. का एकाउन्ट

२१. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) [श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के समय से जो कर्मचारी जोधपुर नगरपालिका के अब भी कर्मचारी हैं उनके प्रोविडेन्ट फन्ड का एकाउन्ट म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं रखा जाता ? यदि हाँ, तो अब इस पी. एफ. अकाउन्ट को कौन रखने का जिम्मेदार है ?

(२) क्या यह भी सही है कि वार्षिक पी. एफ. स्लिप्स कर्मचारियों को नहीं भेजे जाते ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां । दिनांक १–४–१९५७ से प्रोविडेन्ट फन्ड का हिसाब रखने का कार्य परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को सौंप दिया गया है ।

(२) जी हां, चूंकि पी. एफ. का हिसाब परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर को दिनांक १–४–१९५७ से रखने को दिया गया था और परीक्षक द्वारा इन लोगों की पी. एफ. स्लिप भेजने से पहले लेखा तैयार करना जरूरी था जो तैयार कर नगरपालिका को कर्मचारियों की सहमति हेतु भेज दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय ।

जयपुर नगरपालिका का चुनाव

२४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया]) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राज्य में कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था के आधीन काम कर रही हैं ? उनकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(२) राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १९५९ को लागू करने के बाद सरकार ने कितनी तथा किन किन नगरपालिकाओं के चुनाव इस एक्ट के अन्तर्गत कराये ? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(३) जिन नगरपालिकाओं की कार्यावधि समाप्त हो चुकी है और अभी तक चुनाव नहीं कराये गये, इसके क्या कारण हैं ?

(४) जयपुर नगरपालिका को भंग हुए कितना समय हुआ और अब तक उसके चुनाव क्यों नहीं कराये गये ? कब तक जयपुर नगरपालिका के चुनाव करा दिये जावेंगे ?

(५) क्या मई १९६० में प्रजा सोश्यलिस्ट

Page No.27

(डॉ० चन्द्रकला)

पार्टी, जयपुर ने जिलाधीश जयपुर को नगर-पालिका चुनाव के शीघ्र कराने की मांग को लेकर कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) प्रशासकीय व्यवस्था में काम करने वाली १६ नगरपालिकायें हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) जिन नगरपालिकाओं के चुनाव कराये गये हैं उनकी भी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १६५६ के अन्तर्गत उन नगरपालिकाओं के सदस्यों की संख्या व वार्डों की संख्या निर्धारित करना आवश्यक था इसलिए चुनाव में थोड़ा विलम्ब हुआ।

(४) दो साल सात माह। चुनाव नहीं कराये जा सके क्योंकि सदस्यों व वार्डों की संख्या अभी तक ठीक तरह से निर्धारित नहीं हुई है।

(५) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : संख्या अब तक क्यों नहीं निर्धारित हो पायी ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्या गजट को, अखबार को नहीं पढ़ती हैं, ऐसा मालूम होता है। बहुत पहले कर दिया गया।

डॉ० चन्द्रकला : जबाब तो यहां हैं। गजट पढ़ती हूँ और अखबार भी पढ़ती हूँ, लेकिन आपका जबाब नहीं पढ़ती हूँ। अभी तक निर्धारित नहीं हो पायी।

श्री सम्पतराम : मेरा जबाब मैं अब भी सुना रहा हूँ। दो साल से अधिक समय लगा उसका मूल कारण यह है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव कराने से पहले हरएक बोर्ड या कौंसिल तादाद को देखा जाता है कि कितनी सीटें होनी चाहिये। उसके बाद में डबल मेम्बर कॉन्स्टिट्युएन्सी के हिसाब से सीटें कितनी हों, कितनी पॉपुलेशन है उसको भी डिटर्मिन करना पड़ता है। उसकी ड्राफ्ट लाइन बनाई जाती है और फिर दो महीने के लिए उस पर ऑब्जेक्शन्स मांगे जाते हैं। इस प्रकार से समय तो लगता ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव, वार्ड्स इत्यादि के सम्बन्ध में दो वर्ष में पहली बार नोटिफिकेशन निकाला गया ?

श्री सम्पतराम : नोटिफिकेशन कब निकाला गया, यह नोटिफिकेशन की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६० में निकाला। दो वर्ष तक आपने कुछ नहीं किया; न तो नोटिफिकेशन निकाला, न वार्ड्स बनाये। क्या दिक्कत थी ?

श्री सम्पतराम : जबाब मैं दे चुका हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या दे चुके हैं ?

डॉ० चन्द्रकला : वार्ड्स वगैरह निश्चित हो जाने में कितना समय लगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर नगरपालिका के चुनाव आप कब तक करा देंगे ?

श्री सम्पतराम : इसका दुबारा जवाब देने की आवश्यकता नहीं। पहिले ही मैं जवाब दे चुका हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जवाब दे चुके हैं। जवाब सदन में नहीं दिया गया है। यह सप्लीमेन्टरी में नहीं है। मूल प्रश्न में पूछा गया, "कि जयपुर नगरपालिका को भंग हुए कितना समय हुआ और अब तक उसके चुनाव क्यों नहीं कराये गये ? अब कब तक जयपुर नगरपालिका के चुनाव करा दिये जावेंगे ?" अब आप इसका जवाब दीजिये।

श्री सम्पतराम : इसका जवाब दे चुका हूँ। चुनाव शीघ्र होंगे।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : "शीघ्र" कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिला दीजिये; नहीं तो झगड़ा हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : अब तो नोटिफिकेशन निकल गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं निकला है। वे डेफिनिट डेट बता दें कि इस तारीख तक करा देंगे। ६२ के बाद कोई भी तारीख बता दें, I do'nt mind. कोई भी डेट वे बता दें।

श्री सम्पतराम : शीघ्र कराने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने यह आश्वासन दिलाया था कि जून के अन्त तक चुनाव करा दिये जावेंगे ?

श्री सम्पतराम : आश्वासन का सवाल नहीं है। स्पष्ट तौर पर सदन में कहा था कि जुलाई से पहले जयपुर नगरपालिका के चुनाव कराना चाहते हैं और प्रयत्नशील हैं इसके लिए।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : तो क्या यह समझ कर चलें कि जुलाई तक चुनाव हो जावेंगे ?

श्री सम्पतराम : यह तो आपको स्वतन्त्रता है कि कोई भी इन्टरप्रिटेशन करें। मैं स्पष्ट जवाब दे चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री जी ने प्रेस इन्टव्यू में कहा है कि जून में चुनाव करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब तो जुलाई कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रेस में जून कह दिया और सदन में जुलाई कह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया। अध्यक्ष महोदय, कुछ भी तो स्पष्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव माननीय गृह मन्त्री जी नहीं कराने देने चाहते ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : गृह मन्त्री जी जल्दी ही कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा चौधरी।

श्री वेनाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

रानीखुर्द में अस्पताल का खोला जाना

२६. **श्री मोती बाबा चौधरी** (बाली) [श्री वेनाराम (खारची) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या रानी खुर्द तहसील देसूरी में वहां की सात—आठ हजार जनसंख्या व विकास खंड को ध्यान में रखते हुए अस्पताल खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मन्त्री, (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : रानी में एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित है और इस समिति का प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बूसी में स्थित है। अभी कोई नया खोलने का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(११ म० पू०)

कार्य सलाहकार समिति के २० वें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर सहमति

सभापति, कार्य सलाहकार समिति (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्यसलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के २०वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य

राजस्थान निष्क्रान्त हित (पृथकरण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री):

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "राजस्थान निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय"।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कॉन्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत ऐसे कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट लाने की आवश्यकता होती है। वैसे तो इसके लिए सेन्ट्रल एक्ट बना हुआ है। The Central Act carries certain matters which may be enumerated in the State list. I would like to know from the Revenue Minister, what would be the possible matters for which this Amendment is being made in this House.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): You look to the list. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देखेंगे तो उनको साफ पता चल जायगा कि यह बिल किसलिए लाया जा रहा है। स्टेट लिस्ट के अन्तर्गत भी इस प्रकार की कम्पोज़िट प्रोपर्टीज़ आ सकती हैं, इसलिए इस प्रकार के लॉज़ के बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी समझ में यह नहीं आता है कि ऐसे कौन से मैटर्स हो सकते हैं जिनके लिए यह आवश्यक है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अगर स्टेट लिस्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रोपर्टीज़ मिल जायंगी जो इसमें कवर होती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिए सेन्ट्रल एक्ट एप्लाई करता है।

श्री दामोदरलाल व्यास - इसमें साफ लिखा है, "It is likely that some of the claims to be filed within the time limit prescribed by these amendments may relate to matters in the State list........."

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऐसी मिसालें चाहते हैं जो स्टेट लिस्ट के अन्तर्गत आ सकती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें इवेक्युई प्रोपर्टीज़ हैं जो स्टेट लिस्ट के अन्तर्गत हैं, उसके लिए सेन्ट्रल लिस्ट भी हो सकती है। वह लिस्ट मेरे पास तो नहीं है, उस लिस्ट को माननीय सदस्य उठाकर देख सकते हैं। I have not brought that list with me.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके सामने ऐसे केसेज़ आये हैं क्या, जिससे इसकी आवश्यकता महसूस हुई है, वह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब कोई केसेज़ सामने आयें तभी कानून बनाया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाय, यह कोई जरूरी नहीं है । We do not want to leave the vacuum here.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उस ऑर्डिनेन्स का नम्बर १ ऑफ १९६० है :– "Whereas the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action in this behalf." तो वह ऑर्डिनेन्स नहीं निकाल सकते जब तक कि एमर्जेन्ट सर्कम्स्टान्सेज़ न हों। ऐसी कौनसी परिस्थितियां सरकार ने गवर्नर महोदय के सामने रखीं जिनकी वजह से उनको यह ऑर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता महसूस हुई। अगर सर्कम्स्टान्सेज़ नहीं थे या इन्स्टान्सेज़ नहीं थे तो ऐसे कौन से मैटर्स हो सकते हैं जिनके कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि यह ऑर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता महसूस हुई और यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया। आप इसको रेगुलराइज़ करना चाहते हैं हाइपोथेटिकल सर्कम्स्टान्सेज़ बताकर "It is likely." "Is likely" यह हो नहीं सकता ऑर्डिनेन्स जारी करने के लिए कोई सर्कम्स्टान्सेज नहीं थे तो यह फोर्मली जिस तरह से लिखते आ रहे हैं उसी तरह से लिख दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि किन किन सर्कम्स्टान्सेज़ में यह लाया गया, कौन कौन से केसेज़ कोर्ट में पेन्डिंग हैं, it is not possible for him to enumerate the list of such cases from the number of cases which are pending and which may relate to the state list.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां ऑर्डिनेन्स जारी करना जरूरी होता है वहां ऐसी सर्कम्स्टान्सेज़ होना जरूरी होता है जिसके लिए इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स के इश्यू करने की आवश्यकता होती है। मैं बोलने से पहले राजस्व मन्त्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि कोई ऐसे केसेज़ वे बतादें जिनके कारण वे यह कह सकें कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हमारे कॉन्स्टीट्यूशन का जो अनुच्छेद २१३ है उसके अनुसार यह है कि स्पेशल सर्कम्स्टान्सेज़ के अन्दर ही ऑर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है, उसके बिना नहीं किया जा सकता। तो मेरा यह निवेदन है कि जिस समय यह ऑर्डिनेन्स जारी किया उस समय राज्यपाल महोदय के सामने ऐसे डेफीनेट इन्स्टान्सेज थे क्या ? तो यह मानकर चला जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य को क्लिअर कर दूं कि यह जो नया कानून लाया जा रहा है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "Is likely" का.......

श्री दामोदरलाल व्यास : Let me have my say. It is not proper for you to disturb, बीच बीच में आप बाधा न डालें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You can have your say when I have finished it, otherwise...

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले ऑलरेडी राजस्थान में लॉ है, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए अर्ज करूं। यह लॉ जो है "The Evacuee Interest Separation Act of 1951" यह लॉ आलरेडी राजस्थान में एडॉप्टेड है। पार्लियामेंट इस लॉ के अन्दर टाइम लिमिट मुकर्रर करता है। उसी टाइम लिमिट का हम एडॉप्शन कर रहे है, ऑलरेडी कर चुके हैं। जो टाइम लिमिट प्रेसक्राइब की है उसी को हम एडॉप्ट कर रहे हैं और ऑर्डिनेन्स की इसलिये आवश्यकता हुई कि पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया। इसलिये जो स्टेट लिस्ट में आइटम्स आते हैं वे लिमिटेशन्स हमें प्रेसक्राइब करनी चाहिये। The law is already there. It was adopted in Rajasthan in 1953.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, २७ या २८ सितम्बर को यह अमेंडमेंट पास हुआ और यह पन्द्रह अक्टूबर से लागू होने का है, लेकिन अपने यहां तो २८ सितम्बर को ही ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया जब कि २८ सितम्बर को बिल पास नहीं हुआ था और १५ अक्टूबर, १९६० में यह अमेडिन्ग एक्ट फोर्स में आया है। यह आवश्यकता हो सकती थी तो १५ अक्टूबर के बाद हो सकती थी। २८ सितम्बर को यह कैसे लागू किया? माननीय मन्त्री जी भी गजट देख लें, किस डेट को लागू किया है वह बता दें?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ नहीं पाया। पार्लियामेंट द्वारा लॉ पास कर दिया गया, चूंकि अपने यहां उन दिनों असेम्बली इन सेशन नहीं थी इसलिये यहां ऑर्डिनेन्स लागू किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑर्डिनेन्स लागू कब किया? ऑर्डिनेन्स जारी होने से पहले क्या यह कानून लागू हो गया था?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां जब पार्लियामेंट ने एन्फोर्स कर दिया तो हमने भी लागू कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या वहां एन्फोर्स होने के बाद आपने ऑर्डिनेन्स जारी किया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट द्वारा एक्ट एन्फोर्स करने के बाद ऑर्डिनेन्स जारी किया गया या पहले कर दिया गया?

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि कानून लागू होने के बाद यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया या पहले, यही आप जानना चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह था कि अमेन्डिंग एक्ट जब एन्फोर्स में नहीं आया था तो उसके पहले ऑर्डिनेन्स कैसे जारी हो गया? जब तक अमेन्डिंग एक्ट एन्फोर्स नहीं कर दिया जाता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हो जाते तब तक उसके लिये ऑर्डिनेन्स जारी नहीं किया जा सकता। एक मिनट के लिये हम यह भी मान लें कि वह कानून छः महिने तक लागू नहीं होता है तो क्या छः महिने पहले ही ऑर्डिनेन्स लागू हो सकता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि एक्ट का एन्फोर्समेंन्ट कौनसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तारीख से आया। क्या उससे पहले ही यह जारी कर दिया गया? Enforcement is not material for the purpose of the issue of this Ordinance, because law was passed by the Centre and we also adopted it. The Ordinance was issued, as the Assembly was not in Session and the matter was urgent.

श्री दमोदरलाल व्यास : एन्फोर्समेन्ट की डेट मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई?

श्री अध्यक्ष : वह तो आवश्यक नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आवश्यकता नहीं है, यह बात नहीं। ऑर्डिनेन्स पर्टिकुलर एक्ट का ही माना जायगा। जब तक कि राष्ट्रपति की किसी एक्ट पर स्वीकृती नहीं होती वह एक्ट नहीं माना जायगा और इसलिये उस पर ऑर्डिनेन्स भी नहीं हो सकता। Untill and unless there is any act in force. you cannot pass Ordinance for that particular Act.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पार्लियामेन्ट द्वारा यह लॉ फोर्स में लाया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राष्ट्रपति के इस पर दस्तखत हुये या नहीं? दूसरी बात यह है कि एक्ट पास होता है पार्लियामेन्ट में २८ सितम्बर को, उसके बाद प्रेसिडेन्ट की असेन्ट के लिये जाता है २६ सितम्बर को और जो ऑर्डिनेन्स है उसके अनुसार इसका एनफोर्समेन्ट है १५ अक्टूबर १६६० से।

यह एक्ट कब से लागू होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : पार्लियामेन्ट द्वारा एनफोर्स कर दिया गया। Why do you interpret it otherwise.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल इस बात का है कि "Application of Evacuee Interest (Separation) Amendment Act, 1960 to the State—The amendments made in the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (Central Act 64 of 1951) by the Evacuee Interest (Separation) Amendment Act, 1960 (Central Act 27 of 1960) shall, in so far as they relate to any matter enumerated in List II of the Seventh Schedule to the Constitution, be as valid in the State of Rajasthan as if the provisions contained therein had been enacted by the Legistature of the State." इसका मतलब यह है कि जिस दिन ऑर्डिनेन्स निकाला उस दिन मेरी जहां तक जानकारी है, यह एक्ट लागू नहीं हो पाया था उस दिन तक प्रेसिडेन्ट के दस्तखत नहीं थे, इसलिये वेलिड एक्ट नहीं माना जा सकता। इसलिए किन्हीं खास प्रोवीज़न्स को एप्लाई करने के लिये इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी नहीं हो सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑर्डिनेन्स में यह है कि जिस तारीख को सेन्ट्रल एक्ट फोर्स में आयेगा, it is very clear here. I will point out.. आप इसके क्लॉज़ वन के सब क्लॉज (३) को देखिये :

(श्री दामोदरलाल व्यास)

"(3) It shall come into force on the date appointed by the Central Government under sub-section (2) of Section 1 of the Evacuee Interest (Separation) Amendment Act, 1960 (Central Act 27 of 1960)."

It is already there.

श्री अध्यक्ष : That would clarify the situation. एक अमेंडमेंट है मन्त्री महोजय का।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २ व ३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ व ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अमेंडमेंट टाइटल में है।

"(1) Omit 'made' occuriug for the second time."

"(2) add 'of Parliament' after 1960."

इसमें लैंग्वेज की खामी है। दूसरा 'पार्लियामेंट' शब्द आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, संशोधित टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान निष्क्रान्त हित (पृथककरण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६१ को पारित किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय इस विधेयक के सम्बन्ध में बोलने से पूर्व मैंने राजस्व मन्त्री महोदय से इसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा था, पर मुझे सख्त अफसोस इस बात का है कि कानून

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के हामी ज़रूर वे बनते हैं, यह बात सही है कि यह उनके इन्टरेस्ट का मेटर नहीं है और इवेक्युई का कानून का सवाल है और वे मास्टर हैं रेवेन्यू लॉज़ के। पर यह ज्यादा अच्छा हो कि जिसकी जानकारी उनको नहीं है तो हमें सदन में यह स्पष्ट कह दें कि हमें इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। पर अफसोस इस बात का होता है अध्यक्ष महोदय, कि कई बार लीगल पोइन्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन्स उठते हैं उनके सम्बन्ध में भी सरकार इतने हल्के तरीके से डिस्पोज़ ऑफ करने की कोशिश करती है कि उसका सब्स्टेन्स ही उड़ा दिया जाता है। कई फैक्ट्स के दूसरे मामले हो सकते हैं और कई और प्रश्न हो सकते हैं कि जिनके बारे में वे इतने हल्के तरीके से उड़ा दें या उसको टाल दें पर जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पोज़ीशन का सवाल खड़ा होता है, मैं निवेदन करूंगा कि वे चाहे दस, पन्द्रह या बीस साल की वकालत के पेशे में रहे हों, या दस साल रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हों, पर ऐसे कई मसले उठाये जा सकते हैं जो पेचीदे हो सकते हैं और जिनमें दिमाग लगाने की थोड़ी जरूरत होती है। वे उनमें अपना माइन्ड एप्लाई करने की कोशिश करें। यहां यह ऑब्जेक्शन केवल ऑब्जेक्शन के नाते नहीं उठाया था मैंने। मैं समझता हूँ और मेरी अब भी यह मान्यता है कि या तो राजस्व मन्त्री महोदय इन फैक्ट्स के आधार पर लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करें और इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स निकालने से पहले उनकी राय लेकर आवें। जो बिल पार्लियामेंट में २७ सितम्बर को पेश किया गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जिस पर हुए नहीं, कानून लागू नहीं हुआ, फिर यह समझ में नहीं आता कि जो कानून एग्ज़िस्टेन्स में नहीं है उसको यहां लागू करने के लिए सर्कम्स्टान्स पैदा कैसे हुई? मैं पूछना चाहूँगा कि यदि पार्लियामेंट कोई कानून बना दे और यह लिख दे कि यह कानून जिस दिन डेट नोटिफाई करेंगे उस दिन अमल में आवेगी और उस पर्टिक्यूलर कानून में उस पीरियड में चार—छः महीने के समय में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई है कि उस कानून को एन्फोर्स किया जावे और यह डेट नोटिफाई भी नहीं की जावे तो क्या जो कानून कभी फोर्स में आने वाला नहीं है अथवा चार—छः महीने बाद आने वाला है या पन्द्रह दिन बाद आने वाला है उसको यहां लागू करने के लिए ऑर्डिनेन्स के जो पॉवर संविधान में गवर्नर को दिये गये हैं, क्या उसकी यह मंशा है कि जो कानून कभी भी लागू होने वाला है या नहीं होने वाला है उसको पहले ही ऑर्डिनेन्स के द्वारा जारी कर दे। जहां तक संविधान की धारा २१३ का सम्बन्ध है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है और उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि उसमें जो प्रोवीज़न्स दिये गये हैं राज्यपाल महोदय या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में इस प्रकार की परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं; इसके तय होने के बाद अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तभी इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए यह मेरी समझ में नहीं आता कि जो ऑर्डिनेन्स आज नहीं लागू हुआ, जैसा कि खुद मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि ऑर्डिनेन्स में ही हमने यह लिख दिया है कि यह आज से ही लागू नहीं होगा, उस दिन से होगा,

Page No.36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिस दिन केन्द्र में लागू करने का नोटिफिकेशन निकलेगा और वहां फोर्स में लाया जावेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं पूछता हूँ कि इस तरह के मैटर्स के लिये जो अर्जेन्ट नहीं हैं और जिनमें परिस्थितियां वैसी पैदा नहीं हुईं, यह ऑर्डिनेन्स जारी करने की नई परम्परा कब से जारी कर दी। यह साफ २१३ के प्रोवीज़न में कहा गया है कि जब कभी इमीजिएट एक्शन की जरूरत होती है, सर्कम्स्टान्सेज़ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि विधान सभा का सत्र चालू नहीं है और आवश्यकता महसूस हुई है इसलिये ऑर्डिनेन्स जारी करना चाहिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि २५ सितम्बर को यह ऑर्डिनेन्स पारित किया गया तब कोई परिस्थिति ऐसी अर्जेन्ट नहीं थी कि जिसके कारण ऑर्डिनेन्स जारी किया जाना जरूरी था और यह स्वयं मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह ऑर्डिनेन्स तब से फोर्स में आने वाला था जब से कि केन्द्र के उस कानून को एन्फोर्स किया जाता। तो इस पर मेरी ऐसी मान्यता है कि संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रोवीज़न नहीं है कि ऑर्डिनेन्स किसी बाद की तारीख से लागू किया जाय। २१३ में जो पॉवर्स दी गई हैं क्या इसलिये दी गई हैं कि बाद में आने वाली परिस्थितियों की चार—छः महीने पहले ही कल्पना करके उसे जारी किया जावे या इसलिये दिया था यह पॉवर कि एमर्जेन्सी में इसे लागू किया जाय जब कि विधान सभा चालू न हो। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो ऑर्डिनेन्स निकाला है और खास तौर से स्वयं राजस्व मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में स्वयं ने माना है कि जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है इसको लागू करने के बारे में....

"It is likely that some of the claims to be filed within the time limit prescribed by these amendments, may relate to matters in the State List and in order to make those amendments effective in the State, it is necessary to undertake supplementary legislation."

मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून से नहीं हुआ है। इसमें तो यह लिखा है कि किसी कम्पोज़िट जायदाद के लिये दरख्वास्त देने का जो समय पहले था उसे एक साल के लिये लिमिटेड किया जाता है। इस एक साल के अन्दर अन्दर वह यह दरख्वास्त दे सकता है कि इस कम्पोज़िट जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। इस मकान में, इस जमीन में मेरा इतना हिस्सा है। अमुक निष्क्रान्त सम्पत्ति में मेरा इतना हिस्सा है। अब जो कम्पोजिट जायदाद है उसमें एक हिन्दू की है एक मुसलमान की है, मुसलमान पाकिस्तान चला गया, तो उसका मालिक कस्टोडियन हो गया, तो इस तरह की दरख्वास्त सरकार को देनी पड़ती है कि इसमें मेरा इतना हिस्सा है उसे अलग करके मुझे दिया जावे। दफा ६ इसके सम्बन्ध में बनी हुई है। केन्द्र ने इसमें इतना संशोधन किया है कि यह मामले हमेशा के लिये न चलते रहें इस लिये एक साल का समय रखना चाहते हैं। जो भी दरख्वास्त देना चाहें, एक साल की अवधि में दे दे। मैं नहीं समझता कि कौनसी मुश्किल इससे राजस्थान में आ रही है कि

Page No.37

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसके लिये एडवान्स में आर्डिनेन्स बनाकर सरकार एक्शन ले रही है। जो इमीजिएट एक्शन के मामले हैं नाथद्वारा का मामला था। डेढ़ महीने के बाद तो सरकार को वहां ताला टूटने और लाखों रुपयों की चोरी हो जाने की खबर मिलती है और छः महीने बाद कदम उठाती है। जहां इमीजिएटली एक्शन लेना होता है वहां तो एक्शन लेती नहीं और जो मामूली बात है वहां ऑर्डिनेन्स बनाती है। इमीजिएटली एक्शन लेने के मामले में तो कहती है लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लेंगे, एडवोकेट जनरल की राय लेंगे, एटोर्नी जनरल की राय लेंगे। वहां तो आर्डिनन्स की नहीं सोचते, प्रोम्प्ट एक्शन की नहीं सोचते। पर इस प्रकार के मामले में जहां कानून बन गया पर फोर्स में आया नहीं, राष्ट्रपति के दस्तखत हुए नहीं, उसके लिये आगे से ही ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया।

अब वह गलती हो गई लेकिन उस गलती को नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे तो सदन के बाहर मानेंगे, सदन में नहीं। इस प्रकार की भावना मैं समझा हूँ कि सदन का अपमान है। आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कोई कानून बनाती है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहां जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको बिल भेजा जाता है और उस पर उनके दस्तखत होने के बाद ही वह कानून माना जाता है। इसका हमारे राजस्व मंत्री दूसरी इन्टरप्रिटेशन ले सकते हैं। जब तक किसी चीज़ पर राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत नहीं होते तब तक कानून बना हुआ नहीं माना जायेगा, तब तक कानून कानून नहीं है। तो उसके लिए कोई ऑर्डिनेन्स नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय ने जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है यह तो राष्ट्रपति के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। कानून तो बना नहीं, उस पर राष्ट्रपति की असेन्ट हुई नहीं और उसके पहले ही आप ऑर्डिनेन्स लागू कर देते हैं, यह गलत है। राज्य सरकार ऑर्डिनेन्स जारी करने के पहले उसके जुडीशियल आस्पेक्ट्स को नहीं देखती। हमारे संविधान की धारा २१३ में राज्यपाल महोदय को यह अधिकार दिये हैं कि वे ऑर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं पर कोई भी ऑर्डिनेन्स जारी करने के पहले माइन्ड एप्लाई नहीं किया जाता। वैसे तो यह राजस्थान गवर्नमेन्ट के लिए कोई नई बात नहीं है, १९५५ में सेल्स टैक्स कानून लागू हुआ लेकिन उसके रूल्स पहले ही बना दिये। बिना रूल्स के काम किये जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है और कानून के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है और मज़ाक किया जा रहा है, मैं तो अध्यक्ष महोदय, यहां तक कह सकता हूँ कि संविधान की धारा के अन्तर्गत जो हमने ऑर्डिनेन्स निकाला है, संविधान की जो शपथ ली है उसका हमने दुरुपयोग किया है। धारा २१३ के अन्तर्गत इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया है उसका उल्लंघन है। यह साधारण बात नहीं है। आप इधर उधर की चार बातें कह कर सारी बात को उड़ा दें, पर जो कानून अभी फोर्स में नहीं आया है, जो आने वाला है उसके सम्बन्ध में अध्यादेश कैसे जारी किया जा सकता है? ऐसे इल्लीगल, अनकॉन्स्टीट्यूशनल, इनवेलिड, अनजस्टिफायबल एण्ड अगेन्स्ट दी प्रोवीजन्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून फोर्स नहीं लाया जा सकता।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक का विरोध करें। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि उधर बैठने वाले सदस्य भूल सकते हैं कि त्रिमूर्ति के सामने उन्होंने शपथ ली थी, इसलिए मैं चाहूँगा कि कम से कम इस सम्बन्ध में डिवीजन हो तो आप हमारा साथ दें, संविधान का साथ दें जिसकी शपथ आपने खाई है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश जारी किया गया है और जिसके ऊपर अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने इसके ऊपर विचार व्यक्त किये एक और चीज़ हो सकती है जिसको माननीय मंत्री महोदय अभी कहें और वह यह हो सकती है कि क्योंकि वह पार्लियामेन्ट में पास हो गया और मानी हुई बात है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी उसके ऊपर हो जायेंगे और वह ऐसे टाइम पर पास होकर कार्यान्वित होगा तो हम जब उनको लागू करेंगे और वह पास करेंगे उसके बीच के टाइम की गुंजाइश नहीं रखी जाये। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसके क्लाज़ १ के सब–क्लॉज़ (३) जो ऑर्डीनेन्स का है यह इसलिए रखा गया है कि शायद जब कानून लागू हो उस समय और हमारे ऑर्डिनेन्स जब लागू हो तो बीच के समय का बचाव कर लिया जाये। तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसा मालूम होता है कि ऑर्डिनेन्स जारी करने के लिए कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं और समय को बचाने के लिए और भी महत्वपूर्ण परिस्थिति होनी चाहिए।

इसके अलावा किसी भी कानून के साथ यह बात लागू है कि चाहें तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है और इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता है। यह तो माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि असेम्बली सेशन में नहीं थी, इसलिए ऑर्डिनेन्स लागू कर दिया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि असेम्बली सेशन में होती तो उस समय राज्यपाल महोदय को अधिकार नहीं था कि ऑर्डिनेन्स लागू कर दें। इस हालत में सेशन से ही वह बिल पास करवाना पड़ता और जो बीच का समय था उसका भी तो कुछ न कुछ इन्तजाम करना पड़ता। तो आप वैसे भी कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते थे इसके लिए आपको कोई मना करने वाला नहीं था। मेरा निवेदन यह है कि जो थोड़ा सा समय पार्लियामेन्ट का कानून लागू होने और हमारे कानून के लागू होने के बीच का रहता है उसका प्रोवीज़न कानूनन कर सकते हैं तो फिर ऑर्डिनेन्स को लागू करने की जो परिस्थितियां हैं उसका जस्टीफिकेशन हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। मन्त्री महोदय नाराज हो सकते हैं लेकिन तथ्य तो हमारे सामने रखना ही पड़ेगा। हम यह जानना चाहेंगे कि जो ऑर्डिनेन्स लागू किया जाता है उसकी क्या परिस्थितियां हैं? उनको कहना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां थीं। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, यह ऑर्डिनेन्स लागू करके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवीज़न्स का अतिक्रमण किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे इसके ऊपर उठाये हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर चुका हूँ कि सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट ने इस एक्ट को पास कर दिया है और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने राजस्थान गवर्नमेन्ट को लिखा कि यह एक्ट जो है इसको आपके यहां भी एप्लाई करना चाहिए, यह उनकी एड्वाइस थी। राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इसको एग्ज़ामिन किया और यह देखा कि यह पोसीबिलिटी है। मगर एक्चुअल प्रेक्टिस के अन्दर ऐसे बहुत से केसेज़ कम्पोज़िट प्रोपर्टी में आ सकते हैं जो कि स्टेट लिस्ट से कन्सर्न्ड हैं। इसलिए वैक्यूम रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। हमने ऑर्डिनेन्स में भी सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट के पास किए हुए एक्ट का हवाला दिया है। पर यह हमने नहीं लिखा कि वहां के बिल को एडॉप्ट किया है। माननीय सदस्य जयपुर वाले कहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं........

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैं सुन रहा हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो सुन रहे हैं लेकिन वे तो चले गये। वे हाउस में हर बात को लाइटली लेते हैं और कह कर चले जाते हैं।

मैं आपको बतलाऊं कि इसके ऊपर असेन्ट ३–९–६० को हो गई थी। एक दफा मैं फिर कहता हूँ कि जो बहुत दुहाई दी गई त्रिमूर्ति के सामने शपथ और न जाने किस किस की दुहाई दी, अब सदन स्वयं ही देख ले कि कौन किस चीज को कितना लाइटली लेता है....

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : २८–९–६० को पास हुआ तो यह कैसे सम्भव है कि ३–९–६० को ही असेन्ट मिल जाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १८–९–६० तो ऑर्डिनेन्स की तारीख है। मैं हर माननीय सदस्य की बात को बहुत सीरियसली लेता हूँ, लाइटली कौन बात करके चला जाता है यह मैं सदन के माननीय सदस्यों पर छोड़ूंगा। इसके ऊपर राष्ट्रपति की ३–९–६० को असेन्ट हुई और यहां पर २८–९–६० को ऑर्डिनेन्स जारी हुआ और इसके कारण स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में दिये हैं और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा एमर्जेन्सी नहीं हो सकती कि वैक्यूम क्रियेट हो जाये; एमर्जेन्सी थी और ऑर्डिनेन्स बनाया जाना चाहिए था। असेन्ट होने के बाद में एक्ट ऑफ दी पॉर्लियामेन्ट लिया है और फिर उसके बाद इसके एनफोर्समेन्ट की डेट भी वही रखी है जो सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट के एक्ट की डेट है। ऐसी हालत में, मैं नहीं समझता कि इसमें क्या वैधानिक गलती हुई है। माननीय सदस्य को नाथद्वारा तो रात को ख्वाब में भी आता होगा, लेकिन अफसोस है कि उनको कामयाबी नहीं हुई। उनको नाकामयाबी उनको मुबारक हो। और बातों को तो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, लेकिन जहां तक बिल का ताल्लुक है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आपत्ति की जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात यह जानना चाहता हूँ कि यह सेन्ट्रल एक्ट, गजट में कब प्रकाशित हुआ था ? आपके ऑर्डिनेन्स जारी करने से पहले गजट में प्रकाशित हुआ था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : २५ दिन का फर्क है।

श्री दामोदरलाल व्यास : २४ सितम्बर को पब्लिश हुआ है ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : यह भी विपक्ष में गया क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आपको तो मालूम नहीं था , आपको धन्यवाद देना चाहिये एसेम्बली सेक्रेटेरियट को जिन्होने आपको इत्तला दे दी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(विराम)

विधेयक पारित किया गया ।

(११. ३२. म० प)

राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान म्युनिसिपल कर विधेयक ।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान म्युनिसिपल टैक्सेशन (वेलिडेशन) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Motion Moved,

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्तमान विधेयक है उसको में बिल्कुल अप्रजातांत्रिक मानता हूँ । अपने यहां जो म्युनिसिपल कानून बनाया था उसमें कुछ ऐसा प्रावधान रखा था कि इन इन शर्तों का पालन करने के पश्चात् टैक्स लगा सकेंगे । नगरपालिका द्वारा टैक्स लगाने से पहले उन पर आपत्ति मांगी जाती है और उसके लिये समय निर्धारित किया जाता है एक या दो माह का, जिसके अन्दर जिसको आपत्ति करनी हो करे । उसके बाद नगरपालिका के सदस्य बैठ कर विचार करते हैं और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद निश्चित अवधि के बाद राज्य सरकार के पास भेजते हैं और सरकार के पास जो आपत्तियें पेश होती हैं उनको सुनते हैं, उसके बाद नगरपालिका को वापिस भेजते हैं और उसके द्वारा अवधि निर्धारित करने के पश्चात् टैक्स लगा सकते हैं; इस प्रकार का प्रोविज़न है । वह प्रोविज़न इसलिये रखा गया है कि छोटी छोटी नगरपालिकाएं हैं वे अनुचित ढंग से ऐसे कर न लगा दें जो अनुचित हों । राज्य सरकार भी देख ले कि जो कर लगाने जा रहे हैं वे ठीक हैं या नहीं । लेकिन हम जो संशोधन पास करने जा रहे हैं उसके अनुसार यदि किसी नगरपालिका ने शर्तों का पालन न भी किया है, बिना जनता की आपत्ति लिये या राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना यदि किसी नगरपालिका का अध्यक्ष ही अपनी मर्जी से टैक्स लागू कर देगा तो वह वेलिड हो जाता है । जितने प्रशासक कार्य कर रहे हैं उन्होंने यदि कोई टैक्स लगाया है तो वह भी वेलिड हो जायगा चाहे वहां पर म्युनिसिपैलिटी के सदस्य न भी हों । ऐसे लोग भी यदि टैक्स लगा देंगे तो भी आपत्ति नहीं समझी जायगी । इसमें केवल नाम लिया है सूरतगढ़ नगरपालिका का जिसने टैक्स लगाया था और उसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवैधानिक घोषित कर दिया.

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

था, इसलिये यह संशोधन लाया गया है। लेकिन इस नगरपालिका के अलावा और नगरपालिकाओं ने भी अवैधानिक तरीके से टैक्स लगाया है और उन्होंने टैक्स वसूल कर लिया है तो राज्य सरकार चाहती है कि उसको जायज़ करार दे दिया जाय ताकि दुबारा रिफंड नहीं करना पड़े। हमने जो म्युनिसिपल कानून बनाया था उसमें कंपलसरी प्रोसीजर था जिसे सबको मानना पड़ेगा। लेकिन माननीय मंत्रीजी और राज्य सरकार चाहती है कि प्रशासकों ने या चुनी हुई म्युनिसिपैलिटीज़ ने जो कर इस ढंग से वसूल कर लिये हैं उनको रिफन्ड करने की दिक्कत न हो या वापिस रिफन्ड न करना पड़े, इसलिये ये संशोधन लाये हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने क्लॉज़ २ में लिखा है कि अब भविष्य में भी उसी ढंग से वसूल किया जायगा। यदि ठीक ढंग से नहीं लागू किया गया है तो भी लागू रहेगा। सूरतगढ़ के मामले में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिये मंत्रीजी की मंशा थी कि जिस रकम को नगपालिकाओं ने खर्च कर दिया उनको वापिस रिफंड न करना पड़े, यदि यहां तक ही बात होती तो और बात थी लेकिन इन्होंने तो यह कर दिया कि भविष्य में भी लागू रहेगा। जो व्यवस्था कानून में थी उसके अनुसार न चलने की बात समझ में नहीं आती। वे जानते हैं कि इसके विरोध में लोगों की आपत्तियां आयेंगी और राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकेगी इसलिये उन्होंने सारी नगरपालिकाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया, सरकार ने उनके लिये रास्ता खोल दिया, मर्जी आवे जैसे टैक्स लगाओ, राज्य सरकार उसे वेलिड कर देगी। यह जो आगे के लिये व्यवस्था की है वह और भी आपत्ति-जनक है। उन सारी बातों को देखते हुए इसको किस ढंग से रखना चाहिये किस प्रकार का संशोधन होना चाहिये, इन सारी बातों पर विचार करने के लिये सदन की समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल टैक्सेशन (वेलिडेशन) बिल है उसके विषय में मेरा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जो बात बताई है वह यह है कि सूरतगढ़ नगर-पालिका ने बिना बाइलॉज़ के टैक्सेज़ लगाये थे जिसके विरोध में वहां की जनता ने हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने वहां की जनता पर नगरपालिका द्वारा इस प्रकार के जो अनुचित टैक्सेज़ लगाये थे उसके विरुद्ध इस प्रकार की आज्ञा दी कि जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं वे अवैधानिक तरीके से लगाये गये हैं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के युग में जब कि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं और आज के युग को कानून का युग कहते हैं और हमारा राइट कहीं भी क्रश होता नजर आता है तो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने वाला यदि कोई राजस्थान में है तो वह हाई कोर्ट है। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार जहां कहीं जनता अपने अधिकारों की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रक्षा हाई कोर्ट की शरण लेकर करना चाहती है, तो सरकार अपने अध्यादेश से या बिल के द्वारा, हाई कोर्ट ने जिस सुरक्षित अधिकार की रक्षा की है, उसको कुचलना चाहती है, तो इसे प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। मैं यह कहूँगा कि सरकार, हाई कोर्ट की जो पवित्रता और उच्चता है उसको समाप्त करना चाहती है। हाई कोर्ट ने बताया कि इस प्रकार के बाई लॉज़ नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में सूरतगढ़ म्युनिसिपैलिटी ने जो टैक्सेज़ लगाये हैं वे वैधानिक नहीं हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने लिखा है :

"The imposition of octroi duty by the Suraj garh Municipal Board was declared illegal by the Rajasthan High Court on the ground that the bye laws framed by the board were not in accordance with the procedure contemplated by sections 44, 46 and 60 of the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951."

जब इन धाराओं के अनुसार इस प्रकार के बाईलॉज़ नहीं बनाते हैं और टैक्सेज़ लगाये जाते हैं, तो उनके विरोध में जनता आपत्ति करती है तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान सरकार के पास तर्क नहीं रह जाता है कि वह हाई कोर्ट के डिसीज़न को भी खत्म कर दे। वे इस प्रकार की बात करें तो यह मेरी समझ में किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती।

फिर मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात जो उठाई जाती है वह यह है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के ठीक तरह से बाईलॉज़ नहीं बने हुए हैं। आज किसी प्रकार बिना बाईलॉज़ के, बिना कानून के अवैधानिक टैक्स लगा दिये गये हैं और उनको आज वेलीडेट कर दें तो भी जब तक बाईलॉज़ या नियम नहीं बन जाते हैं, तब तक उनकी अनुपस्थिति में हम इस प्रकार के गलत कर को वेलीडेट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब तक बाईलॉज़ ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको वेलीडेट करना भी किसी प्रकार न्याय-संगत नहीं है क्योंकि जो कानून बनना चाहिए, वह बिल्कुल वैध है; आप कहते हैं कि न्यायोचित तरीके से लगा हुआ है, लेकिन जब तक उनके तहत बाईलॉज़ नहीं बनते, तब तक हम उसे वैध नहीं मान सकते और भविष्य के लिए इस विषय में कोई समस्या पैदा की जा सकती है। मैं कहना चाहूँगा, जब तक राजस्थान के अन्दर बाईलॉज़ और उससे सम्बन्धित नियम नहीं बन जाते, तब तक इस प्रकार का अध्यादेश और इस प्रकार बिल ले आवें, लेकिन बाईलॉज़ के तहत नहीं बने हुए नियम या इस प्रकार लगाये हुए टैक्स वैध करार नहीं दे सकते। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जो हाई कोर्ट की पवित्रता है, उसको खत्म करने का कार्य है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बताया गया है कि सूरजगढ़ के अन्दर इस प्रकार की गड़बड़ी हुई, और यह भी प्रगट किया गया है कि इसी प्रकार और म्युनिसिपैलिटीज़ में भी गड़बड़ियां हुई हैं। मैं समझता हूँ कि उनका भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार किन किन म्युनिसिपैलिटीज़ में टैक्स लगे हुए हैं, किन किन ने बिना बाइलॉज़ फ्रेम किये हुए इस प्रकार के टैक्स लगाये हैं और अवैधानिक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तरीके से जनता से टैक्स वसूल किये जा रहे हैं। यदि एक जगह की जनता अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ती है, तो समस्त राजस्थान की जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार अवैधानिक तरीके से टैक्स वसूल किये जायं, यह टैक्स का मामला ऐसा है, जिसको साधारण रूप से नहीं ले सकते क्योंकि जो टैक्स लगाये जाते हैं चाहे वे जनता से लेकर वापिस जनता तक पहुंचते हों, लेकिन जबकि उनके ऊपर भार आकर पड़ता है, तो जनता अपनी तरफ से पैसा खर्च करके हाई कोर्ट में जाय और मुकदमा लड़े; मैं समझता हूँ मुकदमा लड़ना कोई मामूली बात नहीं है कि दो आने, चार आने का टिकट लगा कर दे दिया और फैसला हो गया। तो जिन लोगों ने पैसा लगा कर हाई कोर्ट में मामला दायर किया, हजार–डेढ़ हजार रुपया खर्च किया है वकील को देने में और आने–जाने में, इस प्रकार जो अवैधानिक तरीके से टैक्स नगरपालिका ने लगाया था, उसके लिए पैसा खर्च किया है, उस पैसे को, उसके परिश्रम को, जो जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की भावना थी उसको और हाई कोर्ट के निर्णय में इस टैक्स को अवैध करार दिया उसको समाप्त करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जाता है तो मैं उसे प्रजातंत्र के सिद्धान्त के विपरीत समझता हूँ। मैं समझता हूँ, यह तानाशाही तरीका है। इसके विषय में मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे यहां लेजिस्लेचर जब चाहे गल्ती कर सकता है कानून बनाने में, और जो गल्ती करता है उस पर यदि हाई कोर्ट डिक्री या ऑर्डर दे तो हमारी सरकार या लेजिस्लेचर दूसरा कानून बना कर उसको समाप्त कर देगी। हमारे हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किये जा सकते और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट की पवित्रता को खत्म करने के लिए जो अध्यादेश निकाले जाते हैं वे गलत हैं। उसी प्रकार की यह चीज़ की जा रही है, जिसे मैं गलत समझता हूँ। फिर एक बात और है कि इस प्रकार के टैक्स लगा दिये जो बिना बाइलॉज़ के थे और जिनको हाई कोर्ट ने गलत करार दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि जिन जिन नगरपालिकाओं ने गल्ती की है, उनको इस प्रकार की हानि उठानी चाहिए, इसके जो कुछ भी परिणाम हों, उनको भुगतना चाहिए। इसके विपरीत इस प्रकार के टैक्स को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे और गुजरे समय में जो टैक्स वसूल किये हैं उनको वसूल किया हुआ माना जायगा, यह बिल्कुल गलत है। आप चाहें तो भविष्य में इस प्रकार के टैक्स वसूल कर लिये जायं और भविष्य के लिए इसे लगा सकते हैं लेकिन भूतकाल में जो टैक्स वसूल किये गये हैं, उसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है और उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। इससे जो जनता का अधिकार है, जो उसका परिश्रम है और जो हाई कोर्ट का मत है, वह समाप्त होता है। इन सारी बातों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मामला कोई मामूली नहीं है, अहम मसला है, जिसके सम्बन्ध में जनता ने तकलीफ उठाई है, जो खर्चा किया है और जिस प्रकार सारी नगरपालिकायें बिना बाइलॉज़ बनाये मनमाने ढंग से टैक्स लगाती हैं, इन सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए मैं कहूँगा कि इन सब के परिणामों पर विचार करने के लिए इसे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और वहां पर बैठ कर इसके सारे कॉन्सीक्वेन्सेज़ पर विचार किया जाय। उसकी रिपोर्ट आने के बाद इसे सदन में लाया जाय तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा वाजिब होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है, उसके समर्थन में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। वैसे तो इसमें बहुत छोटी सी बात मालूम पड़ती है कि सूरजगढ़ नगरपालिका ने एक टैक्स जनता से वसूल कर लिया और शायद हो सकता है वह पैसा आम जनता के काम में भी लग गया हो। उसके बाद यह टैक्स अवैधानिक करार दे दिया गया और ऐसी परिस्थिति में जो भी कर उन्होंने लगाया है और जो वसूल किया है, उसको विधि स्वरूप देने के लिए यह प्रस्ताव आज आया है, यह बिल आया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक टैक्स का सवाल है, इसमें जो प्रस्ताव रखा गया है कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जहां पर इस चीज़ की छान-बीन की जाय कि ऐसी कितनी नगरपालिका है, उसके अन्दर एक बात और है, यह बात यहां तक ही सीमित नहीं है और वह सवाल है कि किन किन परिस्थितियों के बीच यह टैक्स वसूल किया, क्या परिस्थिति पैदा हुई ? क्योंकि जब जनता पर टैक्स लगाते हैं, तो वहां एक स्थिति ऐसी रहती है कि जनतांत्रिक तरीके में जनता के रिप्रजेन्टेटिव भी होते हैं, जनता के लोग भी आते हैं। उसके बाद जनता पर टैक्स लगाया जाता है, वह ऐसा समझा जाता है कि वह हमारी राय से लगाया जा रहा है। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में यह रखा है कि सरकार आम जनता को सूचित करे कि म्युनिसिपैलिटी इन इन चीजों पर टैक्स लगाना चाहती है। उसके बाद जनता को अधिकार है कि वह उसके सम्बन्ध में रिप्रजेन्टेशन म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के सामने पेश करे या म्युनिसिपैलिटी की ऑथोरिटीज़ के सामने पेश करे। उस अधिकार के बाद फिर भी टैक्स लगाते हैं तो मैं समझता हूँ वह वैधानिक रूप है, परन्तु इस सब में न जाकर अगर कोई म्युनिसिपैलिटी इस प्रकार के टैक्स लगा कर उसको मान्य करवाये, तो उसका नतीजा म्युनिसिपैलिटी को भुगतना चाहिए। इसी तरह अभी हमारी पंचायतों में देखें, पंचायतों में कई जगहों पर मन माने रूप से टैक्स लगाये हैं और वसूल भी किये हैं। हमारे यहां पंचायतें बहुत ज्यादा हैं, अगर इस प्रकार का रवैया अख्तियार कर लिया तो नतीजा यह होगा कि जहां हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था टैक्स लगाने की है, वह जनतांत्रिक तरीके से हो और उसका महत्व बढ़ाना चाहते हैं वहां अगर ऐसे करों को मान्यता प्रदान करते हैं, जनतंत्र का जो मूलभूत, बुनियादी सिद्धान्त है, उसको समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने हाई कोर्ट में आपत्ति की है और उसमें जो कामयाबी हुई, उस पर उनका जो खर्चा हुआ है, उसके अलावा नगरपालिका ने किस प्रकार से टैक्स लगाया, उनकी क्या राय थी, क्या नहीं थी, वैसे मैं समझता हूँ, ऐसी कोई भी बात अपने आप में जरा सी होती है, लेकिन उसकी छान-बीन करने का मौका मिलना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिए। आगे भी इस प्रकार की चीज़ को मान्य कर सकते हैं, मगर प्रवर समिति सारी चीजों की छान बीन करे और जैसा कहा गया कि और भी नगरपालिकाओं ने इस प्रकार के कर लगाये हैं, वे कौन कौन से हैं, इस सबका अध्ययन करे और उसके बाद इस सदन में प्रस्तुत हो। वैसे जो भी कानून बन जाता है, उसकी सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए हम इच्छा रखते हैं और उसका मौका जहां तक सम्भव हो, देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय को चाहिए कि ऐसी चीजों को देखने का मौका दें ताकि प्रवर समिति पूरी तरह स्थिति को जान सके और उसके बाद प्रवर समिति स्वयं ऐसी सिफारिश कर सकती है, इसमें ऐसी कोई लम्बी–चौड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय इस बात की कीमत करेंगे और प्रवर समिति की बात को मान्य करेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान सरकार के लिये इस प्रकार के कानून बनाना कोई नई बात नहीं है और ऐसे कानून आम तौर से प्रत्येक सैशन में आ जाते हैं। वैसे इस प्रकार के कानूनों के सम्बन्ध में कटु आलोचना भी उसको सुननी पड़ती है, पर इसके उपरान्त भी हमारी सरकार ने कानों में कुछ इस प्रकार का तेल डाल रखा है कि उस पर किसी प्रकार की आलोचना का असर नहीं पड़ता। जहां उम्मीद यह होनी चाहिये इससे कि यह प्रजातन्त्रीय सरकार है और प्रजा के प्रति उत्तरदाई है, इसके विपरीत सरकार यह समझती है की चाहे कोई गलती वह करे या उसका कोई विभाग करे या स्वायत्त शासन संस्था करे उन सब गलतियों को वेलिडेट करके विधान सभा की छाप लगा कर वेलिडेट कर दिया जाय। यह भी किसी एक कानून या एक परिस्थिति के बारे में हो तो कोई बात नहीं, पर बराबर इस प्रकार की चीजें होती आ रही हैं। लोग जब हाई कोर्ट में जाकर निर्णय कराते हैं तभी जाकर सरकार कुछ करती है। वैसे विधान सभा को अधिकार है कि किसी कानून में किसी प्रकार की खामी हो तो उसको दूर कर सकती है, अधिनियम बना सकती है; पर एक बार की हुई गलती को ठीक करके हम उससे सबक नहीं लें और उसी तरह की गलतियों को दोहराते रहें यह उचित नहीं। आखिर इसकी सीमा भी होनी चाहिये कि हम बार बार इस प्रकार की गलतियों को न दोहरायें।

यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, उसमें भी इसी तरह की बात है। कहा जा सकता है कि स्वायत्त शासन संस्था है, इनका अभी हमारे राजस्थान में जन्म हुआ ही है, अभी ये बढ़ ही रही हैं, कानून के बहुत से कॉम्प्लीकेशन्स हैं, ठीक प्रकार से नहीं किया है तो उसको ठीक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, हमारे यहां इस प्रजातन्त्र में केवल नैतिक न्याय और भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता। हमको देखना है कि जनता को केवल नैतिक ही नहीं, कानूनी न्याय मिलना चाहिये। किसी की अयोग्यता या प्रशासन की खामियां के कारण खराबियां हों, उनको बढ़ने दें या बढ़ावा दें, तो यह उचित नहीं होगा।

१९५१ के एक्ट के माफिक कानून बना, बाईलॉज़ बनाने के लिये हर म्युनिसिपैलिटी पर आवश्यकताएं थीं कि इस प्रकार

(श्री तनसिंह)

की चीजों को पूरा करें, वे पूरी नहीं हुईं तो उनकी गलती को शुद्ध करने के लिये लोग हाई कोर्ट में पहुँच गये। आज यहां बैठ कर निर्णय करें कि हाई कोर्ट का कोई फैसला हो और उन टैक्सेज़ को गैरकानूनी घोषित किया, उनको यहां बैट कर वेलिडेट कर देते हैं। जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं, उनमें राजस्थान सरकार की स्वीकृति हुई है, तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर दूसरी बात यह हो सकती कि रूल्स, बाई लॉज़ राजस्थान सरकार ने सैंक्शन किये हैं। हमारा न्याय विभाग, कानून विभाग बैठ कर उस पर गौर से विचार करता है और उन रूल्स को पास करने में एक साल, दो साल और ढाई साल तक ले लेता है। मुझे स्वयं अनुभव है कि बाडमेर म्युनिसिपैलिटी के बाई लॉज़ बनने में ढाई साल लगा दिये। तो कानून विभाग अच्छी तरह से उनको देख कर, जांच करके सिफारिश करता है कि इनको लागू कर दिया जाय, तो मैं नहीं समझता कि हमारा कानून विभाग इस प्रकार की गलतियों को कैसे करता है, देखते हुए गलतियां रह जाती हैं, उन गलतियों को उसी वक्त ठीक क्यों नहीं करता ? इस तरह की गलतियां रह जाती हैं तो यह स्वायत्त शासन संस्थाओं का दोष नहीं, कानून विभाग का दोष है। इसके बाद रूल्स पब्लिश होकर गजट में आते हैं तो यह दोष कानून विभाग का है न कि स्वायत्त शासन संस्थाओं का। हमारा कानून विभाग रूल्स को और कानूनों को देखता है, हमारी सरकार छाप लगाती है, फिर गजट में जाते हैं। तो आज सरकार किस प्रकार किस जानकारी का अहंकार लिये हुए हमारे सामने आती है कि इस कानून की गलतियों को ठीक करो, इस प्रकार की गलतियां कई बार हुई हैं; एक बार हुई हो, ऐसी बात नहीं। इस प्रकार नियमों में, कानून में तब्दीलियां करते जायेंगे तो कोई फायदा नहीं। कानून में इतनी हर्डल्स हैं कि पहले जनता की राय जाननी पड़ेगी, सरकार उसको गजट में पब्लिश करेगी और फिर जनता की राय को ध्यान में रखते हुए उसे अन्तिम रूप कानून का दिया जायगा। यह प्रोसीजर इसलिये रखा है कि सारी जनता का प्रतिनिधित्व करने का हक मिले और उस प्रतिनिधित्व की जांच होने के उपरान्त निर्णय लिया जाय। यह कानून बन रहा है तो जो चीज रखी है, जनता को राय लेने की गुंजायश रखी थी उसको भी आप समेट रहे हैं।

ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बहुत सी म्युनिसिपैलिटियां हो सकती हैं जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट हुई हो और उसके बाद म्युनिसिपैलिटियों ने सोचा हो कि उन लोगों की कामयाबी होगी, इसलिये आपस में समझौता करके रिट को विद्ड्रॉ करा लिया हो, ऐसे केसेज़ मेरे ध्यान में हैं। अब इस प्रकार वेलिडेट करने के बाद वे म्युनिसिपैलिटियां उन लोगों के विरुद्ध डिक्रीज़ हासिल कर सकती हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के अधिनियमों को, विधेयकों को रखने से पूर्व सरकार को अच्छी तरह सोचना चाहिये, यहां कोई कानून रखना हो तो उसको अन्तिम रूप से रखा जाय। सरकार की विभागीय गलतियों को दूर करने का काम हमारा नहीं। उनके विभाग के उत्तरदाई अफसर हैं, जिन्होंने कानून को देखा और गलतियों को नहीं देख पाये उन अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। उनके खिलाफ तो कार्यवाही नहीं

(श्री तनसिंह)

होती और हमारे सामने यह कानून का पुलाव रखा जाता है।

अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आयन्दा इस प्रकार के कानून रखने में वह सजग-सतर्क होगी ताकि इस प्रकार वेलिडेट कराने के लिये बार बार न आना पड़े, उन्हें अपनी आंखें नीची न करनी पड़ें।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ वैधकरण विधेयक सदन के सामने है, उस पर जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूँ। विरोध करने का मतलब यह नहीं कि यह बिल है उसका समर्थन करूं। म्युनिसिपैलिटीज़ के नियम थे उनके माफिक टैक्स लगाये, वे टैक्स हाई कोर्ट द्वारा गैर कानूनी हो गये। स्वायत्त शासन संस्थाएं चलाने वाला विभाग और विधि विभाग, इन दोनों ने उस वक्त तक क्या किया, जो लोगों को न्याय पाने के लिये हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हमारी स्वायत्त संस्थाएं जिस प्रकार से राजस्थान में पनप रही हैं और विधान सभा के सामने जाते हैं कि हम जो गलती करें उसको संरक्षण दे दें। स्वायत्त शासन विभाग एक एक की बात को सदन में रखा जाय तो सदन का बहुत बड़ा समय जायगा। लेकिन मैं इन सारी चीजों पर नहीं जाकर केवल विभाग के सम्बन्ध में कहूँगा कि जरा जरा सी बातों को लेकर संशोधन सदन के सामने लाये जाते हैं, उसके लिये यह बताना चाहता हूँ कि विभाग के उच्च अधिकारियों और विभाग के दूसरे व्यक्तियों को इसके बारे में पहले ही अच्छी तरह से सोचना चाहिये कि क्या कानून बनना चाहिये। सदन को कई बार इस प्रकार का आश्वासन दे दिया जाता है कि हम जांच कराएंगे, इन्क्वायरी करावेंगे लेकिन कभी भी विभाग द्वारा यह मालूम नहीं हो सकता कि आज तक उन विभागों नें उसमें कहां तक कामयाबी हासिल की है? अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर आपके द्वारा भी एक प्रश्न पर मुझे याद है, आपने फरमाया था एक सैक्रेट्री के बारे में....

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह लोकल सैल्फ गवर्नमेंट पर बहस हो रही है या किसी विभाग पर या किसी सेक्रेट्री पर?

डॉ. बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग की बात बता रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार के इन्टरवीन करने की बात नहीं है। केवल राजगढ़ म्युनिसिपैलिटी ने गलती की उसके लिये यह....

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह राजगढ़ म्युनिसिपैलिटी का मामला नहीं है।

डॉ. बहादुरसिंह : सोरी, यह सूरजगढ़ का है। केस हाई कोर्ट में गया और वहां पर लगाये गये टैक्स इन्वेलिड करार दिये गये। प्रश्न यह नहीं है कि वह केस हाई कोर्ट में क्यों गया। प्रश्न तो यह है कि आखिर ये टैक्सेज़ इन्वेलिड क्यों करार दिये गये? डाइरेक्टर ने इनको पहले क्यों नहीं देखा जब वे डाइरेक्टर के पास कन्फर्मेशन के लिये आये थे?

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक समय इस सम्बन्ध में रिमार्क पास किया गया था। यह तो हाई कोर्ट की बात है। सदन

(डॉ० बहादुरसिंह) :

सर्वोपरी है और सर्व सत्ताशाली है, इसमें वेलिडेटिंग लाकर गलती को ठीक किया जा सकता है। आप इसको ठीक करा सकते है, मगर इसके लिये माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री इसके पास होने से पूर्व इस प्रकार का विश्वास सदन को दिलावें और आश्वासन दें कि इस प्रकार का मौका फिर आयन्दा नहीं दिया जावेगा जिससे कि न्याय की उच्च सत्ता को किसी प्रकार का निर्णय ऐसे मामलों में करना पड़े और उसके बाद फिर किसी कानून को बदलने के लिये इस प्रकार का विधेयक सदन में लाया जावे और सदन का उपयोग करें: जिससे हमारी प्रतिष्ठा को भी किस प्रकार की ठेस न लगे, अन्यथा बार बार संशोधन लाना हमारी प्रतिष्ठा के लिये भी हानिप्रद होगा।

श्री रामचन्द्र (डग—सु.) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल टैक्सेज़ (वैलिडेटिंग) बिल, १९६१ जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में बोलते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यह बिल जो हमारे सामने है, सबसे पहले इस पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि यह बिल जो है राजस्थान के किसी बड़े विभागीय कर्मचारी या किसी विभाग द्वारा की गई गलती को संशोधन करने के लिये विधान सभा में लाया गया हो, तो ऐसी बात नहीं है। यह एक बिल है कि जो स्वायत्त शासन हमारे छोटे छोटे कस्बों में चलते हैं और उनके माननीय सदस्य जितनी योग्यता रखते है हमें यहां विचार करना है कि उनसे जो गलती हुई है उस गलती का होना कहां तक संभव हो सकता है और हम उसको कहां तक दरगुजर कर सकते हैं!

अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करने के समय हमें तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिये:—

(१) यह कि यह जो भूल हुई है वह कब हुई,

(२) किनके द्वारा हुई है और

(३) राजस्थान सरकार और हाई कोर्ट के न्याय सम्बन्धी दृष्टिकोणों में क्या अन्तर है?

इन तीनों बातों पर विचार करके यदि हम वादवि—वाद करें तो मैं कहूँगा कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव आया है या इसको पब्लिक की इच्छा जानने के लिये भेजने की बात की जा रही कहते हैं, तो मैं यह कहूँगा कि इसको न तो सिलेक्ट में और न ही जनता की इच्छा जानने के लिये भेजने की आवश्यकता है, माननीय सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए यह प्रकट किया कि ऑक्ट्रोय ड्यूटी लगाने के पेशतर कोई बाई लॉज़ नहीं बनाये गये थे, लेकिन उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बॉई लॉज तो बनाये गये लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिये, क्लॉज ४४, ४६ और ६० का जो तरीका था वह अपनाया नहीं गया। बॉई लाज़ तो बनाये गये, लेकिन तरीकों को अपनाने में ही गलती हुई है। मैं यह कहूँगा कि केवल म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों से तरीकों में गलती हुई, जो होना

(श्री रामचन्द्र)

भी संभव है और वह भी अभी नहीं हुई किन्तु कुछ वर्षों पहले हुई, जबकि राजस्थान में म्युनिसिपल बोर्ड को ठीक ढंग से चलाने का केवल प्रयास किया जा रहा था। इसलिये यदि ऐसी दशा में जब कि छोटे छोटे कस्बों के म्युनिसिपल बोर्डों में कार्य संचालन करने के लिये यदि कोई कानून को अमल में लाने के लिये गलती हो गई हो या कोई लेकुना रह गया है और उस आधार पर हाई कोर्ट ने तमाम टैक्सेज़ को इनवेलिड करार कर दिया है तो उसके लिये मैं यह कहूँगा कि हाई कोर्ट का तो कानूनी गलती पकड़ने का काम है। हाईकोर्ट हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची अदालत है। वह इस बात को नहीं देखती कि यह गलती विशेष जानकारी नहीं होने से हुई है या जान कर हुई है। वह तो कानून की दृष्टि से जांच करती है। हमें अब विधान सभा में यह विचार करना है कि जिन संस्थाओं से यह गलती हुई है वे हमारी ही तो समस्याएं हैं और उनको चलाना राज्य सरकार का काम है, जिसमें हमें पूरा सहयोग देना चाहिये। राजस्थान सरकार ऐसे कार्यों को उस दृष्टि से नहीं देखती है तो वह हाईकोर्ट के समान की कानूनी दृष्टि से नहीं देखती। वह तो समझती है कि ये हमारी छोटी–छोटी संस्थाएं हैं और जिनमें सदस्यों की शिक्षा का स्तर साधारण है। इसलिये उन नियमों को पालन करने में यदि कोई गलती रहने के कारण हाईकोर्ट ने जो हमारे न्याय की ऊंची से ऊंची अदालत है, किन्हीं खामियों की वजह से उचित न्याय दिया है तो आज हमें विधान सभा में बैठ कर खामियों को रेक्टीफाइ कर देना चाहिये और इसको अवश्य मान लेना चाहिये। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने या इसके जनता में प्रसारित करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, यह मेरी राय है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १९६१, जो हमारे सामने है और उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, १९५१ जब बना और उसके बाद में सन् १९६१ तक इसमें टैक्सेज़ की धाराएं इस प्रकार की नहीं थीं जिससे वे जनता से टैक्स वसूल कर सकें और उसे वसूल करके अपना कार्य चलाएं। अब हमारे सामने यह बिल आया है और इसमें सारा झगड़ा म्युनिसिपल बोर्ड का हाईकोर्ट में गया और वहां पर राजस्थान सरकार को हार खानी पड़ी, ऐसी स्थिति में सरकार को उस म्युनिसिपैलिटी को सहायता प्रदान करने के लिए यह बिल सदन में पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ और वह इसलिये कि ऐसे बिल हमारे सामने आते हैं और इस बिल से हमारी जनता को कमियें महसूस हो जाती हैं और वह अपने अधिकारों का हनन समझती है और जो कर उन पर नहीं लगने चाहिये वह उन पर लादे जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी इस प्रकार की चीजों पर कर लगाती है जिससे जनता अपना गुजारा ठीक तरह से नहीं कर सकती। मैं यह कहूँगा कि जलाने की लकड़ी कोई लावे, उस पर कर लगाती है जिससे उसको कोई महत्व मिलने वाला नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि म्युनिसिपल कर विधेयक, १९६१ सदन में विचारार्थ लिया

(श्री लादूराम सुलाणिया)

जा रहा है और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा ५९ के अन्तर्गत राज्य में किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा लगाये गये समस्त कर विधिपूर्वक लगाये हुए

(१२. म० प०)

समझे जायेंगे और ऐसे करों के समस्त संग्रहण विधिपूर्वक किये गये समझे जायेंगे तथा वापसी योग्य नहीं होंगे।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लोग हाई कोर्ट में जाकर अपने करों को मुक्त करा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं और कानून की तहत में उस पर अमल करना पड़ता है। इसके बारे में आप एक लाइन में यह लिख दें कि वे टैक्स वैध समझे जावेंगे जो लगा दिये गये हैं। आप कर लगावें, इसके बारे में मेरा कोई विरोध नहीं। मेरा विरोध तो नाजायज़ करों के बारे में है। आजकल, मैं यह कहूँगा कि नाजायज़ कर लगाये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर करों के लगाने में कोई गलतियां थीं, तो उसके लिये आप अलग से कुछ संशोधन पेश करते। जैसे पिछले दिनों म्युनिसिपल एरिया में जितने भी बसने वाले परिगणित जाति के लोग हैं उनको मुफ्त जमीन दिये जाने का प्रावधान था, यानी जहां वे बसे हुए हैं वहां पर उनको मुफ्त में जमीन दी जावेगी। उसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थानी अन्य म्युनिसिपैलिटियों में परिगणित जाति के लोग बसे हुए हैं। मैं मेरी मान्यता के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ कि एक को भी भूमि नहीं मिल पायी है जिससे वे अपने भवन निर्माण कर सकें और फायदा उठा सकें। मेरा निवेदन करने का मकसद यह है कि बिल ऐसा होना चाहिये जिससे लोगों को फायदा हो, गरीब लोगों की गरीबी दूर होवे। राजस्थान में भेदभाव का बर्ताव अधिक है। यदि उनको मुफ्त जमीन मिले तो उनकी दशा सुधर सकती है और आपको भी उन लोगों का श्रेय मिल सकता है कि राजस्थान ने ठीक तरक्की की। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये जहां पर गम्भीरता से विचार किया जावे, ऐसी मेरी मान्यता है। माननीय मंत्री यह चाहें कि इस प्रकार के बिल सदन पारित करता जाये तो फिर वे एक ऐसा बिल ही क्यों नहीं पेश कर देते हैं और पास करा लेते हैं कि कोई भी हाई कोर्ट में न जांये और जितना राजस्थान की जनता का गला घोंट सकते हैं जी भर कर घोंट दें, न्याय मिले या न मिले परवाह नहीं। ऐसा बिल माननीय मंत्रीजी पास करवा लें जिससे जो अन्याय ढाया जा रहा है वह हाईकोर्ट के सामने न जा सके और अच्छी तरह से जनता का शोषण हो सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि म्युनिसिपल बिल में अमेन्डमेंट लाने के लिए और उनमें कई ठीक संशोधन करने के लिए धारणा होनी चाहिये। म्युनिसिपैलिटी के जितने कर्मचारी हैं उनको ठीक समय पर वेतन नहीं मिलता है। उनके लिए कभी परवाह नहीं की गई कि उनको वेतन मिलना है या नहीं। उनको वेतन भी इतना कम दिया जाता है कि वे अपना पेट पालन नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहिन सकते

(श्री लादूराम सुलाणिया)

और न अपने परिवार को पाल सकते हैं। इस प्रकार के म्युनिसिपल बिल में ऐसा अमेन्ड-मेन्ट माननीय मंत्रीजी लायें कि जिससे सारे लोगों को पता चले कि राजस्थान में परिगणित लोग हैं, जो हरिजन हैं, आज तक म्युनिसिपैलिटी में उनका ही ठेका रहता है, दूसरी जाति उसमें नहीं आती है, अब आगे से दूसरी जाति के लोगों को भी रखा जायगा। हर म्युनिसिपैलिटी में मेहतर कहलाने वाले लोग हैं, उनका ही ठेका होगा कि वे सारे अपनी जाति के हों। फिर मंत्रीजी इसमें ऐसा अमेन्डमेन्ट क्यों नहीं लावे कि हर जाति के सवर्ण लोग भी उनमें हों। जब शिडयूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्वेशन करते हैं तो कम से कम म्युनिसिपैलिटीज में १२॥ प्रतिशत सवर्ण लोग म्युनिसिपैलिटीज़ में झाड़ू लगाने का काम करें और इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट बिल में आपको लाना चाहिये, दीगर अमेंडमेंट तो ला देते हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ में झाड़ू लगाने के लिए सारे हरिजन लोग ही क्यों हों? यदि इस प्रकार का अमेंडमेंट लावेंगे तो मैं मानूंगा कि हमारी सरकार जागरूक है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ के किसी भी ऑफिस को आप जाकर चैक कर लीजिये। भंगी ड्युटी पर होंगे, वहां पर काम करने वाले चपरासी भंगी नहीं होंगे। क्यों नहीं होते हैं? वहां का कौंसिलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इन्जीनियर, ओवरसियर, चाहे क्लर्क हो, कोई भी बाबू हो वह भंगी नहीं होगा। उनके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, इसलिए भंगी को चपरासी नहीं रखते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : भंगी चमार पर क्या बोल रहे हैं, बिल पर बोलिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने वैधानिक आपत्ति उठायी है कि बिल पर बोलिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज-कल जो म्युनिसिपल मिनिस्टर हैं वे हमारे हमदर्द हैं, मतलब हमारी कास्ट के प्रति हमदर्द हैं। वे ऐसा अमेंडमेंट लावें। एक साल नहीं, अब तो नौ-दस महीने ही रह गये हैं। इसलिए इस अर्से में वे प्रकार के अमेंडमेंट लायें, जिससे कि लोग-बाग पिछड़े हुए, जो रह गये हैं वे तरक्की कर सकें। सरकार उनकी तरक्की के लिए उनको आगे लाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। यदि बिल में ऐसा अमेंडमेंट लायें तो उनका उद्धार हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है।

१२. १५ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव किया है। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूँ। मन्त्री महोदय इस प्रकार की फायदे की बातें इस बिल में लायें तो तरक्की हो सकती है, गरीब लोगों का फायदा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

जो म्युनिसिपल कर विधेयक हमारे सामने पेश हुआ है, और उसके ऊपर जो प्रस्ताव आया है कि उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, मैं उसका विरोध करता हूँ। जो कर लगाये गये हैं वे म्युनिसिपैलिटीज़, स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा लगाये गये हैं, म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार टैक्स लगे हैं। टैक्स लगाने का जहां तक अधिकार है म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के तहत लगा सकती हैं। इसके अन्तर्गत नियम, उप–नियम नहीं बनाये गये। उनके सम्बन्ध में झगड़ा पड़ा और यह मामला हाई कोर्ट में गया। चूंकि नियम, उप–नियम नहीं थे इसलिए टैक्स को अवैध करार दे दिया गया। यह ठीक है कि नियम उपनियमों का पालन करना चाहिये। यह जनतान्त्रिक युग है और उसमें नियम और उप-नियम का हर तरह से पालन होना चाहिये। यह मैं कहना चाहूँगा कि यह जो कमी है वह स्वायत्त शासन विभाग की कमी है। मैं यह भी कहूँगा कि यह विभाग बड़ी बेफिक्री से सोता है और इस ओर देखने की कोशिश नहीं करता है। ऐसी बहुत सी जगह हैं, बाइलॉज़ पास होकर आ चुके हैं लेकिन जो बाईलॉज़ आये हुए हैं उनको साल भर हो गया है और उनको पास करके नहीं भेजा गया है। वे अभी तक जांच में ही पड़े हुए हैं। इधर तो स्वायत्त शासन संस्थायें बाईलॉज़ बना कर भेजती हैं और वे स्वीकृत साल साल भर तक नहीं होते हैं और उधर वे कर लगा देते हैं, तो वैधकरण और अवैधकरण का मामला हाई कोर्ट में जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बाईलॉज़ हैं उनकी जांच खुद माननीय मन्त्री जी करायें कि कहां कहां बने हैं और कहां कहां नहीं बने हैं। नहीं बने हैं तो उनको जल्दी बना कर स्वीकृत करना चाहिये। जो कर लगाये गये हैं वे जनता को भलाई के लिए लगाये गये हैं और जो पैसा आया वह भी उनकी भलाई के लिए लगा दिया गया। यदि यह विधेयक पास नहीं होता है तो जो म्युनिसिपैलिटी ने पैसा खर्च कर दिया है वह पैसा कहां से दिया जावेगा? हाईकोर्ट ने जैसा इसको अवैध करार दिया और उसको वैसा ही मान लिया गया तो राजस्थान में सौ में से ७५ म्युनिसिपैलिटीज़ ऐसी होंगी जो इससे डगमगा जावेंगी। टेक्निकैलिटी के कारण हाई कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया है। इस पर विचार करना है। वैधकरण के लिए ही यह बिल आया है, वह उपयुक्त है। सिलेक्ट कमेटी क्या करेगी? यही तो विचार करेगी कि वैध करना है या नहीं। यदि आपका बहुमत यहां भी है तो उसको पास करवा लीजिये। कोई ऐसा कानूनी मसला नहीं है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं कि प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है। स्वायत्त संस्थाओं का काम ठीक चले, इसलिए इस वैधकरण बिल को पास करना चाहिये और जो प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है उसको पास नहीं करना चाहिये; मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल कर वैधकरण विधेयक, १९६१ का मैं समर्थन करता हूं। इस बिल को पास करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी राजस्थान की नगरपालिकाओं में जो गड़बड़ियां बनी हुई हैं उन गड़बड़ियों के कारण हाई

(श्री हरिप्रसाद यादव)

कोर्ट में रिट्स गईं और हाई कोर्ट के फैसले के बाद विधान सभा में इस प्रकार के अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता थी। माननीय अपोज़ीशन के सदस्य ने इसका विरोध किया और कहा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, मैं इसका विरोध करता हूं। इस तरह से हरएक बिल को प्रवर समिति में भेजते जायेंगे तो सैकड़ों प्रवर समितियां बनानी पड़ेंगी और इससे राजस्थान के गरीब किसानों और मजदूरों का और मध्यम वर्ग के व्यापारियों का जो पैसा है वह सब उनके टी. ए., डी. ए. में चला जायेगा। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और उनका दिमाग इस ओर खींचूं कि आप इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करें....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : क्यों पास किया जाय, यह तो बतलाइये ?

श्री हरिप्रसाद यादव : आप तो बैठिये, आपसे मैं ज्यादा समझता हूं

अब मैं उदयपुर टाउन म्युनिसिपैलिटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं....

श्री लादूराम सुलाणिया : यह बीमारी आपके वहां भी आ गई क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी द्वारा जो जमीन का वितरण होता है उसमें कई टैक्स लगाये जाते हैं वे सब जनता की भलाई के लिये हैं। वहां जो एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर है वह वहां की जमीन को जो तीन रुपये गज की है उसे वह ३० रुपये गज में देता है। जैसा कि आज प्रश्नोत्तर काल के समय अध्यक्ष महोदय के सामने बहिन चन्द्रकला जी ने यहां पर थड़ी लगाने के बारे में प्रश्न किया, उस वक्त मैं बोल नहीं पाया क्योंकि उस समय 'हां-हू' बहुत ज्यादा हो रही थी। माननीय मन्त्री महोदय से इस विषय में निवेदन करूं कि आखिर हरिजन कितने हैं, आप खुद हरिजन हैं, मैं हरिजन हूं, हरिजन मिनिस्टर होते हुए भी हरिजन को एक भी थड़ी नहीं दिला सकते....

श्री लादूराम सुलाणिया : बिल पर बोलिये। प्रवर समिति का सवाल आया है, उस पर बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि यह बिल प्रवर समिति को न भेजा जाय....

श्री उपाध्यक्ष : एक थड़ी आपको भी दे दी जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव : (जारी) मुझे तो नहीं, मेरे भाई किसी दूसरे को दे दीजिये।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने यहां की म्युनिसिपैलिटी के बारे में काफी प्रकाश डाला है। धौलपुर म्युनिसिपैलिटी में कई गड़बड़ियां हैं उनके बारे में कई आवेदन पत्र हैं जिनकी जांच हो रही है। कई म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में केस चल रहे हैं।

इसके बाद किशनगढ़ से आने वाले

(श्री हरिप्रसाद यादव)

माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया, उनकी राय से मेरी राय मेल नहीं खाती । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये बहुत सी रिटें हाई कोर्ट में हो रही हैं इसलिये जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करेंगे ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker,

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I have heard it.

श्री अर्जुनदास : I think this...

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०): हिन्दी में बोलिये

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये ।

श्री अर्जुनदास : My friends request me to speak in Sindhi.

श्री उपाध्यक्ष : Which, I fear, I will not allow.

श्री अर्जुनदास : Pardon ?

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

श्री अर्जुनदास : Mr. Deputy Speaker. All along we have been speaking in legal phraseology and swearing by law, but I believe the present Bill in itself is the negation of law altogether. What we propose to do in this Bill is that not only all those taxes that have been recovered illegally so far shall be deemed to be valid, but hereafter also the taxes shall continue to be recovered in a manner which is not warranted by law.

Is there anybody who can vouchsafe a statement like that, that we should continue to recover taxes which have been levied contrary to law ? I will request the Hon'ble Member-in-charge of the Bill to please let us know what handicaps he has in repuesting the House to allow these taxes to be recovered hereafter, i. e. for future as well. This Bill is not only for the past, it is for the future as well. I believe the rules and bye-laws have been framed only with a view to see that no harassment is caused to the public. They have to be given due notice. Certainly, when the Hon'ble High Court says that these taxes have not been imposed in accordance with law, they mean to say that the rules have not been observed.

It is true that you may have recovered certain taxes before that, it is also true that you may find it difficult to refund those taxes, but why make a provision for future also ? For future, the proper course

(श्री अर्जुनदास)

is to call for objections and proceed absolutely in accordance with law. Why don't you do that ? Very probably the Hon'bleMember-in-charge of the Bill fears that if the regular procedure is observed, there will be so many objections that he will not be able to answer them.

Therefore, my submission is that we should pass the Bill for the past. That is one thing. But to pass a law of this type for the future, I think it would be very well for the Government to say that hereafter, "Nothing doing with any law in the whole of Rajasthan, the word of the Hon'ble Minister will be the law for Rajasthan." Why not say that ? This really comes to it. So my submission is that we should not be hasty to enact or introduce any Bills like this which really do not smell well.

The other thing is that we have a judiciary and everybody agrees that judiciary is supreme. People go to judiciary in order to get redress of their grievances and not merely to obtain paper decrees from there. A judgment has been given, and here comes the Hon'bleMember-in-charge of the Bill and tells the House, "We don't accept this judgment, though legally we are bound to accept it. But I have found out another way of getting over the High Court even. That is, by the brute majority of my people here, so that the judgment of the High Court shall not be binding in Rajasthan." As I understand from the talk here, probably there may have been one or two judgments in a few cases and there may be difficulties with some of the Municipalities. But instead of regularising those little defects for those particular municipalities, the Hon'ble Member-in-charge of the Bill comes around with the preposterous suggestion that for all the Municipalities all over Rajasthan this Bill be passed. What a funny thing! Because one Municipality has committed a mistake and the High Court has not agreed with it, therefore, all the Municipalities should be covered by this Bill ! Certainly it is absurd.

The greatest objection that I find is that the whole Act of 1951 is dead and gone by this time. You are whipping a dead horse now. The Rajasthan Municipalities Act, 1951 is no more on the Statute Book. It has been repealed and after the Act is dead and gone, how can you think of passing a law validating certain sections in or actions under that very Act ? I would, therefore, request the Hon'ble Member-in-charge of the Bill to please tell us what his difficulties are ? If the difficulties are only with two or three Municipalities, then let him not bring forward a Bill which may cover hundred and one Municipalities and hund-

(श्री अर्जुनदास)

red and one things which may be found even hereafter. We should not go by hypothetical things. As the Hon'ble member from Kishengarh says, such things might have happened in 75 percent of the Municipalities. If that is the real position, the Hon'ble member has no business to be in-charge of this portfolio. To say that 75 per cent of the Municipalities have been imposing and collecting taxes without observing proper procedure is not the fault of the Municipalities, but of the Ministry and the Secretariat in Jaipur. With this admission coming from the Treasury Benches, I have no reason to dispute them and I must accept them at par. They do not do any credit to the Hon'ble Member-in-charge of the Bill. I would request him to rise equal to the occasion and tell us what are his real difficulties. We have sympathy with him, but he should not go by hypothetical cases. The implications of this Bill are much more than what the Hon'ble Member-in-charge of the Bill is trying to make out, Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी में जुडीशियरी सुप्रीम है। यह कह कर वे डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर के स्थान को गौण कर रहे हैं। पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में Lagislature is the supreme body. इस दृष्टिकोण से यह विधेयक हमारे सामने है। कहा गया कि हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया है, लिटीगेन्ट का बहुत पैसा खर्च हुआ है, उनको कोई लाभ नहीं हुआ, यह ठीक नहीं है।

जुडीशियरी की भावना है, वह लॉ को जिस तरह चाहे इन्टर प्रेट कर सकती है, इसी तरह लैजिस्लेचर सुप्रीम है, वह चाहे जैसा लॉ बना सकती है और जो लॉ बनाया जा रहा है जुडीशियरी की भावना की कद्र करते हुए बनाया जा रहा है। इसलिए यह कहना कि जुडीशियरी सुप्रीम है और लैजिस्लेचर का महत्व कम करें, तो यह ठीक नहीं है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया ५१ के कानून के रद्द होने के बाद इसकी क्या जरूरत ? माननीय सदस्य जानते हैं कि ५८ में जो कानून पास किया उसमें जो पहले के बाई लॉज़ या नियम हैं वे बदस्तूर लागू रहेंगे। इस दृष्टिकोण से भी जरूर होगा कि जो लोग ५१ के बाई लॉज़ को रोकना चाहते हैं, उसके लिए भी इस विधेयक को लाया जाना जरूरी है। यह सही है कि भविष्य में नये बाई लॉज़ लागू करेंगे तो वे इससे गवर्न नहीं होंगे। वे तो नये लॉज़ से ही गवर्न होंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमन्, इस विधेयक के विषय में मेरी भावना यह है कि बहुत ही भद्दी और गलत परम्परा हम कायम करने जा रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि किसी भी प्रकार का वैधकरण विधेयक सदन में प्रस्तुत ही नहीं किया जावे। पर उनके लिए कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होनी चाहिये कि जिनके अन्दर वैधकरण को पेश करना आवश्यक हो जाता है और उनके

(श्री महेन्द्रसिंह तंवार)

अन्दर भी हमारी मर्यादाओं का किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिये।

पर जहां तक प्रस्तुत विधेयक का सवाल है तो मैं यह पाता हूँ कि यह कुछ हमारी बहुत बुनियादी मर्यादाओं पर हमला करता है। अभी मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनका मत ऐसा है कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में लैजिस्लेचर सुप्रीम है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जुडीशियरी सुप्रीम होती है। मगर जहां तक वैधानिक सिद्धान्त को सही समझदारी हम बताते हैं वह यह बताते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में एग्ज़ीक्युटिव, लैजिस्लेचर, जुडीशियरी तीनों सुप्रीम हैं। एक दूसरे के क्षेत्र में किसी दूसरे के क्षेत्र के हस्तक्षेप करने का सवाल ही नहीं है। इन शक्तियों के सेपरेशन के आधार पर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी बनती है। अगर इनमें गड़बड़ी कर दी तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो सकता है। एक हाई कोर्ट फैसला देती है कि फलां कानून चूंकि लैजिस्लेचर बनाती है इसलिये उसे रद्द कर दो, लैजिस्लेचर सोचती है कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो उसे बदल दो, नया कानून बना कर उसके फैसले को रद्द कर दो। तो यह आपस की दौड़ और कन्ट्रोवर्सी से हुकूमत नहीं चलती। तीनों को मिलकर एक दूसरे के प्रति इज्जत रखते हुए चलना चाहिये। इसलिये अपने अपने क्षेत्रों में इन तीनों को सुप्रीम और अलग माना है।

एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस विधेयक में भी कोई वैधानिक बात है या नहीं। मेरी शंका है, मैं उसे सदन के सामने रखना चाहता हूँ। अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उसके अन्तर्गत कोई रिट जारी की है और उसके अन्तर्गत एक संस्था को या म्युनिसिपल कमेटी को टैक्स वापिस करने का आदेश दिया है तो क्या उस ऑर्डर को राजस्थान सरकार नलीफाई करा सकती है इस लैजिस्लेशन से? अगर ऐसा करा सकती है तो मेरे ख्याल से ऐसी सरकार में, ऐसी हुकूमत में किसी का विश्वास नहीं रहने वाला है। कई बार आपके महकमों पर हजारों की डिक्रियां होती हैं, कई बार आप गलतियां कर सकते हैं और उनके लिए आप पर डिक्रियां होती हैं। आप उन सब अदालतों के लिए भी कानून बना दीजिये कि इस तरह की डिक्रियां देने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या जनता का आपकी शासन-संस्था में विश्वास रह जावेगा किसी का? अजीब हालत आप पैदा कर देते हैं। इसके पीछे कौनसे सिद्धान्त हैं। कानून के सतत् निरादर की परम्परा आप जारी कर रहे हैं या कानून का आदर कर रहे हैं? मैं इसे इस दृष्टि से अजीब सी चीज़ मानता हूँ। देखिये जो म्युनिसिपैलिटियों का कानून हमने बनाया उसमें आखिर हमने टैक्स लगाने के बारे में विशेष विधि क्यों रखी कि नोटिस जारी करो, लोगों की राय लो, उनके ऑब्जेक्शन इन्वाइट करो। इसलिए कि हमने इन सब को जनहित में माना है। आप नोटिस निकालिये, गजट में शाया करिये, ऐतराज मांगिये कि हमने इन टैक्सेज़ को लगाने का इरादा किया है। लोग निश्चित समय में ऐतराज पेश करें। कई बातें सामने आती हैं जनता की तरफ से। इस पर जो टैक्स लगाने वाले लोग हैं वे सोच भी नहीं पाते। आम तौर से म्युनिसिपैलिटी में लोग हैं वे टैक्स में मेरे खयाल से व्यवहार की बारी-

(श्री महेन्द्रसिंह तंवार)

कियों को समझने वाले बहुत कम होंगे। अब एक टैक्स लगाने से व्यापारी पर लम्बे अर्से में जाकर क्या असर पड़ने वाला है, किस चीज़ के आने–जाने पर, उसके इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये बिज़नैस की बारीकियां जानने वाले ही जानते हैं, हम लोग भी उनसे सलाह–परामर्श लेते हैं और यह आवश्यक माना गया है। परामर्श लेने पर फिर आप मानें या न न मानें, यह अलग बात है। पर कई दृष्टिकोण ऐसे होते हैं जो जनता ही बता सकती है। उस दृष्टिकोण से म्युनिसिपैलिटीज़ में रहने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। उनमें इतनी योग्यता भी नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूँ। हममें से अधिकतर का ज्ञान भी उतना नहीं है कि इसका फाइनेन्स पर, उन पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम खुद भी एक्सपर्ट लोगों की ओपीनियन का फायदा उठाते हैं। तो जो म्युनिसिपल बोर्ड के लिए कानून बनाया गया है वह बड़े बुनियादी जनहित को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जो बन्दिशें लगाई गई हैं वे भी इसी दृष्टिकोण से लगाई गई हैं। अब गवर्नमेंट की यह ड्युटी है कि वह यह देखे कि सारे प्रोसीजर को पूरी तरह फोलो किया गया है या नहीं। नहीं किया गया है तो सरकार का फर्ज है कि वह उसे रोके।

दुबारा इश्तिहार निकालिए। दो महीने की डिले हो जाने से दिवाला नहीं निकल जाता। पर कानून की अवहेलना करने से जनहित की बुनियाद पर चोट पड़ती है। वरना कानून बनाने का मतलब क्या? आप तो फिर यह लिख दीजिये कि यह कानून लोगों के लिये ही है, हुकूमत का कोई आदमी इसे माने या नहीं माने उस पर कोई किसी का ऐतराज नहीं माना जावेगा। यह डेमोक्रेसी की परम्परा नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है। राज्य नियम के अनुसार ही किया जावेगा। इस लॉ के प्रतिकूल जो कुछ भी किया गया है उसको वैधानिक और उचित नहीं माना जावेगा और हमारा फर्ज यह है कि जो नियमों का वायोलेशन करें उन्हें रोकें। अदालतों को भी हमने इसीलिए बनाया है कि वे देखें कि कोई इन कानूनों की अवहेलना तो नहीं कर रहा है और यदि कोई कर रहा है तो उस अवैधानिक शक्ति को रद्द करें। अगर इतने अधिकार भी हम अदालतों को नहीं देना चाहते तो बेकार है, लाखों और करोड़ों रुपया हाई कोर्ट के जजेज़ पर बेकार खर्च करते हैं।

हां, ऐसी कोई बात होती, कोई इन्डी–विजुअल कानून होता कि किसी पर्टिकुलर मिल को टेकओवर किया, उसके प्रोसीजर में थोड़ी टैक्नीकल खामी रह गई उसको आप रेग्युलराइज़ कीजिए। अब तक तो आपने वसूली की वह तो की और जनता की राय जो आपने नहीं सुनी थी वह अब भी नहीं सुनना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इससे ज्यादा कानून का निरादर दूसरा नहीं हो सकता। चाहे हम महसूस नहीं करें, जहां आप कानून की अवहेलना को थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपका मानस इतना मोटा और गंदा होता चला जाता है तो बाद में आप यदि बड़ी से बड़ी अवहेलना कर दें तो भी आपके कान पर जूं नहीं रेंगेगी। कानून बहुत बड़ा सेक्रेट

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

माना जाता है । हमारे बच्चे घरों में गंदे फिरते हैं लेकिन मन्दिर को हम दिन में दो बार धोते हैं क्योंकि वह सिक्रेट जगह है, वहां पर जरा सी भी गन्दगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसको पूज्य मानते हैं । इसलिए जनतान्त्रिक पद्धति में कानून ईश्वर के समान पवित्र है । अगर उसके ऊपर आप जरा सी भी गन्दगी को बर्दाश्त करते है तो आपका दिमाग धीरे धीरे गन्दा होता चला जाता है । थोड़े थोड़े अधिकार अगर आप जनता के लेते हैं तो वह समय आने वाला है जब डिक्टेटर पैदा होगा । जिस जिस मुल्क में डिक्टेटरशिप हुई है उसमें सरासर जनता के छोटे छोटे अधिकारों पर हमला हुआ है और उसी को लेकर डिक्टेटर उठता है । ऐसे वहां से डेमोक्रेसी समाप्त हो जाती है । अगर इस तरह से कानून की अवहेलना को बर्दाश्त करना शुरू किया तो इसका परिणाम यही होगा कि जनतन्त्र हमारे देश से उठ जायेगा । वैसे आप इसको पास कीजिये, आपकी मैजोरिटी है; लेकिन आप देश के लिए अच्छी परम्परा कायम नहीं कर रहे हैं । अगर आपने इस चीज़ को किया तो आपकी यह डेमोक्रेसी आज दिन टिकने वाली नहीं है और एक न एक दिन डिक्टेटरशिप आ जायेगी । इसलिये मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर अव्वल तो मैं इस वैलोडेटिंग एक्ट के खिलाफ हूँ क्योंकि आपने जो गलत वसूल किया है उसको तो आप लौटाइये । आखिर उसे आपको अपनी जेब से नहीं लौटाना है, जनता के खजाने से ही लौटाना है; लेकिन जिन लोगों को अधिकार है रकम वापिस लेने का तो उनको वह रकम लौटाई जाये । जब टैक्स लगाया जावे तो उसका इन्सीडेन्स उन लोगों के ऊपर नहीं आये जिससे पहले वसूल किया है । तो मैं इस विचार का आदमी हूँ कि आप तो टैक्स लगायें और पुराना टैक्स जो अब तक आप वसूल कर चुके हैं उसको लौटायें । कम से कम मैं तो इस हद तक जाने की सिफारिश करूंगा कि अब तक जो वसूली हो गई है आप उसको वेलोडेट करें और वह भी उन केसेज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि जिन लोगों ने रिट की थी और जिनके हक में फैसला हुआ है । उन एक्चुअल पिटीशनर्स के केसेज़ को अलग छोड़ते हुए बाकी दूसरों से जो वसूल हो चुके हैं अब तक उसको आप वैलीडेट कर दीजिए । लेकिन भविष्य के लिए आप बोर्ड से कहें कि वह राइट प्रोसीजर को एडॉप्ट करें और जो सही कानून बनाया है उसका पालन करते हुए उसके अनुसार ही काम करें । इन सिफारिशों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लाइट में इस विधेयक में परिवर्तन करने के लिये आप इस विधेयक को दो—तीन दिन के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए या फिर मंत्री महोदय स्वयं चाहें तो उसको देखकर हेरफेर कर लें । बाकी जिस रूप में यह विधेयक है मैं उसको बहुत ही कटु मानता हूँ ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने माननीय मित्र का भाषण बड़े ध्यान से सुना । जहां तक हमारे सामने म्युनिसिपल वेलीडेशन बिल प्रस्तुत है उसको देखते हुए उन्होंने जो भी बातें हमारे सामने रखी हैं मैं उनको उनकी आशंका मात्र कह सकता हूँ । जनतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों का जो जिक्र आपने यहां किया और उस ओर जो ध्यान खींचा मैं समझता हूँ कि उससे असहमत होने का तो

(श्री जनार्दनराय नागर)

कोई प्रसंग ही नहीं है, लेकिन हमें देखना यह है कि यहां जो सदन के सामने प्रस्ताव है उससे क्या हम जनतंत्र के बुनियादी सिद्धान्तों का कहीं उन्मूलन भी कर रहे हैं । जो म्युनिसिपल एक्ट इस सदन ने बना कर लागू किया और जिसके अन्तर्गत कुछ टैक्स वसूल किये जाते हैं म्युनिसिपल कमेटियां द्वारा उनमें कुछ पद्धति की या कुछ प्रशासन की कमियां रह जाने की वजह से एक प्रसंग उत्पन्न हुआ और उस प्रसंग पर राजस्थान के उच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया । मैं समझता हूँ कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो फैसला दिया गया उस फैसले का न तो इस प्रसंग में कहीं भी उल्लघंन करने का प्रश्न है और न इन्कार करने का प्रश्न है । केवल प्रसंग इतना है कि जो जिस म्युनिसिपल बोर्ड ने और कमेटी ने टैक्स लगाये और जिसके लगाने का उनको कानून ने अधिकार दिया और हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनमें कुछ टैक्स तो ऐसे हैं कि जो अनिवार्य हैं और जो हर म्युनिसिपल कमेटीज़ को लगाने होते हैं । यदि इसमें किसी एक्ट की कमी के कारण, जो साधन और कार्यवाही की कमी नहीं है जो कि प्रक्रिया की, पद्धति की कमी है उसके कारण लगावे गये टैक्स अनियमित हो जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना हैं कि उस अनियमितता की जो कमी है उसको दूर करने के लिए इस सदन को कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसी कार्यवाही जब हमारे सामने आये तब हम बड़े बड़े बुनियादी प्रश्न उठायें, उस पर चर्चा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बात तो बहुत छोटी है और उसको गम्भीर रूप देने की हमारी इच्छा है । जनतांत्रिक प्रक्रिया में निस्सन्देह ऐसा प्रसंग आयेगा, विधेयक में संशोधन करना पड़ेगा जिससे हम चुनावों के साधनों को अधिक विकसित करने के लिए कार्यवाही कर सकें । आखिर जो प्रक्रिया विकासोन्मुख है उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाना स्वाभाविक है । इसलिए ऐसे संशोधन हमें समय समय पर करने होंगे और ऐसे संशोधनों को करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे बुनियादी हक हैं वे नहीं मारे जाते हैं या जो आधारभूत सिद्धान्त हैं उनकी अवहेलना करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी बात होगी कि जिसका परिणाम यही होगा कि हमने एक बार जो कानून बना दिया और जो लागू हो गया उसमें न तो कोई संशोधन कर सकते हैं और न इस तरह से उसमें जो कमी रह गई है उसको दूर कर सकेंगे ।

सारा कुल मिला कर प्रसंग इतना सा ही है कि कुछ म्युनिसिपल कमेटियों ने टैक्सेज़ लगाये जिनको चैलेन्ज करते हुए लोग उच्च न्यायालय में गये । केवल प्रक्रिया और पद्धति के कारण एक प्रसंग ऐसा खड़ा हुआ कि लगाये गये टैक्स को अनियमित करार दिया गया, अब उनको नियमित करने का प्रसंग है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय मित्र को आदर के साथ सूचित करने जा रहा हूँ कि जो संशोधन हो रहा है वह इस सदन के द्वारा हो रहा है । मैं मानता हूँ कि राजस्थान में जनतन्त्र का सबसे बड़ा प्रतीक यही सदन है । एक प्रक्रिया की कमी को पूरा करने का प्रयत्न है वह एक जनतन्त्र का अधिकार है । मैं मानता हूँ कि इस बात को यदि सरकार ने

(श्री जनार्दनराय नागर)

अपनी ही आज्ञा द्वारा किया होता तो मैं माननीय मित्र से सहमत होता । लेकिन जो कानून की कमी रही है, जो विषमता है, प्रक्रिया में असमानता है उसको दूर करने के लिए वैधानिक ढंग से कार्यवाही न करना अप्रजातांत्रिक है । लेकिन जब एक ऑर्डिनेन्स लागू किया गया, सदन में बिल पेश किया गया, जिस पर सदन विचार कर रहा है तो इसे अप्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता । छोटी छोटी बातों से डिक्टेटरशिप की उत्पति होना सम्भव है । मैं मेरे मित्र की इस बात से सहमत हूँ कि जनतन्त्र की सारी प्रक्रिया इस प्रकार से सावधानी से पूरी करनी पड़ेगी जिस प्रकार से छोटे बच्चे के जन्म से बड़े होने तक उसकी देखभाल करते हैं । उसी तरह से जनतान्त्रिक पद्धति का भी लालन-पालन करना पड़ेगा और उसे वयस्क बनाकर समाज में चलता करना पड़ेगा ।

मैं आपके इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूँ कि जल्दी में मामूली प्रसंग उत्पन्न होने पर संशोधन नहीं करने चाहिये और ऐसा कदम नहीं लेना चाहिये जिससे कानून की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता हो, लेकिन जो एक्ट है उसकी व्यापक प्रक्रिया पर, प्रसंग पर कोई असर नहीं हो रहा है, केवल टैक्स लगाने का अधिकार दिया जा रहा है ।

म्युनिसिपैलिटीज़ को हमने दो तरह के टैक्स लगाने के अधिकार दिये हैं ; वैकल्पिक और अनिवार्य । जहां तक अनिवार्य टैक्स लगाने का प्रश्न है मुझे अच्छी तरह से याद है कि ऑक्ट्रोय आदि टैक्स भी इसमें आ जाते हैं । अनिवार्य टैक्स किसी भी म्युनिसिपैलिटी को लगाना पड़ता है जैसा कि कानून में बताया गया है लेकिन प्रोसीजर की अनियमितता के कारण वह टैक्स अनियमित हो जाता है तो ऐसी अवस्था में सरकार का और इस सदन का सम्मिलित कर्त्तव्य हो जाता है कि इस अनिवार्य टैक्स लगाने के अधिकार को ठीक तरह से, सुगमतापूर्वक लागू करने की प्रक्रिया पूरी करे । यह जो बिल है वह इसी कारण से आया है । जो अधिकार हमारी म्युनिसिपैलिटियों को मिले हैं उनकी प्रक्रिया को सुगम करने का है । यह ठीक है कि उप-नियम बनाने में इसका ध्यान रखते तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, हाई कोर्ट ने एक बात कही कि जहां तक उप नियम बनाने का प्रश्न है वह ठीक तरह से बन पाया या नहीं ? हाई कोर्ट के फैसल में व्यापक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है कि टैक्स को अवैध कर दिया । हाई कोर्ट ने कहा कि कानून में अधिकार नहीं दिया था; टैक्स लगाया गया, ऐसा प्रसंग नहीं है । ऑक्ट्रोय टैक्स अनिवार्य टैक्स है और उसे लगाने का हर कमेटी को अधिकार है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ५१ के अन्तर्गत यह अनिवार्य नहीं है ।

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ऑक्ट्रोय अनिवार्य टैक्स है ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें वेलिडेट हो रहे हैं, वे कौनसे टैक्स हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह भी मान लूं कि चूंकि वैकल्पिक टैक्स है तो भी

(श्री जनार्दनराय नागर)

टैक्स लगाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटी को है। कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाती है तो इसमें उच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : उच्च न्यायालय का जजमेंट आपने पढ़ा है क्या ?

श्री जनार्दनराय नागर : यह सूचना देने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य ऐसे डॉक्युमेंट का रेफरेन्स नहीं दे सकता जो सदन के सामने नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसको आपने पढ़ा भी नहीं है उसको बिल्कुल रेफर नहीं कर सकते। मैं रूलिंग के रूप में चाहूँगा कि इस प्रकार का डॉक्युमेंट रेफर किया जा सकता है या नहीं, जो चीज सदन के सामने नहीं है और हाई कोर्ट के जजमेंट के रूप में है; उसको यहां रेफर कर सकते है या नहीं ?

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने जल्दी में यह बात कह दी। इस बिल के जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स दिये हैं उनमें हाई कोर्ट का रेफरेन्स दिया है, उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह : हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा वह नहीं कहा, यह कहां से कह रहे हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो कहने की बात है। मैं जो कह रहा हूँ वह प्रसंग से है, इसमें कहा गया है कि किस वजह से अमेंडमेंट किया जा रहा है....

श्री भैरोंसिंह : किस वजह से ?

श्री जनार्दनराय नागर : आपको कहने का हक है लेकिन यह यथा–तथ्य है, यथा विधि है, प्रसंगोपान्त है, प्रसंगगर्भित है। हाई कोर्ट द्वारा इसको नाजायज़ नहीं करार दिया गया है, लेकिन आवश्यक उप–नियम की कमी रहने की वजह से इसे अवैध करार दिया है और इसलिए यह सारा प्रसंग आया है। इसे वापिस प्रवर समिति के पास भेजना, इसे देरी में पटका जाय, इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि म्युनिसिपल कमेटी को कर लगाने का अधिकार दिया है, यह जन हित में नहीं है, यह होना ही नहीं चाहिये था और दूसरी ओर आप कर लगाने के सिद्धान्त को मंजूर करते हैं, एक्ट पास हुआ था तब भी यह कहा गया कि जनतन्त्र कि हत्या करना चाहते हैं, उसका गला घोंट कर मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीधी–सादी और साधारणसी बात है। प्रक्रिया सुभीते से और सुगमता से हो जाय, ठीक तरह से टैक्स लगा सकें, वसूल कर सकें। सदन को इसे परिष्कृत करना चाहिये, सदन को सुविधा देनी चाहिये, इसके लिये यह बिल है। मैं समझता हूँ, इसे प्रवर समिति में भेजने जैसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान म्युनिसिपल टैक्सेज़ वेलिडेटिंग बिल, १९६१ के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के सामने रखीं और इस विधेयक का समर्थन करते हुए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उन्होंने कर लगाने के औचित्य और हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। यद्यपि आपत्ति उठाई जाने के पश्चात् भी उन्होंने यह स्पष्टीकरण नहीं किया कि कौनसा और कब हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के फैसले को पढे बिना कानून की ऐसी उलझन मे पड़ना, यह कभी भी युक्तिसंगत नहीं हो सकता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कवि आदत से लाचार होते हैं और साहित्यिक और कवि किसी भी बात में अपनी टांग नहीं अड़ावें यह हो नहीं सकता। कल्पनाएं की जा सकती हैं, किसी भी चीज की उड़ान भी भरी जा सकती है। कहावत कहा करते हैं, 'जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।' माननीय सदस्य..

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : माननीय मित्र, जो बोल रहे हैं वे रसिक हैं और साहित्यिक हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसलिए आपने साहित्य अकादमी में लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल तो इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि कम से कम कानूनी मामला ऐसा है कि वे उसमें दखल अन्दाजी न करें तो अच्छा हो। यह मामला, उपाध्यक्ष महोदय, न तो साहित्यिक प्रगति से सम्बन्ध रखता है और न साहित्यिक रचना और जसन से सम्बन्ध रखता है और न ही विश्व विद्यालय और विद्यापीठ से सम्बन्ध रखता है। यह कानूनी मामला है, लीगल इन्टरप्रिटेशन का मसला है। मैं समझता हूँ, उस दृष्टि से हमें इस पर विचार करना चाहिए। बड़े जोरदार शब्दों में एक दलील दी गई, उपाध्यक्ष महोदय, कि म्युनिसिपैलिटी ने जो कर लगाया वह जनता के हित में लगाया और इसमें यदि कोई प्रक्रिया की गलती रह गई है तो प्रक्रिया की गलती सुधारी जा सकती है। मैं समझता हूँ, कविता में अतु कान्त कविता चलती है, उसमें प्रक्रिया का सवाल नहीं है, लेकिन यह कानून है और कानून में प्रक्रिया का सवाल है। इसमें नगरपालिका ने प्रक्रिया में गलता की है, उसे सदन माफ कर सकता है, मगर आपने राजस्थान म्युनिपैलिटीज़ एक्ट की धारा ५९ पढ़ी है, ६० पढ़ी है, ६१ पढ़ी है? मावली से आये हुए माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन धाराओं में जो प्रक्रिया की बात है, यह नगरपालिका ने गलती की हो, ऐसी बात नहीं है। यह गलती किसने की? यह गलती, उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका प्रक्रिया की गलतियों पर जिसने मोहर लगाई उसने की और मोहर लगाई किसने? सेक्शन ५९ ऑफ दी राजस्थान टाउन्स एन्ड म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५१ हैं, उसमें हैं :

"Any Municipal Board, after observing the preliminary procedure required by section 60, and with the sanctoin of the Government and subject to 'such modifications or conditions as under section 61 the Government in according such sanction deems fit, may lmpose for the purpose of this Act any one or more of the following tsxes ..."

आगे सेक्शन ६० में प्रोसीजर दिया है। सेक्शन ६१ में गवर्नमेंट के लिए लिखा है—

" The Government may either

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

refuse to sanction the rules submitted or may return them to the municipal board for further consideration, or if no objection which is in its opinion sufficient, was made to the proposed tax within one month from the publication of the said notice, may sanction the said rules either without modification, or subject to such modifications not involving an increase of the amount to be imposed or to such conditions as to the application within the municipality to any purpose or purposes of this Act specified in such conditions, of the whole or any part of the proceeds of such tax as it deems fit."

और फिर सेक्शन ६२ है, जिसमें यह लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, :—

"All rules sanctioned under section 61, with all modifications subject to which the sanction is given, shall be published by the municipal board in the municipality for which they are prescribed, together with a notice reciting the sanction and the date and serial number thereof and the tax as prescribed by the rules published shall, from a date which shall be specified in such notice and which shall not be less than one month from the publication of such notice, be imposed accordingly, and the proceeds thereof shall be applied by the municipal board in accordance with all conditions, if any, subject to which, under section 61, the sanction was given :"

अब इस एक्ट में लिखा गया; कानून की बात समझ में नहीं आती, इसलिए माननीय सदस्य चले गये।

तो मैं निवेदन कर रहा था, इस कानून में लिख दिया, सेक्शन ५६ से लेकर ६२ तक जो राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, उस सबका पालन हुआ या नहीं ? इसका मतलब क्या हुआ ? यह हुआ कि कोई काम किया हमने, गलती की हमने और पाप मेढ़ दिया म्युनिसिपैलिटी के नाम पर। इस कानून को पढ़ने के बाद जो कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाये और राजस्थान की नगरपालिकाओं ने गलती की, कानून में दिये गये प्रोसीजर को फोलो नहीं किया, प्रिलिमिनरी नोटिस नहीं निकाला, जनता से ऑब्जेक्शन नहीं मांगे और फिर टैक्स लगा दिया और यह सारा का सारा किया सेक्शन ४४ के तहत बिना रूल्स बनाये हुए, मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ४४ के तहत बिना बाइलॉज़ बनाये हुए। लेकिन राजस्थान सरकार ने यह नहीं बताया, यह साफ नहीं किया कि सेक्शन ६१ में बाकी प्रोसीजर आपके लिए लिखा था, उसमें आपने क्या किया ? जब म्युनिसिपैलिटीज़ ने बिना प्रिलिमिनरी प्रोसीजर फोलो किये, बिना रूल्स बनाये, बिना बाइलॉज़ बनाये, बिना जनता को नोटिस दिये, बिना जनता की आपत्तियें इन्वाइट किये, इस सम्बन्ध में प्रपोज़ल्स सरकार के पास भेजे थे लेकिन सरकार का विधि विभाग, स्वायत्त शासन विभाग अन्धा था, यह देखा नहीं कि पूरा प्रोसीजर फोलो नहीं किया, जनता को नोटिस नहीं मिला, जनता से आपत्तियां नहीं मांगी गईं, सेक्शन ४४ के तहत बाइलॉज़ नहीं बने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं। मैं समझता हूँ कि इस कानून के द्वारा नगरपालिका के लिए जितनी प्रक्रिया इस सम्बन्ध में बनी हुई है, उसमें भूलें हुई हैं और उस पर मोहर किसने लगाई ? हम छोटे आदमियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन बड़े आदमी, जो सत्ता चलाते हैं, सेक्रेटेरियट में बैठते हैं, ढाई–ढाई हजार तनख्वाह लेते हैं, वह किस बात के लिए हैं, उन्होंने क्या किया ? जब प्रपोज़ल्स राज्य सरकार के पास आये, तो उन्होंने नहीं देखा कि रूल्स नहीं बने है, बाइलॉज़ नहीं बने हैं, प्रोसीजर फोलो नहीं किया गया है। सरकार ने क्या एग्ज़ामिन किया ? लीगल इफेक्ट्स नहीं देखे कि क्या होंगे ? इस कानून के तहत टैक्स लगा दिये गये तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जायगा। विधि विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने कुछ नहीं देखा, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उसकी जिम्मेदारी छोटे लोगों पर डालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि विधि विभाग और स्वायत्त शासन विभाग पर इसकी लाए-बिलिटीज़ हैं क्योंकि अगर छोटे सर्वेन्ट की गलती है तो the master is responsible for that, मास्टर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र में रेल्वे एक्सीडेंट हुआ था, उसका उदाहरण मुझे याद आता है, जिसके आधार पर रेल्वे मन्त्री, श्री लालबहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, वे सिगनलर नहीं थे, लाइन कनेक्ट करने वाले नहीं थे, स्टेशन मास्टर नहीं थे, लेकिन जो एक्सीडेन्ट हुआ, स्टेशन मास्टर की गल्ती से हुआ, उसमें स्टेशन मास्टर की गल्ती थी, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा विभाग है और मेरे विभाग में इस प्रकार की घटना हुई, इस कारण मैंने इस्तीफा दिया। मैं समझता हूँ कि कोई सर्वेन्ट गल्ती करता है, कोई इन्स्टीट्यूशन गल्ती करता है, कोई लोकल इन्स्टीट्यूशन गल्ती करती है, तो आपने उस पर छाप कैसे लगा दी ? आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है। मैं समझता हूँ, इस मामले में जिम्मेदारी आपकी है, हमारे स्वायत्त शासन विभाग, डाइरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज़ की, लॉ डिपार्टमेंट—इन तीनों की जोइन्ट रेस्पोन्सिबि-लिटी है और यह गलती जो है इसलिए वेलीडेशन बिल लाने की जरूरत पड़ी। यदि वे जागरूक होते, उनको कानून का हवाला होता, तो कानून को जो जानते हैं, वे माननीय सदस्य कह सकते हैं, जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हर कानून में लाग लगा दी है, नगरपालिकाओं ने लगा दी। नगरपालिका ने देखा नहीं, उसको पता नहीं कि जनता से जानकारी ले, जनता से पूछे। ऐसी परिस्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की स्वायत्त संस्थाओं में, राज-स्थान की म्युनिसिपैलिटीज़ में, मैं समझता हूँ, पचास प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, प्रशासक काम कर रहे हैं, जिनको जनता से हमदर्दी नहीं है, जो मनमाने ढंग से टैक्स लगाते हैं, शुरू से लगाते आये हैं, आज से नहीं। जब १६५१ से एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, जिन्होंने टैक्स लगाये हैं और उस समय जनता के आन्दोलन भी हुए थे, लोगों ने चुंगी कर और अन्य करों का विरोध किया था, उन नगरपालिकाओं ने और प्रशासकों ने टैक्स लगा दिये। इसमें जो प्रोसीजर दिया गया है, उसमें यह है कि जनता चार्ज कर सकता है कि जो टैक्स लगाया है, यह गलत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, यह इतना कम होना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की और प्रक्रिया पूरी न करने के बाद भी आपने मोहर लगा दी और टैक्स लगाने के बाद कहते हैं कि हमने जो गल्ती कर दी वह कर दी, अब वसूली का अधिकार मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो एक दृष्टिकोण मैंने सबसे पहले रखा है, जो नगरपालिकाओं की गलती हुई उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। जिन एडमिनिस्ट्रेटर ने बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किये हुए टैक्स लगा दिये और सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, डाइरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज़ और इन सारी चीजों में जिन अधिकारियों ने गलतियां की हैं, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा सदन से, माननीय मन्त्री महोदय से, यद्यपि उनके पास पोर्टफोलियो अभी आया है, कि जिन म्युनिसिपैलिटीज़ के टैक्स को हाई कोर्ट ने इन्वेलिडेट किया है या जिन जिन म्युनिसिपैलिटीज़ के टैक्स को इन्वेलिडेट, गैर कानूनी माना है, वोइड माना है और उसकी जिन स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने स्वीकृति दी थी और जिन्होंने मोहर लगाई थी, सेक्शन ६०–६१ के तहत मैं मांग करूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही की जाय, नेग्लीजेन्स की कार्यवाही की जाय और उनको चार्ज शीट इश्यू की जाय। आखिर आपकी ड्यूटी थी कि इसको अच्छी तरह से देखते कि टैक्सेज़ कानून के अनुसार लगे हैं कि नहीं। यह आपके विधि विभाग को देखना चाहिये था, गर्मी की मौसम आती है तो कहते हैं कि खस के टाटे लगाये जायं, क्यों नहीं आपको XXXX

श्री उपाध्यक्ष : I don't approve the nature of the expression being used so far as the persons are not present in the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खस की टट्टियों की बात कह रहा हूँ, XXX का नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : You are trangsressing the limits of the parliamentary expressions XXXX and so.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे ज्यादा तो कॉम्प्लीमेंट क्या दिया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : I don't approve these expressions and I will request you please to confine to the parliamentary decorum.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, देखते नहीं हैं, उनकी नजर चली गई है, उनकी आंखों में प्रकाश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member should please undestand my intention. They don't need any more interpretation. Parliamentary language should be rightly used on the floor of the House. That is my intention.

XXXX अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जैसा आदेश दिया है वह ठीक है पर अन्धा कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप जो इस प्रकार का कानून लाये, उसके बारे में निवेदन कर रहा था। माननीय उपाध्यक्ष, एक सवाल और खड़ा होता है कि जो टैक्सेज़ इनके बारे में सरकार यह लगाना चाहती है कि इन टैक्सेज़ के बारे में आगे भी अधिकार दे दिये जायं कि सारे प्राइमरी केसेज़ को फोलो किया जाय।

यह बात समझ में आ सकती थी कि जो टैक्सेज़ सूरजगढ़ म्युनिसिपैलिटी ने वसूल कर लिए, हालांकि वह न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, पर आप यदि इस पर तुले हुए हैं तो यह माना जा सकता था कि जितने कर वसूल कर लिये हैं उतनों को वेलिडेट कर दें, ताकि वापिस नहीं लौटाया जाय; पर आप तो यह कह रहे हैं कि कर जारी रहें। तो इस कानून में एक धारा ऐसी लिख दीजिये, एक सेक्शन इस प्रकार की एड कर दीजिये, अमेंडमेंट इस प्रकार का ले आयें, यह लिख दें कि टैक्सेज़ इम्पोज़िशन के बारे में प्रोसीजरल मिस्टेक कभी किसी भी तरह की रह जाय तो कोई भी कोर्ट उसका जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकता। शायद हाई कोर्ट्स के फैसले जनता के हित में नहीं होते। पर छुट्टी दे दें स्वायत्त शासन विभाग को और म्युनिसिपैलिटियों को कि आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, टैक्सेज़ के इम्पोज़िशन के बारे में हाई कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सदन यह समझता है कि कोई भी काम हो इस राज्य में इस युग में तो वह कानून के हिसाब से होना चाहिये, जो प्रक्रिया है, उसके माफिक होना चाहिये। हम नहीं चाहते कि गैरकानूनी ढंग से काम करने वाली सरकार हमारे यहां हो जो इस प्रकार की छूट लेना चाहती है। एक नहीं अनेकों वेलिडेशन बिल यहां पर आये, यह कानूनी राज्य नहीं कहा जा सकता, कानून को बलाये-ताक रख कर चलने वाला राज्य कहा जा सकता है; जो हाई कोर्ट के जजमेंट की परवाह नहीं करता, कानून की पर्वाह नहीं करता। फिर हाई कोर्ट में कोई भी क्यों जायगा? लोगों के दिल में यह बात बैठ जायेगी कि हाई कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं, अगर वहां किसी चीज को गैर कानूनी करार करवा भी दिया तो उसे विधान सभा में विधेयक लाकर, वेलिडेशन बिल लाकर, वेलिडेट कर दिया जायगा।

एक दफा गलती कर सकते हैं, पर यहां तो बार बार, हर सेशन में इसी प्रकार के वैलिडेशन बिल लाये जाते हैं।

अब मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ जो कानूनी मसला है वह यह है कि १९५१ के एक्ट के माफिक टैक्स लगे हैं इससे उनको वेलिडेट किया है। मैं समझता हूँ राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ का कानून १९५९ में आया, उसकी धारा २ के अन्तर्गत हमने लिख दिया की कोई नोटिफिकेशन, कोई रूल्स, एक्शन्स, ऑर्डर्स पुराने कानून के तहत पारित किये गये हैं वे इन नये कानून के तहत माने जायेंगे।

अब सवाल खड़ा होता है कि आप एक ऐसे एक्ट के तहत इन चीजों को वेलिड करने जा रहे हैं जो कि अब एग्ज़िस्टेन्स में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ही नहीं हैं। सेक्शन २ में लिखा है :–

"Anything contained in any provision of the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951 (Rajasthan Act 23 of 1951) (hereinafter referred to as the said Act), '......

We cannot make references to the provisions which don't exist in this Ordinance. Rajasthan Municipal Act, 1951 is no more in existance. इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार का एक्ट जिसके लिए आप रेफर कर रहे हैं "सेड एक्ट" है तो वह सेड एक्ट कोई एक्ट है ही नहीं। तो मुझे महसूस होता है कि इसमें ५८ के एक्ट के सेक्शन २ के तहत जो प्रोसीजर दिया गया है, उसमें पुराने टैक्सेज़ को सेव किया गया है, उसका जोइन्ट हवाला देकर बिल आ सकता था। मैं समझता हूँ, इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया, इस प्रकार का बिल सदन में ला रहे हैं उसमें आप एक तरफ जुडिशियरी के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के निवासियों के दिलों में अपने प्रति अश्रद्धा और अविश्वास पैदा करते हैं। इससे लोगों के दिलों में यह भावना पैदा होगी कि कौन हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाये, राजस्थान सरकार जैसा भी चाहेगी उस चीज को विधान सभा में लाकर वेलिडेट करवा लेगी।

तो मैं कहूँगा कि इस सम्बन्ध में और भी आवश्यक संशोधन हो सकते हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दें, वह १५ दिन में इस पर विचार कर ले। इसमें किसी प्रकार का संकेत तक नहीं किया है कि कितने केसेज़ हाई कोर्ट में गये। अच्छा होता कि इसका अच्छी तरह से विवेचन कर देते कि कितने केसेज़ में लोग कहां कहां से हाई कोर्ट में गये। आज सदन इस बारे में अनभिज्ञ है कि किन किन केसेज़ में हाई कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिया।

इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय उपाध्यक्ष,............

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन है कि एक तरह से देखा जाय तो स्वायत्त शासन डेमोक्रेसी का शीट एन्कर है। म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायत विभाग के सुचारू रूप से चलने और ठीक ढंग से काम करने से यह मालूम होता है कि वह गवर्नमेंट ठीक ढंग से चलती है। आप जो ठीक ढंग से चलना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है।

जैसे यह सवाल हमारे सामने उपस्थित हुआ है इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि जब कि यह प्रश्न न्याय विभाग के सामने जा कर कैंसिल हो चुका है तो इसको वेलिडेट करने के लिए कभी जोर नहीं देना चाहिये कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाय। मैं

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह) ।

समझता हूँ यह थोड़ा डिक्टेटरशिप के तौर पर रहेगा कि चाहे जैसे आगे बढ़ें। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिये । जब हाई कोर्ट से यह तय हो चुका है तो फिर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये और इसी पर माननीय सदस्यों ने बराबर जोर दिया है। कि जब यह पहले तय हो चुका है तो ऐसे मामलों में इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिये और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको जरूर मान्यता देनी चाहिये। इस विषय में सबसे ज्यादा मैं यह मुनासिब समझूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को इस चीज को वापिस ले लेनी चाहिये तो ज्यादा सुन्दरतम चीज रहेगी बजाय इसके कि इसका छिछालेदार हो और कमेटी में भेज कर इसको डिसाइड कराया जावे या जनमत के लिये भेजा जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन मामलों में सारे सदन की राय और न्याय विभाग की एक राय रही है तो उस पर ज्यादा बल नहीं दें और इस पर मोहर लगाने की धृष्टता न करें। बस मेरा तो यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister for Local Self Government to make a reply now.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो राजस्थान म्युनिसिपल टैक्सेज़ वेलिडेटिंग बिल, १९६१ आया है उसके सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। एक बात तो उनके वक्तव्यों के दौरान में यह सामने आई कि जो टैक्सेज़ नगरपालिका ने लगाये हैं उन टैक्सेज़ के बारे में हाई कोर्ट का निर्णय हो गया तो राज्य सरकार को उस फैसले के मुताबिक काम करना चाहिये। जहां तक जुडीशियरी, एग्ज़ीक्युटिव और लैजिस्लेशन का सम्बन्ध है मैं कहूँगा कि आपस में इनका सम्बन्ध है और उसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने ख्याल जाहिर किये हैं और उनको करने का अधिकार है। जुडीशियरी का सम्मान करना हमारी कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटी है और हमें उनके जजमेंट को मानना चाहिये और हम मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहूँगा कि लैजिस्लेशन का भी काम है और अगर लैजिस्लेशन नहीं हो तो हाई कोर्ट को ज्यादा काम करने को नहीं मिले, तो यह समझना कि हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके प्रतिकूल या उसकी भावना के प्रतिकूल राज्य सरकार कुछ करना चाहती है, यह बात नहीं है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ को टैक्स लगाने के अधिकार सदन के जरिये मिले। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए म्युनिसिपैलिटीज ने टैक्स लगाये। जहां तक नगरपालिका के क्षेत्र में रहने वाले भाइयों के हाई कोर्ट में जाने की बात है वह यह नहीं है कि टैक्सेज नहीं लगने चाहिये और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने टैक्स देने से इन्कार किया हो। वे टैक्स बराबर देते आये हैं। टैक्स देने में उनका कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं रहा। झगड़ा यह हुआ कि वहां पर एक मंडी के इम्प्लीकेशन का सवाल आया। कुछ भाइयों में नाराजगी पैदा हुई और वे हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि रूल्स में जो प्रोसीजर था उसको

Page No.70

(श्री सम्पतराम)

फोलो नहीं किया गया है। इसलिये जब तक रूल्स में जो प्रोसीजर था उसको फोलो नहीं किया जायेगा ये कर वाजिब नहीं होंगे।

जिन जिन लोगों ने जिन जिन चीजों पर टैक्सेज़ लगाये वे उसके लिये एमपौवर्ड हैं। जो पॉवर्स उनको दिये गये वे लेजिस्लेशन के द्वारा ही दिये गये।

जहां तक हाई कोर्ट के निर्णय की बात है, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं यह कहूँगा कि यह रिट पिटीशन का मामला है। कोई डिग्री नहीं हुई है। यह रिट पिटीशन है और इस पर हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जेक्शन्स दिये हैं। म्युनिसिपैलिटी की दिक्कतों को सामने रखते हुए यह वाजिब था कि यह कानून पास किया जा सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अगर डिक्री होती तो क्या करते ?

श्री सम्पतराम: मैं डिक्री और रिट पिटीशन को डिफरेन्शियेट करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि हाई कोर्ट में जो लोग गये उनसे टैक्सेज़ वसूल हुए उनको वापिस दे देने चाहिये और जो लोग नहीं गये उनसे जो टैक्स वसूल किया है उसको वापिस करने की जरूरत नहीं। यह एक महत्व का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में हर एक माननीय सदस्य को सोचने और समझने और अपने सुझाव देने का अधिकार है। मगर जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है किसी तरह से जो फैसला हुआ है उसका हमें सम्मान करना चाहिये। इसके लिये दो ही रास्ते हो सकते हैं जिसमें वेलिडेटिंग बिल लाने का एक रास्ता है। अगर यह रास्ता सरकार नहीं अपनाती है तो नैतिकता यह कहती है कि जो रुपया वसूल किया है वह वापिस दिया जाना चाहिये, मगर जो रुपया उनसे वसूल किया गया वह उन्हीं लोगों और वहीं के रहने वालों के हित में खर्च किया जा चुका है। पुराना एक्ट १७-१०-५९ को रिपील हो जाता है। ये टैक्स उसी समय लगाये गये जिस समय यह पुराना एक्ट लागू था। इसके अलावा जब कभी कोई रूल्स में या कानून में किसी प्रकार का लैकूना रह जाता है तो उसको ठीक कराने के लिये यह वेलिडेटिंग का प्रोविज़न रखा गया है और इसीलिये हम यहां आते हैं; अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यह समझ कर कि after all we are all human beings, कोई न कोई गलती लेजिस्लेशन में रह सकती है और जब कोई गलती या कमी रह जाती है तो उसको ठीक करने के लिये यह वेलिडेटिंग बिल ही लाया जा सकता है और वह भी कॉन्स्टिट्युशन का दिया हुआ है। अगर इसका उपयोग नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि कानून में प्रोविज़न रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ऑर्डिनेन्स की भी वही जरूरत है। जब एसेम्बली की बैठकें नहीं हो रही हों और कोई कानून पास करना जरूरी हो तो उसको Ordinance द्वारा ही जारी किया जाता है।

मैं यह कहूँगा कि यह कोई व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। यह एक म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न है। उनकी आर्थिक हालत ठीक हो और वह दिन प्रतिदिन अपनी ओब्लीगेटरी ड्यूटीज़ को पूरा कर सके उसके लिये लेजिस्लेशन ने कर लगाने का अधिकार दिया और उसमें

(श्री सम्पतराम)

प्रोविज़न्स और रूल्स थे उनको वे फुलफिल नहीं कर सके। ऐसी हालत में उसके लिये यह वेलिडेटिंग कानून लाया जा रहा है। यह कहना कि एडमिनिस्ट्रेटर ने टैक्स लगाये, यह उचित नहीं है। यह बात नहीं है, पहले जो म्युनिसि-पैलिटी के चुने हुए नुमायन्दे थे उन्होंने टैक्स लगाया। मगर गलती यह हुई कि स्टेट गवर्नमेन्ट से पहले सेंक्शन लेने का प्रोविज़न रखा हुआ था उसके अनुसार उनको पहले स्टेट गवर्नमेन्ट से सेंक्शन लेनी चाहिये थी वह नहीं ली गई जिसकी वजह से यह लेकुना रहा और हाई कोर्ट ने अपनी राय दी। हाई कोर्ट की मंशा यह प्रतीत होती है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि रूल्स को फोलो नहीं किया गया। इसलिये हम उनको इसके जरिये फोलो करा रहे हैं। यह उसकी सारी की सारी वस्तु-स्थिति है। इतना बड़ा रुपया म्युनिसिपैलिटी के कार्य में खर्च हुआ। लेजिस्लेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, टाउन इम्प्रूव-मेंट के मामले हैं उनमें सब में हाई कोर्ट का नेतृत्व हमेशा कायम रहेगा और सरकार मानती है और उसको सारा देश मानता है। उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं आता है। टैक्सेज़ लगाये गये, ये तो ठीक ही लगाये गये; मगर प्रोविज़न यह था कि पहले स्टेट गवर्नमेंट की सेंक्शन लेनी चाहिये थी वह नहीं ली गई।

अब यह कहना कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जावे, मगर मैं यह कहूँगा कि इसको कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कोई नये टैक्स नहीं लगाये जा रहे हैं। जो टैक्स लगाये गये वे पहले ही लगाये गये हैं और वे वसूल भी हो चुके हैं और जनता के हित में खर्च भी किये जा चुके हैं। अगर कोई नये कर लगाने का मामला होता तो उस पर सिलेक्ट कमेटी विचार करती। लेकिन यह कानून तो पहले ही पास हो चुका है और रिपील हो चुका है। उस कानून के अनुसार म्युनिसिपैलिटी ने अपने अधिकार क्षेत्रों में टैक्स लगाये और रुपया वसूल कर लिया और जो रुपया आया वह वहां की जनता के हित में खर्च हुआ। सफाई की व्यवस्था हुई। ये टैक्स गलत लगाये गये हों, यह भी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि रूल्स को फोलो नहीं किया गया है। यह तो पहले के कानून को पेश किया गया है और उसको वेलिडेट करके यह राहत देना है सम्बन्धित नगरपालिका को, वह और ज्यादा टोटे में न जायें और उसको फाइनेन्शियल पोज़िशन खराब न हो, जो उसकी ओब्लीगेटरी ड्यूटीज़ हैं उनको वे निभा सकें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय और इसके प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कहा गया। मैंने निवेदन किया था कि १५--१६ जगह एडमिनि-स्ट्रेटर्स काम कर रहे हैं। ऐसा कहा गया था कि ५०--६० जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इसको मैंने सुबह ही प्रश्न के उत्तर के दौरान में स्पष्ट किया था। उन्होंने इसकी वैधता के विषय में भी जिक्र किया। वे स्वयं ही मानते हैं कि वह जो कहा गया वह ठीक नहीं है। जो एक्ट रिपील हो चुका है उसके लिए उनके कहने के अनुसार किया जाय तो वह नासमझी नहीं कहूँगा, लेकिन हां, नासमझी का काम होगा या मूर्खता

(श्री सम्पतराम)

का काम होगा, ऐसा ही कहा जायगा। कम से कम लॉ के जानने वालों की ओर से सजेशन्स आये हैं, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान में ही उसको रेक्टीफाई किया, यह खुशी की बात है। जिस प्रकार से आपने अपने भाषण के दौरान में ही जो गलती हो गई थी उसको रेक्टीफाई किया है इसी तरह से लैकुना रह गया था और उस कारण अवैध करार दिया गया तो उसके लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : म्युनिसिपैलिटी कौनसी है जिसका हवाला दिया गया था ?

श्री सम्पतराम : इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव इस राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १६६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

Amendment by the Minister-in-charge.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें एक इनेक्टिंग फॉर्मुला एड करने की जरूरत है, जो हर एक बिल में हुआ करता है;

"After the words 'to validate the imposition......(Rajasthan Act 23 of 1951)......"

इसके बाद "Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the 12th year of the Republic of India as follows" हो।

श्री उपाध्याय : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २ में प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, क्लॉज़ २ में अमेंडमेंट किया है ?

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में बहुत फोर्मल सा अमेंडमेंट है। In the last pora of sub-clause (1) insert 'may' before the words 'have been made' शब्द जोड़ना है। ब्रिफिटिंग के लिए इन वर्डिंग्स में चेन्ज करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about the previous amendment, Sir ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : पहले क्लॉज़ २ पर और फिर क्लॉज़ ३ पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of order, Sir. No amendment has been circulated to us.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): It has been circulated.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ के संशोधन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इनेक्टिंग फॉर्मुला स्वीकार किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, पहले मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, उठाया तो यह कहा गया कि वह हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : You ascertain, Mr. Satish Chandra. It has been circulated.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले वाला कहां गया ? मुझे कहा गया था कि यह हो गया। मान नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : It has been circulated.

श्री श्रीभानसिंह : क्लॉज़ २ में अमेंडमेंट का क्या हुआ ? यह समझ में नहीं आया।

श्री दामोदरलाल व्यास फोर्मल सा था, 'में' शब्द पीछे जोड़ने का था।

श्री उपाध्यक्ष : Only the word 'may' has been added.

श्री श्रीभानसिंह : He read out "Be it enacted" or some thing like that.

श्री उपाध्यक्ष : That is enacting formula.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ २ में 'में' शब्द एड किया गया है !

श्री श्रीभानसिंह : I am referring to

Page No.74

(श्री श्रीभानसिंह)

the first amendment read out by the Hon'ble Minister on the floor of the House.

श्री अमृतलाल यादव (जालौर) : That is the third one.

श्री उपाध्यक्ष : So I take the enacting formula.

प्रश्न यह है कि इनेक्टिंग फॉर्मुला में यह संशोधिन स्वीकार किया जाय :

"Insert the following enacting formula: Be it enated by the, "Rajasthan State Legislatrue in the Twelfth year of the Republic of India as follows".

(स्वीकृत)

नया इनेक्टिंग फॉर्मुला स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि राजस्थान म्युनिसिपल टैक्सेज़ (वेलिडेटिंग) बिल, १६६१ को पारित किया जाय"।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस बिल को विचारार्थ लिये जाने के समय में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया था, दो तीन मुद्दे उठाये थे, उनका स्पष्टीकरण चाहने की दृष्टि से दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह कहा कि हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, डिक्री नहीं हुई है। जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डिक्री नहीं होती तो परिणाम बिभिन्न होता। यदि डिक्री होती तो मंत्री महोदय का शायद कहना यह था कि इसको वेलिडेट नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, जो वेलिडेशन किया है उसमें लिखा है, "(iii) anything contained in any judgment, decree or order of any court or tribunal" आपने इसमें डिक्री का भी, अगर डिक्री हो गई है तो वेलिडेट किया है: हो गई है या हो सकती है, उसको भी वेलिडेट किया है। इससे स्पष्ट है कि आप डिक्री को भी वेलिडेट करना चाहते हैं। वैसे कहते हैं अपने भाषण मे हाई कोर्ट का फैसला है, जुरिस्डिक्शन में हो, डिक्री नहीं हुई है और जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट यदि डिक्री देती है तो पैसा वसूल किया जा सकता है। स्पेशियली इसमें 'डिक्री' शब्द यूज़ किया है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह सूरजगढ़ म्युनिसिपैलिटी का मामला था। बाइलॉज़ न बने, प्रोसिजर की गलत हो गई और उसको वेलिडेट करना चाहते हैं।

तो यह सदन को विश्वास दिला दिया,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जैसे बाकी किसी जगह कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा है: "Some other Municipal Boards had also imposed similar taxes which were vitiated on account of the said defect in procedure. It has, therefore, been considered desirable to validate the imposition of such taxes notwithstanding the defect of procedure."

इसका मतलब यह है कि म्युनिसिपैलिटी का एक मामला हाई कोर्ट में जरूर गया। इसके अलावा बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज़ ऐसी हैं वे कौन सी हैं; इलेक्टेड हैं या एडमिनिस्टर्ड हैं; यह माननीय मंत्री महोदय ने नहीं बताया। बाकी जो म्युनिसिपल बोर्ड का हवाला दिया गया जिनका विशेष विवेचन उन्होंने अपने प्रवचन में नहीं किया लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह भी नहीं बताया कि जिनके केसेज़ आये हैं वे बोर्ड्स इलेक्टड हैं या एडमिनिस्टर्ड। उनकी क्या गलती थी, इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया।

तीसरी बात आगे के लिए जो हाईकोर्ट में केस पेन्डिंग हैं जहां एक मामला हो गया उसको आप वेलिडेट करना चाहते हैं, लेकिन इसी तरह की हाई कोर्ट में पचासों रिट्स पड़ी हुई हैं, क्या उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा?

श्री सोहनलाल भटनागर : अवश्य पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पड़ेगा तो मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं, केवल इसी मामले से संबन्ध है, लेकिन जो साफ बात है उसको कहने में वे हिचकिचाते क्यों हैं? बीसियों मामले ऐसे पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। केवल यह कह देना कि यह तो एक ही मामला है, ऐसा हल्के से कह देना और इस तरह से हाउस को गलतफहमी में रखना उचित नहीं है।

इसके अलावा यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ये जो बातें उठती है उसका इन्डाइरेक्टली देखा जाय तो इस प्रकार के वेलीडेशन से हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको हम गैरकानूनी करार दे रहे हैं और इस प्रकार से हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जितने केसेज़ में जहां डिक्री होगी उस पर भी यह वेलीडेशन एक्ट लागू होगा। ये सब बातें हैं जिनको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये। आप इसमें अपने विभाग की जो गलती रही है उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं, इसलिये मैं आपसे कहता हूँ कम से कम एक तो सन्तोष दिला दीजिये कि जिन अधिकारियों की इसमें गलती रही है, जिस लेवल पर गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों की गलती रही है, लापरवाही रही है उनमें से किसी के भी खिलाफ कदम उठाइये ताकि मिनीमम सन्तोष तो हो। गलतियां आपके विभाग की ओर से हो रही हैं और उसके लिये मोहर यहां से लगवाई जाती है। हो सकता है आपके समय में यह गलतियां नहीं हुई हों मगर आपके भूतपूर्व मन्त्री महोदय थे उनके कार्यकाल का यह झगड़ा है तो वे जैसे उत्तर देने के लिये तत्पर दिखाई दे रहे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं उनसे कम से कम तो यह अश्वासन दिलवा दीजिये कि जिन व्यक्तियों की गलती या लापरवाही के कारण यह सब हुआ है उनके खिलाफ वे एक्शन लेंगें। हालांकि अब वे तो कुछ एक्शन नहीं ले सकते लेकिन वर्तमान में जो मन्त्री हैं उनको तो जरूर यह कह सकते हैं कि जिन जिन ऑफिसरों की इसमें नेगलीजेन्स पाई गई उनकी नेगलीजेन्स ऑफ ड्यूटी के बारे में कार्यवाही करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री अर्जुनदास : Past or present ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, दो बार इस मामले में एक माननीय सदस्य ने बहुत लम्बी चौड़ी बहस की। जिस तरह से एक वकील अदालत में अपनी दलीलों से कन्विस करने की कोशिश करता है उसी प्रकार की उनकी दलीलें थीं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों बार जो भी दलीलें उन्होंने दी, बिल्कुल गलत दलीलें थीं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका यह जवाब भी अदालत में किसी प्रकार का वकील का जवाब होता है उसी प्रकार का है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप जरा तसल्ली तो रखिये, आप दूसरों को बहुत कहते हैं, आप खुद तसल्ली नहीं रखते।

एक मामला हाई कोर्ट में गया और उसके बारे में हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ। वह जजमेन्ट शायद माननीय सदस्य ने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ते तो इस प्रकार की दलील वे नहीं देते। उसमें क्या हुआ कि यह दलील उपस्थित की गई कि बाइ लॉज़ जो सैंक्शन होते हैं टैक्स इम्पोज़ करने के उस पर प्रीवियस सैंक्शन हुई या नहीं। अभी तक जो हमारे यहां का जो कानून था उसमें प्रीवियस सैंक्शन का प्रोवीज़न था। टैक्स इम्पोज़ करने से पहले सैंक्शन लेने की जरूरत थी; हाई कोर्ट में जब इस मामले में रिट हुई तो वहां से जो फैसला हुआ उसके अनुसार रूल्स बनाने से पहले भी मन्जूरी लेनी चाहिये और जब बन जाते हैं उसके बाद भी मन्जूरी लेनी चाहिये, यानी डबल सेंक्शन होनी चाहिये। जब कभी कोई म्युनिसिपैलिटी रूल्स बनाती है टैक्स आदि इम्पोज़ करने के लिये तो पहले गर्नवमेन्ट की मन्जूरी लेती है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया उसके अनुसार पहले और बाद में दोनों दफा मन्जूरी होनी चाहिये सरकार की। आपने देखा होगा कई दफा ऐसे मामले हो जाते हैं जिसमें नीचे के कोर्ट का निर्णय कुछ होता है, ऊपर के कोर्ट उसको बदल देते हैं, उसी प्रकार हाईकोर्ट के निर्णय सुप्रीम कोर्ट में बदल दिये जाते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर यदि कोई संस्था होती है तो उसके निर्णय भी बदले जा सकते हैं। हम लोग यह समझे हुए थे कि 'प्रीवियस सैंक्शन' से मतलब है टैक्स इम्पोज करने से पहले ले लेनी चाहिये वह ले ली गई थी। लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड ने जिसके बारे में यह निर्णय दिया गया उसने डबल सैंक्शन नहीं ली। 'प्रीवियस सैंक्शन' से मतलब जो हाई कोर्ट ने लिया है उसी के सिलसिले में यह बिल लाया गया है। जहां तक कानून के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इन्टरप्रिटेशन का सवाल है उसमें माननीय सदस्य इन्टरप्रेट कर रहे हैं लेकिन इसमें जो हाई कोर्ट द्वारा निर्णय हुआ है उसी को फाइनल और करेक्ट माना गया है। मैंने इस बात का कई बार जवाब दिया है, हर बार जब वेलीडेएशन बिल लाया जाता है माननीय सदस्य हर बार यही कहते हैं कि हम इस प्रकार का बिल लाकर हाई कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा और मैंने बारबार उनसे कहा है यह हाईकोर्ट का अपमान नहीं बल्कि उसके निर्णय का आदर किया जा रहा है। हाई कोर्ट का इस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन है इसलिए कानून दुबारा बनाया जा रहा है और यह कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को है। हाई कोर्ट अपने अधिकारों के अन्तर्गत काम करता है और हम अपने अधिकार के अन्तर्गत काम करते हैं, इस प्रकार की बात जब पंचायत वेलीडेशन बिल लाया गया था उस समय भी माननीय सदस्य ने यही बात कही थी, मैंने उस समय भी यही जवाब दिया था, इसमें हाई कोर्ट का अपमान नहीं बल्कि हम उसके निर्णय की दाद दे रहे हैं। माननीय सदस्य ख्वमख्वाह ऐसी बातें कह कर हाउस को मिस–गाइड करते हैं और वह भी जान–बूझ कर करते हैं और अपने आपको हाई कोर्ट का वकील कहते हैं;हाई कोर्ट का वकील होने का दावा करते हैं,और वे यह कहते हैं कि इसमें हाई कोर्ट का अपमान है। जिस दिन हाई कोर्ट के अपमान करने की शक्ति एग्ज़ीक्युटिव में आ जायगी तो मैं समझता हूँ उस दिन इस डेमोक्रेसी का खात्मा हो जायगा। इस तरह की बातें कह कर माननीय सदस्य न केवल डेमोक्रेसी का अपमान करते हैं बल्कि हमारे संविधान और हमारे इस लैजिस्लेचर का अपमान करते हैं; उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये। वेलीडेशन बिल सदन में आयेंगे इस प्रकार के अधिकारों को हम परित्याग नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट के वकील रहे हैं, आप बार बार इस बात को कहते हैं कि इस प्रकार के वेलीडेशन बिल लाकर हाई कोर्ट का अपमान किया जाता है! इस प्रकार की बात अगर कोई ले–मेन कहता तो कुछ समझ में आ सकता था, किन्तु आपके द्वारा, जो कानून के माहिर हैं, इस प्रकार की बातें कहना उचित प्रतीत नहीं होता। मुझे आशा है, अब आप आयन्दा इस प्रकार की दलीलें नहीं देंगे।

श्री अर्जुनदास : One minute, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री अर्जुनदास : A good deal of reference has been made to the Hon'ble High Court...

श्री उपाध्यक्ष : Order please! प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १६६१ को संशोधित रूप से पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६१

(खण्डश: विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

Page No.78

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६१ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(१.५० म० प०)

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापतिजी, मैं इसका विरोध करता हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ नहीं पा रहा हूँ । That stage has gone. यह विचारार्थ लिया जा चुका है । That stage is gone. Now the Bill has to be taken clause by clause.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह विचारार्थ के लिये मोशन मूव किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : You have lost the right to have a general discussion.

श्री सभापति : The House is to proceed with clause by clause discussion of the Bill.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Sir, he is challenging your ruling. Once the ruling has been given...

(श्री भैरोंसिंह के भी खड़े होने पर)

श्री सभापति : One at a time please.

श्री भैरोंसिंह : on a point of Order, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : There cannot be any point of order on a ruling of the Chair.

श्री सभापति : Let us hear him.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Under what rule ?

श्री भैरोंसिंह : इस सदन के सम्मुख एक बिल विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है....

श्री श्रीभानसिंह : What is the point of order ? Please state the point of order and then you may give the explanation.

श्री भैरोंसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा यह है कि सदन के सामने एक बिल विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है....

Page No.79

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir. your Honour has already given a ruling on that

श्री सभापति : The Hon'ble member should have some patience. Let us see whether there is any point at all.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : I will request the Chair that he should raise the point of order and not to start any explanation.

श्री सभापति : The member has been allowed to raise the point of order.

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन यह था कि एक बिल सदन के अन्दर विचारार्थ लिया जाने के हेतु प्रस्तुत किया गया है। रूल्स के अनुसार जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है कोई बिल को तो वह पहली स्टेज होती है प्रस्थापित या पुरःस्थापित करने की। इसके बाद विचारार्थ लिया जाता है। उसे पुरःस्थापित किये जाने की स्टेज पर कन्सीडर नहीं शुरू किया जाता पर कन्सीड्रेशन के लिये एक अलग से मोशन मूव किया जाता है और वह मोशन हाउस स्वीकार पहले कर लेता है तब डिस्कशन शुरू होता है। इस तरह से राजस्व मन्त्री महोदय ने "that the Bill be taken into consideration" इतना सा कहा है। हाउस की स्वीकृत नहीं मिली है और whether the Bill should be taken into consideration or not, it is within the competence of the House. और हाउस. ने जब स्वीकृति दे दी कि it should be taken into consideration, then the discussion can go on. तो उस स्थिति में यहां अभी अभी पहले एक बिल सदन में प्रस्तुत हुआ है।

(इस बीच में सचिव, विधान सभा, सभापति से कुछ बात कर रहे थे, इसको देखकर)

माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुन लें या सेक्रेटरी साहब की बात सुन लें।

श्री श्रीभानसिंह: On a point of order, Sir, this reference cannot be made by the Hon'ble. member.

श्री सभापति : I have understood the point of order raised by the Hon'ble member. The House has adopted the motion for taking the Bill into consideration. The House now proceeds with clause by clause consideration of the Bill.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir.......

श्री श्रीभानसिंह : Overruled.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order. There is a conflict between the rulings of the Chair. One ruling has been given by the Hon'ble Deputy Speaker while he was on the Chair when the Municipalities Bill was being discussed by the House today. The Hon'ble Minister for Local Self Government moved that the Bill be taken into consideration. The motron was put to the House and it was adopted by the House and then the debate was allowed. Now in this particular Bill......

श्री सभापति : There is no conflict.

श्री श्रीमानसिंह : I submit, Sir, that you are allowing too much latitude.

श्री सभापति : I am sorry. The point of order raised by the Hon'ble member is overruled. The Hon. Revenue Minister may please resume the debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have one amendment, Sir. It has been circulated and it should be taken to have been moved. जो क्लॉज़ २ है उसकी जगह सब्स्टीट्युट करके नया क्लॉज़ अमेन्डमेन्ट के रूप में पेश किया है। लैंग्वेज का फर्क है। मैं पढ़ देता हूं : " Substitute the following for this clause :—

' 2. Insertion of new Section 15 AA in Rajasthan Act 3 of 1955-

After section 15A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall, as from the 27th day of December, 1960, be inserted and be deemed to have baee inserted, namely ' 15AA. Non-accrual of Khatedari rights in Chambal Project Area in certain cases.- (1) Notwithstanding anything contained in any lease, assessment, parcha, Patta or other document, no khatedari rights shall be deemed ever to have accrued to any person holding land within the Chambal Irrigation Project area.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect or apply to any person who had, since before the commencement of this Act, heritable and transferable rights under the tenancy laws of the former Kota State or the former Bundi State, or to whom Khatrdari rights may have accrued under Section 13 or Section 19 of this Act or under and in accordance with the provisions of the Rajasthan Colonisation (Chambal Project Government Lands Allotment and Sale) Rules, 1957, or under or in pusruance of any provision of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (Rajasthan Act 6 of the 1952) or the Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Act, 1959 (Rajasthan Act 8 of 1959)." यह मेरा अमेन्डमेन्ट है। ओरिजनल क्लॉज़ को इससे सब्स्टीट्यूट किया है और यह क्लीयर किया है कि जो सब-क्लॉज़ २ है उसमें और जो अधिकार खातेदार और टिनेन्ट के है वे है जो जागीर रिजम्शन के वक्त खुद काश्त में जिसके जो लैण्ड थी वह खातेदार के पास रहेगी इसलिये उसको इसमें एग्जैम्प्ट किया है, यही सब टिनेन्ट के मुतल्लिक है। जो टिनेन्ट है उन पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इससे नहीं पड़ता। इससे किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल उस लैंड पर पड़ेगा जिसके लिये ५३ में ऑलरेडी हमने डिसीज़न ले लिया था, पर इस की इन्स्ट्रक्शन्स या तो कहीं बराबर पहुंची नहीं या ओवरसाइट से रह गईं और उसके बिना चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में या दूसरे प्रोजेक्ट एरिया में जो टेम्पॉररी अलॉटमेन्ट किया गया उसमें एग्रीमेन्ट करते

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समय किसी किसी एग्रीमेन्ट में यह टेम्पोरेरी शब्द रह गया। यह टेम्पोररी कहीं कहीं एग्रीमेन्ट में नहीं लिखा गया और इससे कानूनी दिक्कत थोडी खड़ी हो गई और यह गलतफहमी भी हो गई। उस गलतफहमी को दुरुस्त करने के लिये यह अमेन्डमेन्ट है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो संशोधन पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। यह ठीक है, मैं मानता हूं कि ऑर्डिनेन्स निकाला गया, पर उस ऑर्डिनेन्स की नकल और उसका सही रूप इस अमेन्डमेन्ट में नहीं है, ऑर्डिनेन्स से और बहुत सी नई बातें इसमें एड कर दी गई हैं। मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेन्स की भाषा को ही इस विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना था और उसी ऑर्डिनेन्स की मंशा को ही पास करना आवश्यक होता है। पर उसमें परिवर्तन करके जो संशोधन मन्त्री महोदय की ओर से पेश किया गया है वह संशोधन इस प्रकार पास नहीं किया जा सकता। यह सही है कि सदन के सदस्य के नाते वे संशोधन पेश कर सकते हैं पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हुए ऑर्डिनेन्स का सही रूप ही सदन में पेश करना उनके लिये आवश्यक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हम ५३ में ही इस प्रकार के भूमि सुधार कानून बना चुके हैं। पर इसमें एक बात है, हो सकता है, इस एरिया में किसी के पास सिंचित एरिया पहले से रहा हो और वह इस चम्बल एरिया में आ गया हो, फिर उसको टेम्पोरेरी रखने से क्या मकसद है ?

उन लोगों को पर्मानेन्ट अधिकार नहीं दिये जायं और जो अधिकार टिनेन्सी एक्ट के अधीन दूसरी जगह काश्तकारों को मिल रहे हैं और केवल चम्बल एरिया का नाम लेकर उनको अधिकार नहीं दिये जायें तो मैं कहता हूं कि यह उनके राइट्स को क्रश करना है। तो इस प्रकार के जो प्रावधान रखे जाते हैं ये ठीक नहीं हैं। जिन लोगों को स्थाई तरीके से राइट्स मिल चुके हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा इससे तो जिनको खातेदारी अधिकार मिल गये थे वे खत्म हो गए। आज तक खेतिहर लोग वहां पर रहे और आज पानी आने के बाद वहां की जमीन अच्छी हो जाती तो उनके राइट्स टेम्पोरेरी कर दिये जायें और पर्मानेन्ट राइट्स नहीं मिलें, तो मैं समझता हूं कि उनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है। तो हम लोग यह चाहते हैं और यह होना भी चाहिए कि जो खेतिहर लोग हैं और जो मजदूरी करते हैं या दूसरे लोग जो इस तरह काम करते रहते हैं वह कानून के अधीन स्थाई तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त करते हैं तो वह खातेदारी अधिकार वह चम्बल एरिया के अन्दर क्यों न करें ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो प्रतिक्रियावादी लेजिस्लेशन हैं उनको खत्म करना चाहिए और पानी आने के कारण कोई स्थाई खातेदार नहीं बन सके यह बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन पानी आ जाने के बाद हो गया हो, यह भी बात समझ में नहीं आती है। आखिर इस प्रकार से जो काश्तकार अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं उनको स्थाई खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार के जो प्रॉवीज़न्स हैं कि उनको टेम्पोरेरी राइट्स हैं वह इसमें से हटाये जाने चाहिए और उनको

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पर्मानेन्ट राइट्स मिलें, ऐसा प्रावधान इसमें करना चाहिए । इस आधार पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय,........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, सभापति महोदय एक स्थिति पैदा होती है जिसका स्पष्टीकरण और जिसके ऊपर निर्णय पहले हो जाना आवश्यक है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : He is raising a point of order or स्पष्टीकरण ।

श्री सभापति : You are raising a point of order or seeking a clarification ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am raising a point of order under Rule 294.

श्री सभापति : Please state the point of order precisely.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The time is given to me. I have stood up.

तो सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि जो ऑर्डिनेन्स निकाला है और जिसको रिप्लेस करने के लिए यह बिल लाया गया है, उस ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करता है यह बिल। उस ऑर्डिनेन्स में केवल एक क्लाज़ है वह है (२) और उसके तहत जो जारी किया गया है उसका प्रॉवीज़न "१५ ए (ए) "Non-accrual of Khatedari rights in Chambal project area in certain cases......" और फिर इसकी एक विशेष लैंग्वेज है । इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा केवल यह नया सेक्शन १५ए (ए) टिनेन्सी एक्ट में जोड़ा गया है और इस रूप में जोड़ा गया है और इस ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिए यह बिल है । लेकिन इस बिल में जो १५ (एए) अमेन्डमेंट के रूप में आ रहा है और जिसको माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है वह डिफरेन्ट है । इसका मतलब यह होगा कि जो अब नया संशोधन सदन के सामने आया है, जो इस बिल के द्वारा लाया जा रहा है, वह डिफरेन्ट है उससे जो कि ऑर्डिनेन्स में लिखा है । इसलिए यह उसको कैसे रिप्लेस करेगा ? By simply writing in the Bill, the Bill does not replace the Ordinance. इसलिए सभापति महोदय, इसके पूर्व कि हम आगे बढ़ें यह निर्णय होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि आर्टिकल २१३ ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉवीज़न है कि जो ऑर्डिनेन्स जारी किया जायेगा उसके बाद "An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature..." तो जो ऑर्डिनेन्स है वह भी लेजिस्लेचर का एक्ट माना गया है "......of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance:--

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the exp-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

iration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council, and

(b) may be withdrawn at any time by the Governor."

तो मेरा अर्ज करना यह है कि यह जो रिप्लेस करने के लिये बिल लाया गया है यह बिल उस ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस नहीं करता । इसका कारण यह है कि उसके जो प्रोवीज़न्स हैं और वे डिफरेन्ट हैं। केवल वह शब्द लिख देने से काम नहीं चलेगा जो कि दो लाइनों में लिखे हैं; Clause 13 of the Amending Bill - "The Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Ordinance, 1960 (Rajasthan Ordinance 21 of 1960) is hereby repealed," तो मेरा सबमिशन यह है कि उसको रिप्लेस करने के लिये जो बिल लाया गया है और जो स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रखा है, मैं समझता हूँ कि जो प्रोविज़न्स ऑर्डिनन्स में हैं वही इस बिल में हो सकते हैं, तभी रिप्लेसमेंट होगा नहीं तो नहीं होगा ।

श्री सभापति : I think this is no point of order, but, I think, the Hon'ble member-in-charge of the Bill will reply to it during the course of his general reply.

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कोटा से आये हुए हैं उन्होंने और जो जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने करीब करीब एक ही बात कही है कि जो ऑर्डिनेन्स में पहले लफ्ज़ थे उन्हीं को बिल के अन्दर भी वैसे के वैसे ही रिपीट करना चाहिये और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन काक्लॉज़ पढ़ कर भी सुनाया तो उसमें तो लिखा हुआ नहीं है, ऑर्डिनेन्स असेम्बली मीट करने के छः सप्ताह के अन्दर लेप्स हो जायेगा, 'but shall cease to operate at the expiration of six weeks.' अब रहा सवाल इस बात का कि बिल असेम्बली में पेश किया है; every member of the House has a right to amend the bill, and in exercising that right I have moved an amendment, for which I am perfectly right. इसके अन्दर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल पैदा नहीं होता है । इसलिये माननीय सदस्य को, मैं समझाता हूँ, कुछ गलतफहमी हो गई है । यह समझे कि जो ऑर्डिनेन्स एक बार जारी कर दिया उसी को पास करना पड़े । इसका मतलब यह है कि एग्ज़ीक्युटिव ने एक बार किया तो लेजिस्लेचर को पॉवर्स नहीं है कि उसके अन्दर कुछ एड कर सके या चेन्ज कर सके, I think that is not envisaged by our Constitution or by the Rules of Procedure, इसलिए यह जो आपका एतराज है, ठीक नहीं है ।

इसके बाद में यह कहा गया कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के लोगों को उनके अधिकारों से क्यों महरूम किया जाता है ? तो सभापति महोदय, मैंने शुरू में कहा कि इसको बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ामिन किया गया कि

Page No.84

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खातेदारी राइट्स लोगों को मिलें। मैंने कहा कि इसके लिए बराबर लॉ है टेनेन्सी एक्ट और जो कोलोनाइजेशन एक्ट बना है उसमें डिक्लेयर कर चुके हैं, ऑर्डिनरी लॉ उसके ऊपर एप्लाई नहीं होता। जो भी अलॉटमेंट वहां होता है वह टेम्पोरेरी होता है, unless permanent allotment is made according to the rules framed under that law. तो यह बिलकुल साफ है कि गवर्नमेंट की मन्शा यही थी कि जितने भी अलॉटमेंट् होंगे वे टेम्पोरेरी होंगे। इसके अलावा इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में साफ है कि गलती से जिस समय अलॉटमेन्ट हुआ उस समय 'टेम्पोरेरी' शब्द नहीं लिखा गया। वरना हम किसी का राइट नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि इसको हमने क्लियर करने के लिए और गलती की वजह से जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं वह फायदा न उठा सकें, इसलिए यह किया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, जो लोग वहां पर बहुत परिश्रम से काम करते हैं और अपनी जमीन को अच्छा बनाते हैं और उनको टेम्पोरेरी अलॉट करते हैं तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि उनसे वापिस ली जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट का मतलब यही है कि अभी तो उनको टेम्पोरेरी बेसिस पर अलॉट कर दी जाये और फाइनल अलॉटमेंट के लिए उनको प्रायोरिटी दी जायेगी। मगर उन टेम्पोरेरी अलॉटीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जायेगी। They will be first entitled to get permanent allotment. इसलिए आप यह कैसे समझ रहे हैं कि हम उनको उनके राइट्स से डिप्राइव करना चाहते हैं, उनकी जमीन से उनको वंचित करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि बैटरमेंट लेवी वगैरह चार्ज करेंगे वह उनको देनी है, इसलिए उनको टेम्पोरेरी अलाटीज़ रखा है। 'टेम्पोरेरी' का मतलब यही है कि उनको फिर प्रायोरिटी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है; इसलिये ये जो दो एतराज किये मेरे ख्याल से ठीक नहीं हैं। बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने लैंग्वेज चेन्ज करके तो उसको ज्यादा क्लियर कर दिया है ताकि किसी की समझ में गलतफहमी न हो और खास करके कोटा ब्लॉक में न हो। इसलिए मैंने यह अमेंन्डमेंट मूव किया है। Section, 13 is there, Section19 is there,. Jagir Abolition Act. का प्रोविजन है। Jamindari Abolition Act में प्रोविजन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने सब क्लॉज़ (२) में लिखा है।

श्री सभापति (श्री विशंभरनाथ जोशी): No direct references,. Please, address the Chair. Yes, what is it ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्व मंत्री जी ने क्लॉज़ २में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.85

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

श्री भैरोंसिंह : on a point of guidance, सदन में कोई घोषणा चेयर की तरफ से की जाय तो वह खड़े होकर की जानी चाहिये, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि घोषणा खड़े होकर की जाय ।

श्री सभापति : It was announced standing. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ संशोधित अवस्था में विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, एज़ अमेन्डेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३, ४ व ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३, ४ और ५ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३, ४ और ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ ६, श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

क्लॉजेज़ ६ से १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६,७,८,९,१०, ११,१२ और १३ विधेयक के अंग बनें ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्लॉज़ ७ पर हमें बोलना है ।

श्री सभापति : Have you given any notice of amendment ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is not neccessary. A member has got a right to oppose a particular clause. A clause can be opposed and on clause 7 he wants to speak.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय(छाबड़ा): सभापति महोदय, यह जो धारा ४२ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में थी उसमें प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन को रहन या बंधक पर रख दिया है तो वह १० वर्षों के बाद मुक्त समझी जायगी, लेकिन राजस्व मंत्रीजी ने १० साल की अवधि को बढ़ाकर २० साल कर दिया है । मैं समझता हूँ कि यह प्रतिक्रिया-वादी कदम है । उन्होंने कहा था कि हम भूमिसुधार के मामले में प्रगतिशील होने जा रहे हैं और काश्तकारों को विश्वास दिलाया था कि गरीबी के कारण आप लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती है परन्तु इस कानून के कारण वह १० साल बाद मुक्त

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हो जायगी । वे ही राजस्व मंत्रीजी आज अपनी कलम से यह कर रहे हैं कि १० साल के बजाय २० साल कर रहे हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं थोड़ा आपकी आज्ञा से स्पष्टीकरण कर दूं। वे शायद समझे नहीं हैं। यह गलत बात है जो आप सोच रहे हैं कि १० साल के बजाय २० साल कर रहे हैं। यह उन मोर्टगेजेज़ के लिए नहीं है जो टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले किये गये थे। यह तो टैनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद जो मोगेर्टजेज़ हुए हैं उनके लिए १० साल की अवधि थी और पहले वालों के लिए कोई अवधि नहीं थी इसलिए टैनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले जो मोर्टगेजेज़ हुए हैं उनको रिलीफ देने के लिये २० साल की अवधि तय की जा रही हैं। वे भी मोर्टगेज से रिडीम हो जायेंगे विदिन दि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। उन लोगों को प्रोटैक्शन देने के लिए यह किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो टैनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद हुए हैं उनके बारे में क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That will stand as it is.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से provision से regulate होगा ?

श्री सभापति : I am extremely sorry. My learned friend is fully aware of the rules. He should not address the member-in-charge directly. He may put the question to the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि पहले प्रोविज़न टैनेन्सी एक्ट में है उसमें १० साल का प्रोविज़न टैनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद के जो मोर्टगेजी हैं उनके लिए है और यह जो प्रोविज़न किया जा रहा है वह पुराने मोर्टगेजेज़ के बारे में हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो टिनेन्सी एक्ट में मोर्टगेज का प्रोविज़न है वह है ४३ (२) को सब्स्टिट्यूट किया है, तो फिर दूसरा कौनसा प्रोविज़न हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो पहले बहस कर लेने दीजिये, बाद में बता दूंगा।

श्री सभापति : Any Hon'ble member desirous of speaking on clause 7.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : He (Shri Vijay) is continuing.

श्री दयाकृष्ण विजय : इस क्लेरिफिकेशन के बाद जो मन्त्रीजी ने किया है इस प्रकार की बात है जिसके बारे में, मैं समझता हूँ, थोड़ी स्टडी करने की जरूरत है, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें और फिर विचारार्थ रख लें, क्योंकि यह संशोधन पुराने और नये आने वाले मोर्टगेजेज़ पर भी लागू होता है, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि जल्दी की गई तो मुमकिन है कि कुछ नुकसान हो जाये, इसलिये थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाय; उसके बाद मैं अपने विचार व्यक्त कर लूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : It should be deferred for 5 minutes. I will just satisfy him.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ८, ९, १० व ११ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८, ९, १० व ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री भैरोंसिंह ; आपने यह नहीं पूछा कि 'ना' पक्ष जीता या नहीं ?

श्री सभापति : At the time of voting I asked but no body spoke.

श्री भैरोंसिंह : आपने यह पूछा कि जो पक्ष में है वे 'हां' कहे, यह नहीं पूछा कि जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

श्री सभापति : Votes for Ayes and Noes were asked. There was no voice of Noes. Therefore, it was clear that Ayes have it.

क्लॉज़ १२, श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १२ और १३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृक)

क्लॉजेज़ १२ औ १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

Clause 7 is taken again, and the Hon'ble member may resume his speech, if he so likes.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, इसमें जो रिप्लेसमेंट किया गया है धारा २ से, जो अब धारा है, जिसके अनुसार दस वर्ष का अर्सा अब जैसा समझा जायगा। उसमें एक धारा का प्रावधान था, धारा २ को अब रिप्लेस किया गया है जिससे प्रकट नहीं होता कि पहले के जितने मोर्टगेज हैं उन पर असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ थोड़ा इसको क्लेरीफाई करने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा कि उसका रूपान्तर किया गया है यह वास्तव में पहले वालों के लिए नहीं दिखाई देता और बाद वालों के लिए दिखाई देता है। हमारे मन्त्री महोदय इसको थोड़ा गहराई के साथ देखेंगे तो मालूम होगा कि पुराने बन्धक हैं, उनके लिए लागू न होकर आगे आने वाले बन्धकों के लिए लागू हो रहा है। आगे आने वालों के लिए २० वर्ष की अवधि हो रही है। माननीय सदस्य इसे पढ़ कर देखें, मैंने इसे गौर से पढ़ लिया है I am definite about it. २० साल, जो नये मोर्टगेज हुए हैं, उनके सम्बन्ध में है। इसलिए मैं इसको प्रतिक्रियावादी समझता हूँ और इसको हटाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : माननीय सभापति महोदय, कोटा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है उसमें सत्यता है क्योंकि जब क्लॉज़ ४३ विचारार्थ लिया था, तब यह पोइन्ट उठाया गया था कि काश्तकारी कानून के पहले मोर्टगेज हैं, उन पर यह लागू होता है या नहीं।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उसके बाद ४३ पास किया और जिसमें स्पष्टीकरण किया कि पहले के मोर्टगेज हैं उन पर लागू नहीं होगा। अब मन्शा है कि जो लैंड कमीशन मुकर्रर हुआ था, उनको राय थी, कि जो पहले के मोर्टगेज हैं वे २० साल के अन्दर खत्म हुए समझे जायेंगे और रिडीम हो जायेंगे, यह राय थी, उस राय के मुताबिक बिल लाया जा रहा है। इसका एक प्रोविज़न है, वह टैनेन्सी एक्ट के रायज़ होने के पहले थी, उनको गवर्न करने वाला है और दूसरा बाद की मोर्टगेज को गवर्न करने वाला है। ४३ क्लॉज़ जो प्रेजेन्ट है, क्लॉज़ दो उसके बजाय सब्स्टीट्यूट कर देते हैं, उसके बाद नये मोर्टगेज हैं उनको गवर्न करने वाला नहीं है। इसलिए सब–क्लॉज़ (२) को पहले रख दीजिये और सब–क्लॉज (३) और बढ़ाइये ताकि आगे के मोर्टगेज को कवर कर सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मान लें तो न बोलूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं मानूंगा नहीं, लेकिन यह कहूँगा कि जो धारा है, इससे आपका पर्पज़ सर्व हो जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बोल लीजिए उसके बाद बोलूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि इस क्लॉज़ को पढ़ें। इसकी जो मन्शा है कि टेनेन्सी एक्ट के नाफिज़ होने के बाद जो मोर्टगेज हुए हैं उनकी १० साल की मयाद रहनी चाहिए और पहले वालों की २० साल रहनी चाहिए। मेरी मन्शा भी यही है। दूसरी अर्ज यह है कि टीनेन्सी एक्ट के नाफिज़ होने से पहले जो मोर्टगेज हुए हैं, जिन पर लॉ रिडेम्प्शन का एप्लाई होता है, वह एप्लाई न होकर २० साल की उसकी मयाद रहेगी, यह सब है। वह एप्लाई होगा और रिडीम होगा, mortgage deed में लिखी हुई डेट से whichever is less और अब free from all encumberances and mortgage amount is deemed to be satisfied, यह मेरी मन्शा है। अब आप क्लॉज़ को पढ़िये तो पता लगेगा कि मन्शा पूरी होती है या नहीं। इसमें यह है: "A usufructuary mortgage of any land made before the commencement of this Act or in pursuance of the provisions contained in sub-sectian (1)" अब टीनेन्सी एक्ट के सब–सेक्शन (१) को देखेंगे तो पता लगेगा, सब–सेक्शन (१) यह है "A Khatedar may transfer his rights in the whole or a part of his holdings in a usufructuary mortgage for a period not exceeding 10 years." तो इसका मतलब क्या है? सब–सेक्शन जो है, उसमें दस साल की लिमिट रखी गई है, दस साल से ज्यादा मोर्टगेज नहीं हो सकता। टीनेन्सी एक्ट के एन्फोर्स होने के बाद टेन इयर्स से ज्यादा मोर्टगेज नहीं हो सकता....

श्री सोहनलाल भटनागर : इसमें २० ईयर्स है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अर्ज कर रहा हूँ, आप आगे देखिये। मतलब यह है कि मोर्टगेज डीड हुआ है वह दस साल के लिए हुआ है, टीनेन्सी एक्ट के बाद हुआ है, तो सब सेक्शन को सामने रख कर आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे "(2) A usufructuary mortgage of any land made before the commencement of this Act or in pursuance of the provision contained in sub-section (1) shall, upon the expiry of the period mentioned in the mortgage deed or twenty years from the date of the execution, there-of, whichever period is less, be deemed to have been satisfied in full without any payment whatsoever by the mortgagor and the mortgage debt shall accordingly be deemed to have been extinguished and thereupon the mortgaged land shall be redeemed and possession thereof shall be delivered to the mortgagor free from all encumbrances." मोर्टगेज डीड १९५५ के बाद होगी वह दस साल के लिए होगी। "20 years, otherwise whichever is earlier." यह "whichever is earlier." से intention be comes quite clear. १९५५ के बाद मोर्टगेज है, वह दस साल के लिए होगी। उससे पहले की मोर्टगेज चाहे जितने साल की हो, उसके लिए २० साल लगा दिया है। तो पहली मोर्टगेज हो सकती है, आठ वर्ष की हो, १५ वर्ष की हो, उसमें प्रोवीज़न लगा दिया है, after all legal phraseology को अरेन्ज करना पड़ता है।

तो यह नहीं है कि २० साल नहीं होगी। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, यह मन्शा है, यह इसलिए है कि लीगल फ्रोज्योलोजी को अरेन्ज करना पड़ता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सब क्लॉज़ तीन जोड़ा जाता, लेकिन उसको न जोड़ने की स्थिति में भी दोनों मन्शाओं का समावेश कर दिया गया है और वह क्लीअर है। एक सब सेक्शन के अन्दर है कि जो मोर्टगेज १९५५ के बाद की हैं, वे दस साल से ज्यादा नहीं हो सकतीं और दूसरे नम्बर पर सब सेक्शन है, उसमें २० साल की मयाद है "whichever is earlier" में number (1) अपने आप आ जायेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : तो सब सेक्शन में मेन्डेटरी दस साल के लिए मान लिया है। उसके आधार पर कह सकता हूँ कि नये दस साल के लिए होंगे, लेकिन इसको मिलाने से यह कॉन्ट्रेरी हो जाता है। जो क्लॉज़ बना है यह पहले के साथ आगे दे रखा है, इसको अगर सेपरेट क्लॉज़ के रूप में लाते तो एम्बीग्विटी नहीं होती।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कोई एम्बीग्विटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूँ कि यह अलग क्लॉज़ एड किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। एक बात यह है कि टीनेन्सी एक्ट के पहले मोर्टगेज हो गये, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसके पहले के जितने होंगे वे २० साल के अन्दर सेटिस्फाइड माने जायेंगे। मान लीजिये—एक मोर्टगेज सन् १९३० में हुआ, अब सन् १९३० का मोर्टगेज है, उसको ३१ साल हो गये, वह मोर्टगेज सेटिस्फाइड हो गया। अगर कोई मोर्टगेज १९२५ में हुआ तो वह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सेटिस्फाइड हो गया। इस कानून के अनुसार उसकी मयाद २० साल से अधिक हो गई। इसमें आगे लिखा है कि सेटिस्फाइड होने के बाद कोई आदमी प्रोपर्टी डिलीवर न करे तो टीनेन्सी एक्ट के सेक्शन १८३ के आधार पर देवा ला सकता है for the redemption of possession from the mortgagee. In that particular possession the mortgagee shall be deemed to be tresspasser, लेकिन सवाल यह है कि वह पीरियड बारह साल का है, इसमें बारह साल का पीरियड होने के कारण से मयाद निकल गई, इसलिए दावा नहीं ला सकेगा। इसलिये जो रिलीफ देना चाहते हैं वह नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ यह जो हम प्रोवीजन रखना चाहते हैं कि एक्ट के कमेन्समेंट के पहले मोर्टगेज हुए थे, और बहुत सारे मोर्टगेज ऐसे हैं जिनको रिडीम करने के बाद जो मयाद है वह खत्म हो जाती है, बीस साल पूरे हो गये हैं। आपने कहा कि २० साल का पीरियड जो पहले हुआ और दस साल का पीरियड उनके लिए जो बाद में हुआ। कोई मोर्टगेज सन् १९२५ में हुआ, तो उसकी मयाद खत्म हो गई टीनेन्सी एक्ट के आने से, तो वह वापिस कैसे लेगा पजेशान उसका ? उसके लिए जो प्रोवीज़न है, उसमें लिखा है कि सेक्शन १८३ के अन्डर दावा ला सकता है और उसकी मयाद बारह साल की है....

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस वक्त टीनेन्सी एक्ट फोर्स में आया, उसके रिडेम्प्शन की मयाद है, वह खत्म हो चुकी है। यहां पर मतलब है, वह रिवाइव हो जायगा, I have not been able to follow your point. Kindly clear it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों पोज़ीशन्स हैं। आपने कहा कि २० साल में सेटिस्फाइड माना जायगा, जो १९२५ का मोर्टगेज है, उस पर कैसे लागू होगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : वह खत्म होगा अपने आप। I am not going to revive those rights which have extinguished.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पज़ेशन कैसे लेगा, पज़ेशन के लिए १८३ के अन्डर में दावा करना पड़ेगा और १८३ के अन्डर दावे की मयाद निकल गई है उसकी। सन् १९२५ का मोर्टगेज है फर्ज कीजिये, उसकी लिमिट है वह एक्सपायर हो गई है, लिमिटेशन एक्सपायर होने से राइट एक्सटिंग्विस हो चुके हैं, वह रिवाइव नहीं हो सकते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : मेरा ख्याल है, माननीय सभापति महोदय, इस पर थोड़ा गलत विचार कर रहे हैं। कानूनी दृष्टि यह होगी, सन् १९२५ का मोर्टगेज है, उस पर कानूनी दावा होना सेटिस्फाइड माना जाय, लेकिन प्रोपर्टी का पज़ेशन लेने की कार्यवाही १८३ में कर सकता है। उसकी मयाद बारह साल की मयाद शुरू होती है उस तारीख से जिससे आदमी ट्रेसपासर होता है और ट्रेसपासर माना जायगा, कानून के पास होने की तारीख के बाद। ट्रेसपासर माना जाता है इस कानून के पास होने के बाद। अतः यह कानून पास होने के बाद १२ साल के भीतर कभी भी कब्जे की कार्यवाही की जा सकेगी।

Page No.91

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : सभापति महोदय....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : मैं समझता हूँ....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : रिडेम्शन का राइट खत्म हो गया और अब यह पास करते हैं कि जो पुराने हैं उन पर लागू होगा। साठ साल की मयाद निकल गई और अब २० साल रहते हैं तो उनका क्या होगा ? वे क्या ट्रेसपासर कहलायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कन्टिन्यूड राइट्स हैं वे ही रिटेन होंगे। २० साल का कानून बना रहे हैं, ६० साल की मोर्टगेज की मयाद है तो १८३ के अन्दर दावा कर सकता है, लीगल पोज़िशन बिल्कुल ठीक है।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसमें यह रहेगा कि ४३ में कह दिया है कि १० साल से ज्यादा नहीं होगा और इसमें कह देते हैं कि :

"shall upon the expiry of the period mentioned in the mortgage deed."

मोर्टगेज डीड में ११ साल कर दिया तो by the provision of sub section (1), it can be challenged in the court, मयाद २० साल की बढ़ाई गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जानना चाहता हूँ कि सब सेक्शन (१) में डोक्युमेंट है और वह वेलिडेट हुआ। Sub section (1) is very clear. For a period not exceeding 10 years-It will be a void agreement. That goes without saying. वह एग्रीमेंट कितना ही होगा अगेन्स्ट लॉ होगा, वह गलत होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : २० का करने के लिये नया क्लॉज क्यों नहीं ले आते।

श्री दामोदरलाल व्यास : But in my mind, there is no difficulty. I think, Mr. Mahendra Singh has told...

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर—सु०) : १० वर्ष से २० वर्ष करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का हक है तो अमेंडमेंट लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, १० से २० की मयाद होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि टिनेन्सी एक्ट में रखा है कि जो जमीन जोतेगा, उसका उस पर हक होगा इसलिये इसको पास करने में कोई हानि नहीं होगी।

श्री सभापति (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी): A number of pertinent points have been raised and I would now like the Hon'ble Minister incharge of the Bill to make a reply.

श्री दामोदरलाल व्यास : I think, I have already made clear. It is not subject to any ambiguity or any misinterpretation. I will again explain, Sir.

We have to read Clauses 1 and 2 together. Let us take clause 1 of the Tenancy Act. The period given is 10 years and not exceeding 10 years.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

It must be 10 years. Under this amended clause, there will be no occasion for wrong interpretation.

So far as clause 1 is concerned, whatever period is mentioned, but the legal period is 10 years.

There is no ambiguity. The provision is quite clear.

श्री सोहनलाल भटनागर : मेरे ख्याल से यह जोड़ दिया जाय : "subject to the provisions..."

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying when I say. I have no objection if you like to change. But so far as the guestion of phraseology is concerned, it is quite sound and so far as the interpretation is concerned, there is no chance for too many interpretations,

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ पेश हुआ है उसके तृतीय वाचन के समय एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान की विधान सभा ने ५५ में बनाया, आज ६ वर्ष भी इसको पूरे नहीं हुए और इस अधिनियम में हमने लगभग १५ संशोधन कर डाले। साढ़े पांच वर्ष के काल में किसी अधिनियम में १५ संशोधन हो जायं, मैं समझता हूँ, सभापति महोदय, यह या तो इस बात का सूचक है कि या तो जिस समय वह सदन में पास किया गया, जितनी संवेदना और सतर्कता से बनाना चाहिये था, नहीं बनाया या यह कहा जाय कि प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स के आधार पर जो जो बातें, जो घटनाएं राजस्व मन्त्रीजी के ध्यान में आई उनके आधार पर संशोधन कर दिये। यू. पी. में, पंजाब में और हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में जितने काश्तकारी कानून बने हैं वे राजस्थान के कानूनों से पहले बने हैं, उनमें से किसी में आज तक १५ संशोधन पेश नहीं हुए। हमारा काश्तकारी कानून उन सब कानूनों के बाद में बना है। उन कानूनों में रही हुई खामियों से हम लाभ उठा सकते थे और इस प्रकार का काश्तकारी कानून पास कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकते थे जिसमें इतने संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहती। जहां हमारे राजस्थान के काश्तकारी कानून को प्रगतिशील बनाने की कोशिश की है वहां १५ संशोधन लाकर लोगों के लिये सिर दर्द पैदा कर दिया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, as the amendment has been passed, so motion for passing of the Bill should not be taken...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : चेअर ने मोशन को अलाउ कर दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order. Under rule 85 sub Rule (2):

"Where a bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

श्री सभापति : I will draw the attention of the Hon'ble member to rule 85 (2) wherein it is provided that the Speaker may allow the motion to debate and I hereby allow it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के कानून हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में बने, उनका हमने लाभ नहीं उठाया, या हमने कानून बनाया उसमें इस प्रकार का पीस मील लेजिस्लेशन किया है, यह एप्रेशियेट नहीं किया जा सकता।

तो मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ये १५ संशोधन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हुए हैं, ये ठीक नहीं है। एक एक साल में तीन तीन संशोधन के कानून पेश हुए हैं, ऑर्डिनन्सेज़ निकले हैं। यह समझ में नहीं आता कि या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने कोई घटना आती है तो उसकी आंखें खुलती हैं; इन्वेरियेबली जितने काश्तकारी कानून पेश हुए हैं उनमें ऑर्डिनन्सेज़ निकले हैं।

ओरीजनल धाराओं में बहुत बड़ा परिवर्तन किया हो या कोई विकास किया हो, ऐसी बात नहीं है। आपने एक एक सेक्शन में दो-दो, तीन-तीन बार संशोधन किये हैं। सेक्शन १५ में आपने दो-तीन बार संशोधन किये हैं। पहले ओरीजिनल कुछ और बना और फिर सरकार के ध्यान में बात आई तो फिर उसमें संशोधन किया गया और उसके बाद हाई कोर्ट या रेवेन्यू बोर्ड की रूलिंग हुई तब सरकार के ध्यान में आया कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, इसलिये कानून में इस प्रकार का एमेन्डमेंट करना चाहिये, किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के बार बार संशोधन करना किसी भी प्रकार से स्वास्थ्यकर नहीं हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक जो कुछ हुआ सो हो गया और जो भी संशोधन आज तक इसमें हुए हैं उन सभी संशोधनों के साथ कोई फाइनल टीनन्सी लॉ बनाया जावे और उसे सभी अदालतों में भेजा जावे। मैं समझता हूँ

Page No.94

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि अभी बहुत सी ऐसी अदालतें होंगी और बहुत से अधिकारी आपको मिलेंगे जिनको यह मालूम नहीं होगा कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में कितने एमेन्डमेंट हुए और कब हुए। कोई भी साल ऐसा नहीं जिसमें आपके कोई न कोई संशोधन नहीं होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि हर साल कितने संशोधन हुए :

सन् ५६ में तीन या चार संशोधन हुए।

सन् १६५७ में चार या पांच संशोधन हुए।

इसके बाद सन् १६५६ में हुए, १६६० में हुए और फिर १६६१ में हो रहे हैं।

(२.४० म० प०)

इसके लिये मैं यह कहूँगा कि इसके लिये एक्सपर्टों की एक कमेटी बिठाई जावे जिससे इन संशोधनों का अन्त हो सके। हाई पॉवर कमेटी बिठाई जावे जिसमें पंजाब, यू० पी०, बंगाल और राजस्थान के एक्सपर्ट हों, उनको बिठाया जावे और इस सम्बन्ध में जितनी भी रिपोर्टें हों, जैसे सेन्ट्रल लेजिस्लेशन इसमें क्या चाहता है, प्लानिंग कमीशन क्या बात चाहता है, एग्रेरियन रिफोर्म की क्या कन्डीशन है, इन सारी बातों पर विचार करें और देखे। इसलिये मैं यह कहूँगा कि एक कमेटी बिठाई जावे और राजस्थान टीनेन्सी लॉ की एक फाइनल मोडिफाइड बुक बनाई जावे जिससे लोगों को फायदा हो सके, क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव है कि अनेक अदालतों में अधिकारियों को इस बात का ज्ञान नहीं कि क्या संशोधन हुए हैं। हमने धारा १६ में टीनेन्टों को खातेदारी के राइट्स दिये हैं। मगर हम देखते हैं कि जिस समय अदालतों में इसके लिये दर्ख्वास्त दी जाती है तो वह दर्ख्वास्त नामंजूर कर दी जाती है। सभापति महोदय, कारण यह है कि वहां पर गजट समय पर पहुंचते नहीं और ये संशोधन गजट में प्रकाशित होते हैं। अगर ये गजट वहां अदालतों में पहुंचते भी हैं तो बहुत देरी से पहुंचे हैं और इतनी देरी से पहुंचते हैं कि उस बीच में कई फैसले ऐसे हो जाते हैं जो संशोधनों की जानकारी नहीं होने से हो जाते हैं। प्रेस की व्यवस्था क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि महीने भर के गजट प्रेस वाले एक साथ भेजते हैं और इस वजह से जानकारी नहीं रहती है। कभी कभी यह होता है कि कुछ पॉवर्स एस० डी० ओ० आदि से लेकर तहसीलदारों को दे दिये जाते हैं और कभी एसिस्टेन्ट क्लेक्टर को पॉवर्स दे दिये जाते हैं, उसका किसी को पता नहीं लगता।

आज राजस्थान में २३२ तहसीलें हैं और तहसीलदार हैं। आज यह कानून का ही बनाया हुआ है। इसमें जो भी संशोधन हुए हैं वे सरकार समय पर सप्लाई करती नही और गजट की सहायता से ही काम लिया जाता है। मगर वे भी अदालतों में समय पर नहीं पहुंचते हैं। कहीं पर हमने तहसीलदार को और कहीं हमने एसिस्टेन्ट कलेक्टर को अधिकार दिये, मगर इसका पता आखिरकार जनता को किस तरह से लगे ! इसके बारे में डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन्स नहीं निकलते, कोई सर्क्युलर नहीं निकलते हैं। इसलिये कई स्थानों पर पुराने कानून ही आज तक चले आ

Page No.95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रहे हैं। कई पॉवर तहसीलदार को दिये जाते हैं तो कई पॉवर्स एस. डी. ओ. को दे दिये जाते हैं और एस. डी. ओ से लेकर कई पॉवर्स एसिस्टेन्ट कलेक्टर को दे दिये जाते हैं। ये कानून जो काश्तकारों के जीवन के साथ सीधा सम्बन्ध रखते हैं उनका उनको पता तक नहीं होता।

इसके अलावा और भी कारण हैं, वे यह कि सन् १६५५ में हमने कोई कानून बनाया और उसके बाद हमने धारा १५ और धारा १६ में पहले जो अधिकार दिये थे उसमें तीन चार बार संशोधन किये। इससे काश्तकार भी अनिश्चित सा रहता है कि सरकार का पता नहीं, कल क्या दूसरा संशोधन ले आये और जमीन हमसे छीन ले। आज रेवेन्यू पटवारी आदि काश्तकार को जमीन दे देते हैं और इससे काश्तकार यह समझता है कि उसको अधिकार मिल गये, लेकिन बाद में उसको पता; चलता है कि वह तो टेम्पोरेरी बेसिस पर अधिकार था मगर 'टेम्पोरेरी' शब्द नहीं लिखा इससे काश्तकार को यह मुसीबत आई। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जिन गरीब काश्तकारों को आपने और आपके अधिकारियों ने चम्बल की जमीन एलोट की है उसमें 'टेम्पोरेरी' शब्द नहीं लिखा है, इससे किसान मारे जावेंगे और उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिये इस प्रकार के कानून से, जो हमने बनाये हैं राजस्थान में असंतोष हो रहा है। राजस्थान के काश्तकार यह समझते हैं कि पता नहीं कौनसा एमेंडमेंट कानून में लाकर सरकार हमसे जमीन छीन ले। हम अगर जमीन में डेवलपमेंट करेंगे तो न मालूम कब राजस्थान सरकार कौनसा कानून बना कर सारे अधिकार हमसे छीन ले और इसका नतीजा यह होता है कि हजारों बीघा जमीन काश्त नहीं होती है। पहले राजस्थान सरकार ने आर्मी में गये हुए लोगों के लिये कानून में एमेंडमेंट किया। मोर्टगेज के लिये आपने पहले १० साल का कहा अब कह दिया कि २० वर्ष का होगा। आज सारे राजस्थान में ऐसी स्थिति बन गई है कि राजस्थान में रहनेवाले काश्तकार यह विश्वास नहीं कर सकते कि यह जमीन हमारे पास रहेगी।

हमने सब–लेट करने का प्रावधान रखा है। ५५ के बाद सब–लेट कर सकते, लेकिन १६५७ में संशोधन रख दिया। अब लोगों के सामने प्रश्न यह आता है कि जब सब–लेट का अधिकार दिया जो ५ या ७ वर्षों के लिये कानून में अधिकार है तो संशोधन को कानून लाकर जिस आदमी को whosoever is recorded Khatedari rights shall be conferred on him.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): It is before the commencement of the Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा, Which Act ?

श्री सोहनलाल भटनागर : पिछले वाले में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मेरा सबमिशन है....

घंटी

श्री सभापति : Detailed reference

(श्री सभापति)

to the provisions should please be avoided in accordance with Section 86...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Section 86 of what ?

श्री सभापति : Of the Rules, that there should be a general reply in support of the Bill or against the Bill, but detailed reference should not be mane.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : And necessary thinking, I am making, sir.

तो सभापति महोदय, अंत में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि टीनेन्सी एक्ट जिसका सम्बन्ध राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता से है, १ करोड़ २० लाख जनता से इसका संबंध है । इसलिये इस कानून में आये दिन संशोधन करना किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता और इसलिये मैं राजस्व मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि वे कानून के माहिर हैं तो उनको फोर्साइटेडनेस से काम लेना चाहिये, इसी में बुद्धिमत्ता है । Fools learn by experience while wise men learn by sight. इसलिये हमको चाहिये कि सारे हिन्दुस्तान के जितने राज्य हैं उनमें इस सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं, उनको देख कर जो भी कमियें रह गई हैं उनको ठीक करके कानून बनाएं । आए दिन ऑर्डिनेन्स जारी करना और संशोधन प्रस्तुत करना किसी प्रकार से अच्छी बात नहीं है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है वह हुआ है और आगे के लिये मैं आशा करता हूँ कि हमारे मन्त्री महोदय इस प्रकार का विश्वास दिलायेंगे और आश्वासन देंगे कि आयन्दा इस प्रकार के संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं होगी और वे एक अप-टू-डेट टीनेन्सी एक्ट बनाएंगे ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : But how unfortunate, Sir, that the Hon'ble member has not learnt even within three years, then what to say in the third reading.

श्री सभापति : The Hon'ble Minister incharge of the Bill to make a reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग के वक्त में जयपुर से आये माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसमें इस बिल के ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस बिल के जो प्रोविज़न्स हैं उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कही । मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि थर्ड रीडिंग के समय मर्यादा को समझ कर क्या बहस करनी चाहिये, यह माननीय सदस्य समझे ही नहीं मालूम होते हैं । सबलेटिंग के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ५५ के बाद का कानून एप्लाई होता है और उनका यह खयाल था कि सबलेटिंग का अधिकार एक दम छीन लिया गया है । सलूम्बर से आये माननीय सदस्य ने उस वक्त ही उनके भाषण के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट कर दी थी और उन्होंने उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया था, अन्यथा वे पांच-सात मिनिट सबलेटिंग विषय में ही बोलते रहते । फोरसाइट किसी की है और कौन नहीं पढ़ता, है यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो मैं सदन के माननीय सदस्यों पर ही छोड़ता हूँ। मैं अपने आपको इस विषय में कोई डिफेन्ड नहीं करना चाहता। माननीय सदस्य की फोरसाइटेडनैस कितनी है और कितना वे कानून को पढ़ते हैं, यह माननीय सदस्यों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ।

सभापति महोदय, जब राजस्थान बना तो टीनेन्सी सिस्टम डिफरेन्ट स्टेट्स में डिफरेन्ट था और उनमें इतना आपस में डिफरेन्स था कि उनका कोडीफई कर देना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था। जितने कस्टम्स लैंड के बारे में थे, जो टैन्यौर चले आ रहे थे, उन सब को स्टडी करके विधान सभा ने सन् ५५ में एक कानून बनाया। जितने उसके बाद अमेंड-मेंट्स हुए हैं यदि उनको देखा जाय तो कहीं यह नहीं पाया जायगा कि किसी के अधिकार छीने जा रहे हैं। कहीं अधिकार छीनने की बात नहीं है, जिस जिस प्रकार से टीनेन्ट्स के, सब टीनेन्ट्स के राइट्स एक्रू हुए हैं उनको बाद के कानूनों में ले लिया गया है, चाहे वे चम्बल में राइट्स एक्रू हुए हों । ५५ से अर्लियर सन् ५३ में ही रूल्स बना लिये गये थे प्रत्येक अधिकारी को इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिये गये थे, चाहे चम्बल के विषय में हों, चाहे जवाई पर हों, चाहे भाखरा, गंगकैनाल के विषय में हों। हां, टेम्पोरेरी अलॉमेंट्स हुए हैं। There will be no permanent rights in these areas. इसलिए यह कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि ५५ के बाद में उनके राइट्स छीन लिये गये हों। जब कोई हम एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बनाते हैं और यदि प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में हम ढालना चाहते हों तो हमको समय के माफिक हमारे कानून में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। यह बात कही जाय कि एक दफा कानून बना दिया और उसमें फिर कोई अमेंडमेंट न किया जाय, चाहे उसमें कोई गलती रह गई हो, चाहे कोई प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई जा रही हो, फिर भी अमेंड-मेंट न करें, तो मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। माननीय सदस्य एक भी पोइन्ट अपने भाषण के दौरान में पोइन्ट आउट नहीं कर सके कि गलती कहां की गई है। टीनेन्ट को, सब टीनेन्ट को ज्यादा अधि-कार देने के लिए, मिडिल मेन प्रोफिट मेकिंग न करें उनको एलिमिनेट करके जो कोई लॉ बनाया जाय और जैसा कि बक्र २ पर किया गया है वह जरूरी था। करना चाहिये भी।

दूसरी बात यह कही गई कि तहसीलदार, कलेक्टर, एस० डी० ओज़ को जो कानून के द्वारा अधिकार दिये गये हैं उनको वे नहीं जानते हैं क्योंकि उनके पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि सन् ५५ का कानून और उसके बाद अक्टूबर ५६ तक अप-टू डेट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको कोडिफाई करके, उनको छाप कर प्रत्येक अधिकार, तहसीलदार, एस० डी० ओ०, कलेक्टर आदि के पास भेज चुके हैं और वे उनको मिल चुके हैं। यदि माननीय सदस्य ने उसको देखा नहीं है तो मैं उनको एक कॉपी नजर कर दूंगा। ५५ का कानून ही है, यह आपको नहीं कहना चाहिये था कि अमेंडमेंट्स कहां ढूंढने जायं, अमेंडमेंट्स अप-टू-डेट ऑलरेडी मौजूद हैं। सीलिंग के भी हैं।

Page No.98

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ५५ में भेजे हैं। What about 58—59 ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जरा सुन लीजिये। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि राजस्थान में कानून बनाने में, लैंड के बारे में कितना ही प्रगतिशील कानून बनाने में कदम हो, वह आपकी जानकारी में आ ही नहीं सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि आप अच्छी बात, यदि कोई की गई हो तो भी उसको अच्छी बात नहीं कहेंगे और क्यों ऐसा है और क्या कारण हैं इसके लिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। आपका यह कहना कि उनके पास कोडिफाइड, अमेंडेड कानून की पुस्तक नहीं है, यह उचित नहीं है। जब कि खुद के पास भी किताब मौजूद है और ५६ की किताब ही आप यहां बता रहे हैं और कह रहे हैं और उसको ५५ की बता रहे हैं। इस विषय में मैं अधिक नहीं कहना चाहता, कहने की आवश्यकता भी नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी अमेंडमेंट्स निकलते हैं उनका डिटेल्ड सर्कुलर छपने से पहले ही हर एक कन्सर्निंग ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है और वे इन्स्ट्रक्शन्स उनके पास पहुँच भी जाते हैं। आपने यह कहा कि उनके पास इत्तला नहीं पहुंचती है और महीने भर में गजट उनके पास पहुंचता है, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि अमेंडमेंट्स के एन्फोर्समेंट में आने से पहले ही उनके पास इन्स्ट्रक्शन्स पहुंच जाती हैं। जिस किसी लैंड लॉ में अमेंडमेंट किया है वह बराबर उसमें मिलेगा। इसके अलावा नये एडीशन्स रीप्रिन्ट में हैं और छप कर उनको समय पर अवेलेबल हो जावेंगे। यह मैं जानता हूँ कि लॉ कॉम्प्रिहेन्सिव हो और एक ही वोल्यूम में भी हो जिससे कि सम्बन्धित अधिकारियों को दिक्कत न हो। इसलिए उनका रीप्रिन्ट हुआ है और रीप्रिन्ट होकर वे शीघ्र ही अवेलेबल हो जावेंगे। माननीय सदस्य को शिकायत नहीं रहेगी।

जहां तक इस अमेंडमेंट बिल का ताल्लुक है माननीय सदस्य ने एक बात नहीं की। यह मान कर चलना चाहिए कि प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए और समय के अनुसार ज्यादा राइट्स देने होंगे तो अमेंडमेंट लैजिस्लेशन में करना होगा, मिडलमैन आदि को एलिमिनेट करने के लिए अमेंडमेंट की आवश्यकता हुई तो उनको लाना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने यू. पी. आदि कई जगहों के टीनेन्सी एक्ट का हवाला दिया। माननीय सदस्य ने उनको पढ़ा होगा। मैंने भी उनका अध्ययन करने की कोशिश की। यह न समझें कि यू० पी० में अमेंडमेंट उनमें नहीं हुए हैं। यू० पी० के एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में और टीनेन्सी का एक्ट है उसमें कई अमेंडमेंट्स हुए हैं और होने चाहिये। यदि उसको प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर और टीनेन्सी के राइट देना चाहते हैं, फिर कोई वजह नहीं कि इस बात से डरें कि अमेंडमेंट्स क्यों कर रहे हैं। आवश्यकता होगी वहां अमेंडमेंट्स किये जावेंगे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १६६१, एज़ अमेन्डेड, पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६१, एज़ अमेन्डेड, पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही ३. ३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही ३. ०० स्थगित हुई)

(तदुपरान्त विधान सभा की बैठक साढ़े तीन बजे म० प० विधान सभा भवन, जयपुर में पुनः प्रारम्भ हुई)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान राज्य के १९६१–६२ के आय-व्ययक की वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुति एवं आय-व्ययक भाषण

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On a point of order, Sir......

एक माननीय सदस्य : No point of order.

श्री अर्जुनदास : Is anybody entitled to use that desk which the Hon'ble Finance Minister is using ? I think it is wrong.

श्री अध्यक्ष : This is no point of order.

श्री अर्जुनदास : If the Hon'ble Minister can use it, then I can also use it, Sir. Nobody can have superiority complex here.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : If you happen to sit on this side, then we don't mind.

श्री अर्जुनदास : From this side, Sir.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, मैं राजस्थान सरकार का १९६१–६२ का आयव्ययक पेश करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ।

२. सबसे पहले मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम हर साल या तो कोई न कोई महत्व का काम करते हैं या हमारा आय–व्ययक किसी न किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर रोशनी डालता है। फिर, सदन के माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि यह १९६१–६२ का आय-व्ययक उन तमाम आय–व्ययक से, जो पिछले सालों में इस सदन में पेश किये गये हैं, ज्यादा महत्व रखता है; क्योंकि अगला साल तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला साल होगा, और इस विधान सभा के वर्तमान सत्र का आखिरी साल ।

३. सच पूछिये तो हमारा योजनाबद्ध अर्थ प्रबन्ध अभी कुल दस साल का ही नन्हा बच्चा है ।

श्री अर्जुनदास : बुढ़ापे की औलाद ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी) इस थोड़े से समय में इसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । मगर इसमें काफी जीवनी शक्ति है जिससे जो भी और जब जब इसका इलाज किया गया, इसे फायदा पहुँचा है । इसी का यह नतीजा है कि यह, आम तौर पर तो जैसी कि हमने अभिलाषा रखी थी, आगे बढ़ता चला गया, किन्तु जाहिर है कि और तमाम बच्चों की तरह, अपने माता-पिताओं की सारी बड़ी बड़ी इच्छाओं और आशाओं को पूरा न कर पाया-फिर भी कहना होगा कि यह बालक प्यार करने लायक है, बहुत भला-चंगा स्वस्थ है, चपल है और होनहार भी है । इसमें बहुत सी भावी आशाएं, संभावनाएं छिपी हुई हैं । अब तो वह अपनी जवानी में कदम बढ़ा रहा है और, किसी बच्चे के हाईस्कूल दिनों की तरह, यह एक एक ऐसे साल होंगे, जबकि इसकी प्रवृत्तियां विशेषरूप से बढ़ेंगी, और हित सम्बन्धों का दायरा फैलेगा, मगर साथ ही, बड़ी चिन्ता और जतन के साथ हमें उसकी साल-संभाल की जरूरत भी होगी, जिससे वह शौकीन, फिजूल खर्च, निकम्मा और ऐसा वैसा लड़का न बन जाय, बल्कि एक उम्दा, खिले फूल की तरह, स्वस्थ सुन्दर नवयुवक के रूप में चमक सके ।

४. हमारे लिए यह बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्णता, और तृतीय योजना के शुभारंभ में तन-मन से काम करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है । तीसरी योजना का यह पहला साल इस बात का सूचक होगा कि तृतीय योजना का आकार क्या है और तत्संबंधी हमारी देनदारियां और जिम्मेदारियां कितनी हैं । निश्चय ही इसमें नई योजनाओं का श्रीगणेश होगा, नये निर्माण कार्यक्रमों की शुरूआत होगी और नई नई संस्थाएं खुलेंगी । यह एक उल्लेखनीय देवयोग है कि इस विधान सभा के द्वारा जो आखिरी आयव्ययक पास होगा वह, अगले पांच सालों के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक नमूने का काम देगा और इसमें कोई शक नहीं कि यह जबरदस्त जिम्मेदारी हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य को सामने रख कर निबाहनी होगी—वह है अपने राजस्थान की प्यारी जनता का सर्वोपरि हित ।

५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना १९६१-६२ के आयव्ययक की मुख्य रूपरेखा का वर्णन करने से पहले यह वांछनीय है कि हमने समस्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्या क्या सफलताएं प्राप्त की हैं, काम किये हैं, इसका हिसाब लगाया जाय । हमने जो जो प्रत्यक्ष या भौतिक सफलताएं प्राप्त की हैं उनका बहुत कुछ उल्लेख तो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हो चुका है—इसलिए मैं यहां केवल हमारी उन्हीं सफलताओं और कमियों, दोनों का, मुख्यतः दिग्दर्शन करूंगा जिनका कि सम्बन्ध हमारे आर्थिक या वित्तीय लक्ष्यों से होगा ।

६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमारे राज्य का, अलावा अजमेर के, कुल राजस्व २४ करोड़ सालाना था । द्वितीय योजना की कुल उच्चतम सीमा ९७ करोड़ तय की गई थी, जिसमें अजमेर के अंक शामिल नहीं हैं । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह तजवीज की गई थी कि हमारे राज्य को २७ करोड़ के आय-साधन जुटाने होंगे, जिनमें ९ करोड़ के नये कर होंगे और

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

७० करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। द्वितीय वित्तीय आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हमें अतिरिक्त आय-साधन उपलब्ध हुए। इससे हमारी आमदनी बढ़ी। इसके मुकाबले में राज्य को कई हानियों की पूर्ति भी करनी पड़ी, जिसके कारण इस प्रकार हैं: सीमा शुल्क को हटाने से आय की जो क्षति हुई उसे बिक्री कर लगाने पर भी पूरी न कर पाना, कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला को समसमान (रैशनलाइजेशन) बनाने के फलस्वरूप खर्च का बढ़ जाना, राज्यों का पुनर्गठन, जिसके फलस्वरूप अजमेर राज्य का शेष राजस्थान में विलय हुआ, सरकार के अल्प वेतन भोगी राज्य कर्मचारियों को दिये जाने योग्य मंहगाई भत्ते की दरें बढ़ाना और मंहगाई भत्ते के लगभग आधी रकम को वेतन में मिलाने से बढ़ी पेंशन सम्बन्धी देनदारियों को स्वीकार करना, हमारे प्रशासन यंत्र को मजबूत करना, तथा दूसरे योजनाबाह्य किन्तु अत्यन्त आवश्यक खर्चे की जिम्मेदारी उठाना। दिसम्बर १९५८ में द्वितीय योजनाकाल के हमारे आय-साधनों की फिर से कूंत की गई थी, जिसके फलस्वरूप यह आशा की गई थी कि ये आय-साधन बढ़कर ३४ करोड़ तक पहुंच जायेंगे और ७१ करोड़ की रकम केन्द्रीय सहायता के रूप में मिल जायगी। दोनों मिलकर १०५ करोड़ की रकम होगी जो पुनर्गठित राज्य की योजना की उच्चतम सीमा की पूर्ति में काम आयेगी।

७. अब यह देखना उपयोगी होगा कि योजना सम्बन्धी इन आंकड़ों को देखते हुए हमारा काम कितना हुआ है? योजना के आय-साधनों में सबसे पहली महत्व की बात यह है कि हमारे राजस्व लेखे में बचत कितनी रही; अर्थात् यह कि १९५५-५६ की कर व्यवस्था की दरों के हिसाब से हुई कुल राजस्व प्राप्ति में से, जिसमें उनकी वृद्धि के रुख का ही हिसाब लगाया जायेगा, कुल योजनाबाह्य व्यय की रकम को घटाने के बाद राजस्व लेखे में बाकी क्या रहा? शुरू में १९५६ में १० करोड़ के घाटे का अन्दाज लगाया गया था और १९५८ में फिर जब दुबारा हिसाब लगाया गया तो यह अपेक्षा की गई थी कि कुल आय और व्यय दोनों बराबर हो जायेंगे, न कुछ बचत रहेगी और न कुछ घाटा ही। इस सुधार या बढ़ती की उम्मीद दो कारणों से की गई थी, एक तो केन्द्रीय करों के हमारे भाग में वृद्धि हुई जिसकी सिफारिश द्वितीय वित्त आयोग ने की थी, और दूसरे, जागीरदारों को दिये जाने वाले मुआवजे की रकम को राजस्व लेखे में से पूंजी लेखे में डालने का निर्णय हो जाना। पिछले ४ सालों के वास्तविक हिसाबों के, और १९६०-६१ संशोधित अनुमानों के आधार पर, अब यह उम्मीद की जाती है कि कुल राजस्व प्राप्तियां १४७ करोड़ होंगी और राजस्व लेखे में कुल योजना बाह्य व्यय १५० करोड़ रुपया होगा, अर्थात् कुल ३ करोड़ की कमी रहेगी।

८. योजना के आय-साधनों में दूसरा महत्वपूर्ण साधन है सार्वजनिक ऋण का और तीसरा जरिया है अल्प बचत से राज्य सरकार को मिलने वाली रकम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हमने १९५६ में

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सार्वजनिक ऋण से १५ करोड़ की रकम पाने की तजवीज की थी और १९५८ में दुबारा हिसाब लगाने पर १२ करोड़ को उम्मीद की गई थी, पर हमें खुशी है कि हमने करीब १५ करोड़ रुपये प्राप्त कर लिये।

९. लेकिन अल्प–बचत के विषय में, पूरे ५ साल में राज्य सरकार को मिलने वाले अंश से कोई ६ करोड़ की असल आय की अपेक्षा की जाती है जबकि लक्ष्य हमने १९५६ में ७॥ करोड़ का और १९५८ में संशोधित लक्ष्य ८॥ करोड़ का आंका था।

१०. राज्य के आय साधनों का चौथा आधार है बचत की वह रकम जो पूंजी लेखे की प्राप्तियों में से (जिसमें प्रोविडेन्ट फन्ड और बीमे की अमानता जमा तथा जमीन बिक्री की रकम, ओवरड्राफ्ट आदि शामिल हैं) योजना-बाह्य खर्च जैसे योजना-बाह्य भवन निर्माण, जागीरदारों का मुआवजा और ऋणों का भुगतान इनको घटाने से प्राप्त होती है। अब यह अनुमान किया गया है कि कुल मिला कर ७॥ करोड़ की बचत होगी।

११. अब आखरी, बल्कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है नये कर लगाना। १९५६ में जब कि द्वितीय योजना बनाई गई थी यह अपेक्षा की गई थी कि नये करों से ९ करोड़ रुपये मिल जायेंगे। फिर १९५८ में स्थिति का सिंहावकोलन करने पर यह माना गया था कि सारे योजनाकाल में १२ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, किन्तु दरअसल द्वितीय योजनाकाल में कुल १३॥ करोड़ रुपये नये करों से प्राप्त हो जायेंगे। सचमुच यह हमारे राज्य के लिए श्रेय की बात है कि योजनाबद्ध विकास कार्य के लिए आवश्यक द्रव्य साधन जुटाने में किस तरह हमारे राज्य के निवासियों ने अपने कन्धों पर यह खासा कर–भार उठाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखलाई है।

१२. इस प्रकार, द्वितीय योजना के लिए आवश्यक आय साधन इस वित्त वर्ष के अन्त तक ३९ करोड़ रुपये होने की आशा है, जब कि शुरू में २७ करोड़ और १९५८ में ३४ करोड़ आंके गये थे। योजना–व्यय, १९५८ में आंके गये द्वितीय योजना लक्ष्य १०५ करोड़ के मुकाबले में, ९९ करोड़ होगा। इनका फर्क जो ६० करोड़ रुपये होता है, उस रकम को बताता है जो केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में मिलने की प्रत्याशा है।

१३. तीसरी पंचवर्षीय योजना: द्वितीय योजना के वित्तीय अंगों की रूप–रेखा अंकित करने के बाद में तीसरी योजना के वित्तीय अंगों का कुल मिला कर संक्षिप्त चित्र आपके सामने रखूंगा और फिर चालू वर्ष के आय-व्ययक की, और १९६१–६२ के आयव्ययक की तफसील बताऊंगा।

१४. तीसरी योजना में हमारा वित्तीय लक्ष्य २३६ करोड़ होगा। इसकी वित्त-व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को ८० करोड़ तक के आय-साधन देने होंगे जो योजना बाह्य तमाम व्यय और द्वितीय योजना के अंगीकृत व्यय के अलावा होंगे, अंगीकृत व्यय में द्वितीय योजनाकाल में राज्य सेवाओं का जो स्तर रखा गया था जो सुविधाएं दी गई थीं, वे समाविष्ट हैं। यह बहुत भारी जिम्मेदारी है और मैं चाहूँगा कि मैं उन तमाम जिम्मेदारियों का संक्षेप वर्णन करूं जिन्हें द्वितीय योजना के वित्तीय स्वरूप का

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वर्णन करते समय, आय–साधनों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में, इससे पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ।

१५. यह अनुमान किया गया है कि आज की कर-व्यवस्था के स्तर के अनुसार समस्त तीसरी योजना में राजस्व प्राप्तियां २०६ करोड़ होंगी। राजस्व लेखे में योजना बाह्य खर्च भी २०६ करोड़ होगा जिनमें ३३ करोड़ रुपया द्वितीय योजना के अंगीकृत व्यय का शामिल है। इस तरह राजस्व खाते में, तीसरी योजना के लिए कुछ भी बचत नहीं रहेगी।

१६. यह सोचा है कि सार्वजनिक ऋण के तौर पर २० करोड़ रुपये प्राप्त किये जायं और यह उम्मीद की जाती है कि अल्प बचत की रकम में हमें अपने राज्य का अंश १० करोड़ के लगभग मिल जायगा।

१७. पूंजी लेखे में, प्रधान रूप से. जमीन बिक्री से १२ करोड़ और सुधारशुल्क से १० करोड़ मिलने की प्रत्याशा है। पूंजी खाते की दूसरी प्राप्तियां होंगी, सरकारी सम्पत्तियों की बिक्री से, अनिधिबद्ध (अन फन्डेड) ऋण अमानत से, जैसे प्रोविडेंट फण्ड और जीवन बीमा प्रीमियम, एवं ऋणों तथा पेशगी की वसूलियों से। सार्वजनिक उद्योगों में आज तो ऐसा मुख्य उद्योग है सिर्फ विद्युत मण्डल (इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) इसके आय–साधनों का उपयोग तो मुख्यत: इसी के खर्च–वर्च और बढ़ाव–सुधार में हो जायगा। यातायात (रोडवेज़) तो अभी शैशवकाल में ही है और इसकी आय भी बहुत कुछ बढ़ाव-सुधार में और विकास में लग जायगी। अतः तृतीय योजना के आय साधन में सार्वजनिक उद्योग से केवल २ करोड़ की ही प्रत्याशा की जा सकती है। सो भी अवमूल्यन संचय (डप्रीसियेशन रिज़र्व) के रूप में। अब पूंजी लेखे में जो खर्च होगा वह मुख्यतः जागीरदारों के मुआवजे को तथा भारत सरकार के ऋणों की अदायगी की रकम होगी। पूंजी खाते में खर्च को काट कर, कोई १८ करोड़ की बचत होने की आशा है।

१८. इन तमाम आय-साधनों से ४८ करोड़ मिलने की आशा है। अब रहे बाकी के ३२ करोड़। इस खाई को भरने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता है। यद्यपि योजना-आयोग से ३२ करोड़ के अतिरिक्त कर लगाने की बातचीत हुई है। फिर भी योजना बाह्य खर्चों में मितव्ययता से काम लिया जायेगा और राजस्व के वर्तमान साधनों से ही आय प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न होगा ताकि नये करों का यह भार कम से कम पड़े। तथापि यह स्पष्ट ही समझ लेना चाहिये कि इस वृहत आकार की योजना के भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम राजस्थान-निवासियों को और भी अधिक रुपया देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी होगी। कहना नहीं होगा कि योजना के हमारे लक्ष्य बहुत बड़े और ऊंचे नहीं हैं। वे लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ही दृढ़ आधारों पर पूरा करने के प्रयत्न-मात्र हैं।

१९. यह मानना होगा कि अविकसित राज्यों में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही ज्यादा रहती है। इस जिम्मेदारी को पूरा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

करने के लिए जो द्रव्य चाहिए वह सार्वजनिक ऋण, अल्पबचत और अन्ततोगत्वा अतिरिक्त कर आरोपण आदि श्रोतों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

२०. यहां तक दूसरी और तीसरी योजना के वित्तीय पक्ष की रूपरेखा आपके सामने रखी। इसमें मैंने करोड़ की संख्या में अंक रखे थे। अब मैं उचित समझता हूँ कि पिछले दो वर्षों के हिसाब का ब्यौरा संक्षिप्त में रखूं और चालू साल अर्थात् १९६०-६१ के काम का सारांश पेश करूं। इसमें योजना के अन्तर्गत तथा बाह्य दोनों आंकड़े एकत्रित प्रस्तुत किये जायेंगे जो करोड़ों की बजाय लाखों की संख्या में होंगे।

२१. १९५८-५९ के वास्तविक अंक :–१९५८-५९ में राजस्व प्राप्तियां ३३९७ लाख हुईं, जबकि इसी खाते ३५९५ लाख व्यय हुआ। अर्थात् १९८ लाख रुपये का घाटा राजस्व लेखे में रहा। पूंजी खाते में इसी साल में, कुल १६५६ लाख का व्यय हुआ।

२२. १९५९-६० के वास्तविक अंक :–१९५९-६० में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ३९४६ लाख हुईं, जबकि मूल में आयव्ययक अनुमान ३९२७ लाख का था और कुल वास्तविक राजस्व व्यय ४०४३ लाख हुआ और अनुमान था ३९१४ लाख का। राजस्व लेखे में १३ लाख की बचत अनुमानित थी, हिसाब से मालूम होता है कि उसके उल्टा ९७ लाख का घाटा रहा। आय और व्यय दोनों में कई तरह का घटाव–बढ़ाव रहा-उसी का यह फल सामने आया। व्यय की मदों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ-एक तो पंचायती राज की योजना के कारण, और दूसरे शिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य (जिस में जल-प्रदाय शामिल है) तथा सामुदायिक विकास के कारण। इस वर्ष पूंजी खाते २१९० लाख खर्च हुआ।

२३. आयव्ययक अनुमान १९६०-६१ राजस्व–प्राप्तियां :–१९६०-६१ के आयव्ययक में कुल राजस्व ४५८० लाख आंका गया था, जिसमें ४४२ लाख को केन्द्रीय योजना-अनुदान की रकम शामिल थी। इसके मुकाबले में, ३१, दिसम्बर १९६० की वास्तविक प्राप्तियों के और १ जनवरी से ३१ मार्च, १९६१ तक की सम्भावित प्राप्तियों के आधार पर संशोधित अनुमान ४५५१ लाख प्राप्तियों का किया जाता है जिससे २९ लाख की कमी रहती है। मूल अनुमानों को देखते हुए संशोधित अनुमानों में कितनी घटती या बढ़ती हुई, उसका ब्यौरा स्पष्टीकारक स्मृति पत्र में समझाया गया है उसमें जो महत्वपूर्ण अन्तर हैं वे इस प्रकार है :—

संघीय आबकारी कर—८.३३ लाख, बिक्रीकर–१५ लाख, सिंचाई–४.९५ लाख, कृषि-१४.२८ लाख मुख्यतः अधोभूमि जल-प्रदाय मण्डल से, और असाधारण प्राप्तियां-११८.७६ लाख (जो कि जमीन बिक्री और सुधार–शुल्क से अपेक्षित आय में कम होने के कारण हैं) ये सब प्रायः बराबर हो गईं निम्नलिखित बढ़ोत्तरियों से–राज्य आबकारी कर में ६ लाख, यात्री और माल कर तथा मनोरंजन कर में ६ लाख, ब्याज में ११.३० लाख, विविध विभाग में १४.९१ लाख, निर्माण कार्य (सिविल वर्क) में १०.१६

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

लाख, और आय कर में बढ़े हमारे हिस्से की प्राप्ति में १०७.७२ लाख।

२४. इस प्रसंग पर अब संक्षेप में इस बात का सिंहावलोकन कर लेना भी उचित होगा कि चालू साल में जो नई कर व्यवस्था के उपाय किये गये थे उनकी प्रगति कैसी क्या रही। ६५ लाख के नये कर लगाने का संकल्प था, जिसमें १० लाख जमीन के अधिभार (सर चार्ज) से, ७ लाख आबकारी करों की दर में तनिक हेरफेर से, ३ लाख मुद्रांक (स्टाम्प) और न्याय शुल्क (कोर्ट फी) से, ४१ लाख बिक्री कर की दरों के सरलीकरण से और ४ लाख मीटर व्यवस्था के लागू करने के कारण मोटर स्पिरिट के करों से। इन कर उपायों के अलावा, यह भी सोचा था कि २१ लाख सुधार शुल्क से, २४५ लाख जमीन बिक्री से, जो कि भाखरा और चम्बल के सिंचित क्षेत्रों में है, प्राप्त हो जायेगा। जहां तक जमीन पर अधिभार, आबकारी कर, मुद्रांक और न्यायशुल्क का सम्बन्ध है संशोधित अनुमान बताते हैं कि इनकी वसूली हो जायेगी। जहां तक बिक्री और मोटर स्पिरिट के कर से सम्बन्ध है यह अन्दाज होता है कि प्राप्तियां प्रत्याशा से कुछ कम ही होंगी। मगर जहां तक सुधार शुल्क की प्राप्तियों और जमीन बिक्री का सम्बन्ध है, केवल १२७ लाख ही मिलने की आशा है। यहां यह भी बता देना जरूरी है कि योजना सम्बन्धी तजवीजों के लिए राजस्व खाते में केन्द्रीय सहायता जो ४४२ लाख की मानी गई थी, वह अब ४३७ लाख की ही गिनी जाती है।

२५. आयव्ययक अनुमान १९६०–६१ राजस्व खाते में पड़ने वाला व्यय :-४५६४ लाख के कुल मूल अनुमानों की तुलना में, जिनमें योजना के ११३२ लाख शामिल हैं संशोधित अनुमान ४६४४ लाख के बनते हैं। इसमें से १०८२ लाख योजना-व्यय से सम्बन्ध रखते हैं, इनके घटाव बढ़ाव का ब्यौरा स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र में दिया गया है। उनमें मुख्य मुख्य घटाव बढ़ाव इस प्रकार हैं। बढ़ती— राज्य आबकारी कर ८.६० लाख, व्याज १६.८३ लाख, पुलिस ३३.०४ लाख (मंहगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी के कारण), वैज्ञानिक विभाग ५.०१ लाख, शिक्षण २८.०८ लाख, निर्माण (सिविल वर्क्स) १०.७४ लाख, बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धी अन्य राजस्व व्यय ६.१८ लाख अधिवार्षिक भत्ते और निवृत्ति वेतन २५.८७ लाख, और सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ६०.८४ लाख। घटाव भी हुआ है जैसे कि ऋण परिहारार्थ विनियोजन (एप्रोप्रियेशन फॉर अवोइडैंस ऑफ डेट) ८३.२१ लाख (जमीन बिक्री और सुधार शुल्क की कम वसूली के कारण) कृषि १३.८२ लाख (जो कि योजना-सम्बन्धी कामों की मन्दगति के कारण हुआ) उद्योग तथा रसद ६.८८ लाख, विविध विभाग १२.४६ लाख और विविध १८.०६ लाख। इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस वर्ष न्यून वेतन कर्मचारियों जिनको ३०० रु० माहवार तक मिलता है (३२० रुपये माहवार तक कुछ सामन्जस्य के बाद) को ५ रु० माहवार महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है जिससे इस वर्ष ७० लाख व अगले वर्ष करीब १०० लाख का अधिक खर्च होने का अनुमान है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

२६. आयव्ययक अनुमान १६६०–६१ पूंजीगत व्यय :-२७२२ लाख के असली व्यय के मूल अनुमान के मुकाबले में संशोधित अनुमान २४४६ लाख के बनते है । जो कमी है वह मुख्यतः राजस्थान नहर के आवंटन (एलोकेशन) के अन्तर्गत है जो कि भारत सरकार के द्वारा ७०० लाख तय किये गये–व मुकाबले ११३० लाख के मूल आयव्यय के निर्णय के ।

२७. नियोजन (इन्वेस्टमेंट) १६६०–६१: –३१ मार्च १६६० को जी. पी. नोट के रूप में ११५० लाख कुल लगे हुए थे, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन १०८७ लाख रह जायेंगे–ऐसी सम्भावना है । प्रतिभूतियों (सीक्योरिटीज़) में कुछ कमी आ गई है जिसका कारण है ८२ लाख के नोटों का भुनाया जाना,. जिनकी मयाद हो गई थी, इसके मुकाबले में १६ लाख के गुजरात के ४ प्रतिशत ऋण लेने से कुछ पूर्ति भी हुई है । ट्रस्टफंड के अन्तर्गत भी ११ लाख को घटती हुई है जिसका कारण अवधि हो जाने से प्रतिभूतियों का बेचा जाना है । इसके विपरीत सहकारी समितियों के हिस्सा पूंजी में रकम लगाने में वृद्धि हुई है, जो कि ३७ लाख के लगभग है ।

२८. १६६०-६१ में अधिकर्षण :-ओवर ड्राफ्ट–३१ मार्च, १६६० को केन्द्रीय सरकार के यहां राज्य सरकार द्वारा जमा प्रतिभूतियों के मुकाबले में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया से तथा दूसरे बैंकों से समय समय पर हुए अधिकर्षण की रकम १४८७ लाख थी । चालू वित्त वर्ष के अन्त तक इसमें कोई खास परिवर्तन की आशा नहीं है ।

२६. सार्वजनिक ऋण १६६०–६१ :–इस वर्ष ५०८ लाख रुपये का सार्वजनिक ऋण, सफलता के साथ बिक गया । अब तक के सार्वजनिक ऋणों की प्राप्ति की रकम १४८६ लाख रुपये है ।

३०. केन्द्रीय सरकार से ऋण १६६०-६१ :–३१ मार्च १६६० को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की रकम ८६६६ लाख है और ३१ मार्च १६६१ को बढ़ाकर १०,६०५ लाख हो जाने की आशा है । इनमें ३३३४ लाख भाखरा नांगल परियोजना के, १८४० लाख चम्बल परियोजना के और १४५२ लाख राजस्थान नहर के शामिल हैं । शेष रकम दूसरी विकास-योजनाओं से सम्बन्ध रखती है ।

३१. इससे यह मालूम होगा कि सार्वजनिक तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋण की कुल रकम काफी बड़ी है । परन्तु यह समझने की बात है कि निजी ऋण और सरकार प्राप्त ऋण के रूप में अन्तर है । किसी सरकार की सार्वजनिक ऋण की देनदारी इस बात को सूचित करती है कि जन–साधारण राज्य की चहुंमुखी विकास योजनाओं में कहां तक अपनी बचत को लगाने के लिए तैयार है । विस्तारशील अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण की रकम प्रतिवर्ष बढ़ती ही जायेगी । ऐसी दशा में सार्वजनिक ऋण के बढ़े हुए अंकों को देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । ये ऋण ब्याज कमाने या देने के उद्देश्य से दिये–लिये नहीं जाते है बल्कि विकास, निर्माण, उत्पादन आदि की

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये दिये लिये जाते हैं और इन योजनाओं की परिपूर्णता से उत्पन्न आय साधनों में से इनका चुकारा किया जाना बिल्कुल सम्भव होगा।

३२. आयव्ययक अनुमान १९६१-६२ योजना की रूपरेखा :-अब मैं १९६१-६२ के आयव्ययक का वर्णन करूंगा। इस वर्ष में हमारा उद्देश्य यह है कि योजना बाह्य व्यय मदों का स्तर जो आवश्यक हो, उसको चालू रखा जाय, द्वितीय योजना में जो विकास कार्य चल रहे थे उन्हें जारी रखा जाय और तृतीय योजना को केन्द्रीय सरकार की सहायता के बल भरोसे अंगीकार किया जाय। १९६१-६२ में योजना व्यय लगभग ३४०० लाख होगा जो कि कुल योजना के २३६ करोड़ का कोई १४ फी सदी होगा। २२५० लाख की केन्द्रीय सहायता मिलेगी। शेष ११५० लाख की रकम की व्यवस्था राज्य के आय साधनों से करनी होगी जिनमें कि राजस्व और पूंजी लेखे के आय व्यय से निकली बचत, सार्वजनिक ऋण तथा अल्प बचत और नये कर की रकम भी शामिल होगी।

३३. राजस्व प्राप्तियां १९६१-६२ :-- कर व्यवस्था की वर्तमान दरों के अनुसार राजस्व की कुल रकम का अनुमान ४३२६ लाख है। इसमें ३७२ लाख को रकम और जोड़नी होगी जो कि केन्द्रीय सरकार से योजना व्यय के लिए प्राप्त होगी। इस तरह कुल मिलाकर ४६९८ लाख रुपये होंगे।

३४. केन्द्रीय सहायता को छोड़कर जो ४३२६ लाख की रकम का अनुमान होता है वह ४११३ लाख की रकम से तुलना करने योग्य है जो कि १९६०-६१ के कुल संशोधित अनुमान की रकम है। संशोधित अनुमानों के मुकाबले में जिन महत्वपूर्ण मदों में बढ़ती की उम्मीद रखते हैं वे हैं लगान--८२ लाख, राज्य आबकारी ४० लाख, बिक्री कर ३० लाख, ब्याज २६ लाख, सड़क यातायात २३ लाख, जमीन बिक्री और सुधार शुल्क १०० लाख। यह वृद्धियां अवश्य हुई हैं परन्तु कुछ कमियां भी हुई हैं, विशेष कर कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन के प्रति जो सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती थी उस मद में।

३५. आयव्ययक १९६१-६२ राजस्व लेखे में व्यय-योजना बाह्य राजस्व लेखे के अन्तर्गत कुल व्यय का अनुमान ३९६२ लाख के लगभग होगी जबकि योजना व्यय स्थूल रूप से १००५ लाख होगा और ९८६ लाख असल (नेट) रकम होगा जो कि केन्द्रीय सरकार के अलावा दूसरे साधनों से योजना व्यय के लिए मिलने वाली है, उसको घटाने के बाद बचेगी। इसका योग हो जायेगा ४९४८ लाख।

३६. राजस्व लेखे में घटी--अब तक मैंने जो कुछ कहा उससे यह साफ हो जाता है कि कुल राजस्व आय (जिसमें केन्द्रीय करों का भाग और केन्द्र का साधारण अनुदान शामिल है) ४३२६ लाख है और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की रकम को छोड़कर दूसरा व्यय ३९६२ लाख होगा। इस तरह ३६४ लाख को बचत होती है। बचत का यह ३६४ लाख रुपया और योजना व्यय के निमित्त केन्द्रीय सरकार की सहायता की रकम ३७२ लाख मिलकर कुल ७३६

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

लाख हो जाती है जबकि योजना-कार्यों में असल खर्च ६८६ लाख होगा। इस तरह २५० लाख रुपये का असल घाटा होने की सम्भावना है।

३७. कुल पूंजीगत व्यय २५०० लाख रुपये का आंका गया है जिसमें १६७४ लाख रुपया योजना सम्बन्धी भी शामिल है। ८९ लाख की केन्द्रीय सहायता जो योजना कार्यों के लिए मिलेगी उसे तथा राज्य की सम्पत्ति आदि को बेचकर मिलने वाली १७६ लाख की रकम को घटाने पर असली पूंजीगत व्यय २२३५ लाख होगा। ऋण वितरण के लिए ८५३ लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें ७२१ लाख योजना कार्य सम्बन्धी शामिल है। केन्द्रीय सरकार के ऋण की अदायगी की मद में ४२० लाख रुपया रखा गया है जिसमें ८७ लाख रुपया अल्प-कालीन ऋण के भी शामिल हैं। योजना कार्यों के लिये ऋण के रूप में १७७१ लाख रुपये मिलने की उम्मीद की जाती है।

३८. विभिन्न ऋणों की वसूली, पेशगी और अमानत जमाओं की वसूली, प्रोविडेंट फण्ड, बीमा आदि से प्राप्त होने वाली रकम और योजनाबाह्य खर्च सबका हिसाब लगाते हुए पूंजी लेखे में ७७ लाख रुपये के घटी होने की सम्भावना है।

३९. कुल घटी-अब राजस्व और पूंजी दोनों लेखों का हिसाब देखते हुए कुल घटी ३२७ लाख के लगभग होती है।

४०. योजना व्यय-अब ३२७ लाख की कुल घटी का सही चित्र हमारे सामने आ जाय, इसलिए यह जरूरी है कि विकास सम्बन्धी कुल व्यय के बारे में भी कुछ कहा जाय। १९६१-६२ में, तीसरी योजना कार्यों पर १००५ लाख रुपया राजस्व लेखे में व्यय होगा और १६७४ लाख रुपया पूंजी लेखे में तथा ७२१ लाख रुपया ऋण पर। कुल ३४०० लाख रुपये होंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंगीकृत कार्यों के कारण योजना बाह्य राजस्व लेखे में ६९९ लाख रुपये व्यय होगा। यदि हम दूसरे योजना बाह्य व्यय को भी जोड़ें जिसमें पूंजी और ऋण की मदें भी शामिल हैं तो विकास की मदों में, १९६१-६२ में, कुल खर्च की रकम ५६४८ लाख रुपये हो जायेगी जो कुल राजस्व और पूंजी लेखे की रकम ८०१४ लाख की ७० फी सदी होगी। इससे यह प्रतीत हो जायगा कि राज्य के कुल विकास सम्बन्धी व्यय को देखते हुए घटी की यह रकम बहुत ज्यादा नहीं है।

४१. द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में तथा हरेक कार्यक्षेत्र में हमने भौतिक और आर्थिक लक्ष्य कितने प्राप्त किये लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूँ इसके विवरण में मैं जाना नहीं चाहता, और न ही मैं तीसरी योजना का ब्योरेवार वर्णन करना यहां आवश्यकता समझता हूँ क्योंकि वह तो माननीय सदस्यों के समक्ष अलहदा पेश होने वाली ही है।

४२. कुछ महत्वपूर्ण कदम-फिर भी मैं इस अवसर पर सरकार द्वारा उठाये गये उन तमाम महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख करूंगा जो उसने द्वितीय योजना काल में समाजवादी नमूने का समाज बनाने के निश्चित उद्देश्य

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

को पूरा करने के सिलसिले में उठाये हैं। प्रथम तमाम जागीरदार, बिस्वेदार और जमींदार जो कि जमीन के मामले में बिचवइये थे हटा दिये गये हैं, जिससे कि खुदकाश्त करने वाला किसान खुद ही अपनी मेहनत का फल भोग सके, कोई अन्य बिचवइया उसे हड़प न सके। दूसरे, कृषि भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। तीसरे, राजस्थान सरकार ने महसूस किया कि वास्तविक समाजवादी नमूने का समाज बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि सबको शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर दिये जायं, क्योंकि एक मात्र शिक्षण के द्वारा ही निम्न स्तर का व्यक्ति उच्चतम स्थिति को पहुंच सकता है। यह एक गर्व की बात है कि भारत में राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने हर बालक व बालिका को जो किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में प्रथम-श्रेणी में उत्तीर्ण हो और जिसके माता पिता की आय ३००० रु० वार्षिक से कम हो, छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की है। यह वृत्तियां सिर्फ कला व विज्ञान वालों को ही नहीं परन्तु प्राविधिक व्यवसायिक व अन्य संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी प्राप्त होगी।

४३. इसी उद्देश्य से अगले साल में जो कुछ कदम उठाये जाने वाले हैं उनका भी जिक्र कर देना उचित होगा। इनमें पहले तो यह कि प्राथमिक पाठशालाओं के उन छात्रों के लिए जिनके माता पिता के आर्थिक साधन कमजोर हैं, दोपहर का खाना मिलने का प्रबन्ध हो जिससे उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहे। जहां तक हो सके इन माता पिताओं का बोझ हलका किया जाय जिससे इनके बच्चों को ठीक ठीक शिक्षा मिल सके। इसलिए अगले साल से दोपहर का खाना और पाठ्य-पुस्तकें बिना मूल्य देने की योजना बनाई है।

एक माननीय सदस्य : Very good.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (जारी) : यह काम लोगों के सहयोग से ही हो सकता है और जहां ऐसा सहयोग मिलेगा वहां वह अवश्य जारी कर दी जायेगी।

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : The House has been cheated.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी) ४४ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है सैनिक स्कूल स्थापन करने का। इस राज्य में वीरता व देश भक्ति की परम्परा रही है परन्तु सैना के उच्च अधिकारियों की श्रेणी में यहां के निवासियों का अनुपात संतोषप्रद नहीं है। आशा की जाती है कि सैनिक स्कूल की स्थापना से राजस्थान निवासी सेना अधिकारियों में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

४५. मैं यह भी जाहिर कर देना चाहता हूँ कि १९६१–६२ में राजस्थान में एक दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही तीसरा मैडिकल कॉलेज और एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का सूत्रपात भी हो जायेगा। यह आशा की जाती है कि १९६२–६३ में ये संस्थाएं काम करने लग जायेंगी।

४६. इन महत्वपूर्ण विषयों के अलावा सामाजिक सुरक्षा की एक और तजवीज का

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जिक्र मैं करूंगा जो अगले साल शुरू की जायेगी। ऐसी योजना बनाई जायेगी जिसमें निराश्रित विधवाओं को कुछ मासिक सहायता दी जा सके। साथ ही यह तजवीज़ भी रहेगी कि उन विधवाओं को उपयोगी काम–धंधा सिखाया जाय जिससे इस निर्वाह–सहायता के अलावा कुछ और आमदनी उन्हें हो सके। अगले साल इस काम के लिए ५ लाख रुपया खर्च करने की उम्मीद रखते हैं।

४७. पंचायती राज की योजना से जो अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होने वाला है, उसका भी जिक्र करना जरूरी है। इन पंचायती संस्थाओं का काम चलाने के लिए राज्य-कोष पर १९६०–६१ में कोई ६६ लाख रुपये का अधिक व्यय–भार बढ़ेगा। इधर इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक विकास कार्यों में २३२ पंचायत समितियों द्वारा जन–सहयोग के रूप में जो श्रम, साधन–सामग्री और रुपये के रूप में होगा, उसका अनुमान १२४ लाख रुपये होगा। इस तरह एक ओर जहां जन–सत्ता की जड़ें गहरी और मजबूत होंगी वहां कर–व्यवस्था, ऋण और अल्प बचत जैसे प्रत्यक्ष आय साधनों के अलावा ये पंचायती संस्थाएं भविष्य में जन–सहयोग के रूप में अतिरिक्त आय साधन प्रस्तुत करेंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होंगे। यहां यह भी कह देना जरूरी है कि सामुदायिक विकास से जो उत्साहवर्धक परिणाम देहाती क्षेत्रों में आये हैं उनसे प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने कस्बों में भी सामुदायिक विकास योजना का तत्व दाखिल करने का निश्चय कर लिया है और १९६१–६२ में इस दिशा में कुछ प्रत्यक्ष कदम भी उठाये जायेंगे।

४८. सार्वजनिक ऋण और अल्प बचत १९६१–६२:–जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ योजना व्यय की वित्त–व्यवस्था के निमित्त १९६१–६२ में ३४०० लाख रुपये जुटाने के लिए राज्य के आय साधनों से ११५० लाख रुपये प्राप्त करने होंगे। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसकी पूर्ति के लिये १९६१–६२ में कम से कम ४०० लाख का सार्वजनिक ऋण चलाना होगा और अल्प बचत योजना को इस ढंग से संगठित करना होगा कि जिससे अपने राज्य सरकार के हिस्से के रूप में २०० लाख रुपये मिल सकें।

४९. मित व्यय के उपाय:–घटी को कम करने का पहला उपाय है प्रशासन–खर्च में कमी करना। इस अवसर पर मैं मितव्यय के उन उपायों की ओर खासतौर पर ध्यान दिलाऊंगा जो राज्य सरकार १९६०–६१ में पहले ही कर चुकी है, और १९६१–६२ के आय-व्यय-प्रस्ताव बनाने के दौरान में भी किये गये हैं।

५०. १९६०–६१ में मितव्यय के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनमें सब से महत्व-पूर्ण है चतुर्थ श्रेणी तथा मन्त्रालयिक कर्म–चारियों को संख्या में कमी।

५१. सचिवालय और जिला प्रशासन के व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई हालांकि योजनाव्यय, पंचायती राज और सचिवालय तथा जिलाधीश कार्यालय का काम दिन प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। सामान्य प्रशासन में १९६१–६२ के आयव्यय में सिर्फ एक

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ही बड़ी नई रकम ७. ७० लाख रखी गई है, जो आगामी आम चुनावों के खर्च में काम आयेगी ।

५२. पुलिस विभाग में यद्यपि १९६१–६२ में १२ लाख की नई रकम नवीन व्यय के लिये रखी गई है पर इसकी 'अधिकांश पूर्ति उस विभाग की ११ लाख की उस बचत से करली जायगी जो खाली पदों को रिक्त रखने तथा अन्य मदों में कम व्यय करने से होगी ।

५३. न्याय और जेल–विभाग में कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा ।

५४. कुछ बड़े विभागों में जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्षरूप से योजना से नहीं है, व्यय–भार को कम करने के अलावा वास्तविक मितव्यय के कदम भी कुछ दूसरे विभागों के सम्बन्ध में उठाये गये हैं और उसी के अनुसार आय–व्यय में प्रावधान किया गया है । उन्हें यहां गिना देना अच्छा रहेगा ।

५५. यह तजवीज है कि बन्दोबस्त और भू–एकीकरण के विभागों को मिला दिया जाय इससे २. ५० लाख की बचत होगी । अलबता अस्थाई तौर पर २ लाख रुपये की रकम इस बचत में से रेंटरेंट अधिकारियों की नियुक्ति में खर्च हो जायगी, फिर भी करीब ०. ५० लाख की बचत इसमें रहेगी ।

५६. महकमें जागीर में दो लाख का मितव्यय किया गया है ।

५७. उद्योग विभाग का सारा खाका ही बदल दिया गया है जिससे ६. ५६ लाख की बचत की उम्मीद की जा सकती है ।

५८. सिंचाई–विभाग में यह तजवीज की गई है कि जिन तालावों से २५०० एकड़ से कम जमीन की सिंचाई होती है वे सिंचाई की दर की कुताई करने के लिहाज से राजस्व विभाग के सुपुर्द किये जायं । इससे १ लाख की बचत होने की आशा है ।

५९. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (जल प्रदाय गृह) में २ लाख की मितव्यय का अनुमान है क्योंकि अब भाखरा और चम्बल से सस्ते दरों में बिजली मिल सकेगी ।

६०. कृषि-विभाग में अब तक कई बाग-बगीचे ऐसे थे जिनका खर्चा तो विभाग पर पड़ रहा था आमदनी नहीं के बराबर थी । अब उन्हें नीलाम कर दिया जायेगा जिससे व्यय में २ लाख की कमी हो जायेगी ।

६१. श्रम-विभाग में दूकान- निरीक्षक (इन्स्पैक्टर ऑफ शॉप्स और कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट) की जगह तोड़ दी गई हैं और यह काम नाप और तौल के इन्स्पैक्टर्स के जिम्मे कर दिया गया है जिससे ·८० लाख कम खर्च होने की आशा है ।

६२. सामुदायिक विकास विभाग में पंचायत विस्तार अधिकारी और एक अन्य अधिकारी की जगह तोड़ दी गई है । पंचायतों के निरीक्षण का कार्य एक पूरे पंचायत-सहायक के जिम्मे होगा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में से लिया जायेगा और जिलाधीश की निगरानी में काम करेगा । क्षेत्रीय विकास अधिकारी की जगह जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अन्तर्गत थी तोड़ दी जायेगी, इससे ५. १६ लाख की कमी खर्चे में होगी।

६३. सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में जिला सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारियों की संख्या में कमी करने का इरादा है और दूसरे कर्मचारियों का भी समानीकरण (रेनेशलाइजेशन) किया जायगा जिससे कि ·६० लाख की कमी खर्चे में हो सकेगी।

६४. इन कटौतियों से २३.६२ लाख रुपयों की बचत होगी। इनके अलावा शिक्षण, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु-पालन, समाज कल्याण, सहकारिता, खान और प्रकाशन विभागों के योजनाबाह्य खर्चे में कडाई से जांच पड़ताल की गई है जिसके फलस्वरूप ३१. २४ लाख की और मितव्यय की आशा है। इन सब उपायों से जो अब तक पहले ही किये जा चुके हैं और १९६१–६२ की आयव्यय में जिनका समावेश किया गया है उसकी कुल रकम ५५.१६ लाख हो जाती है।

६५. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पूर्वोक्त मितव्यय के बावजूद जो कि इस आय–व्ययक में प्रदर्शित हुआ है, ३२७ लाख का घाटा फिर रह जाता है।

६६. इस क्रम में मुझे यह कहना है कि सरकार राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का विचार रखती है। वह है राजस्व डिवीजनों का तोड़ दिया जाना। जिससे कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर के पद और उनके सब ऑफ़िस खत्म हो जायेंगे, अर्से से इस विषय पर विचार चल रहा था। इसके हानि लाभ की चर्चा यहां करना अनावश्यक है क्योंकि सोच–विचार के बाद अन्तिमरूप से यह निश्चय कर लिया गया है कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में डिविजनों को हटाकर प्रशासनिक ढांचे को और भी सरल, सुगम और सुवाही बनाया जाय। प्रशासन व्यवस्था में इस परिवर्तन के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यय में कमी भी होगी। इन कमिश्नर आदि का खर्च करीब ८ लाख सालाना हो जाता है। यह खयाल किया जाता है कि इनमें से २ लाख रुपये तो अन्तरिम व्यवस्थाओं में लग जायेंगे, जब तक कि कानून में जो कमिश्नरों की स्थिति का विधान है, वह हट न जाय, अतिरिक्त (सरप्लस) कर्मचारियों को नये योजना–स्थानों में लगाया न जाय और जिलाधीशालय के निरीक्षण की कोई व्यवस्था न हो जाय। अतः १९६१–६२ में तो सिर्फ ६ लाख की ही बचत होगी।

६७. दिन पर दिन यह ख्याल मजबूत होता जा रहा है कि कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बिना जरूरत के लगे हुए हैं और कई और भी जगहें बिना खास प्रयोजन के बढ़ाली जाती हैं। अतः कर्मचारियों की संख्या में अवश्य कमी की जा सकती है। इस कटौती से २४ लाख के मितव्यय के होने की आशा है। फिर भी सोचा यह है कि इस तरह बचे कर्मचारियों को योजना–सम्बन्धी नई जगहों में बहुतांश में लगा दिया जाय। जब तक वे दूसरी जगह न लगा लिये जांय उनकी तनख्वाह के लिए ८ लाख का प्रावधान किया गया है, ऐसी दशा में असली मितव्यय १६ लाख का ही होगा।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

६८. इसके अलावा पुलिस, आबकारी और कर-विभागों को छोड़कर अन्य विभागों के यात्रा-भत्तों में ६ लाख की कमी की जायगी।

६९. इस तरह कुल मितव्यय की रकम २८ लाख रुपये होगी।

७०. कर-आरोपण के प्रस्ताव :- इस तमाम मितव्यय के बावजूद २६६ लाख की घटी बाकी रहेगी। इसलिए यह सोचा गया है कि मौजूदा करों की दरें बढ़ाई जायें और नीचे लिखे नये करों की व्यवस्था की जाय :—

(१) व्यक्तिगत मोटर कारों पर कर में २.५० रु० प्रति सीट प्रति वर्ष की वृद्धि। इस प्रकार यह कर १५ रु० के स्थान पर १७.५० रु० प्रति सीट प्रति वर्ष हो जाएगा।

(२) मोटर वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा सामान के सम्बन्ध में कर वृद्धि किराये भाड़े के १/८ (१२ १/२ प्रतिशत) के स्थान पर १५ प्रतिशत तथा १ १२ (८ १/३ प्रतिशत) के स्थान पर १० प्रतिशत।

(३) मनोरंजन कर की दर में प्रवेश शुल्क के ५ प्रतिशत की वृद्धि। इस प्रकार मनोरंजन कर की दरें ५० नए पैसे प्रवेश शुल्क तक २५ प्रतिशत, ५० नए पैसे से ऊपर ३ रु० तक ३० प्रतिशत तथा ३ रु० से ऊपर ३५ प्रतिशत हो जायेंगी।

(४) गैर-अदालती स्टाम्प ड्यूटी में ३०% की वृद्धि। यह वृद्धि उन सब दस्तावेजों के सम्बन्ध में लागू होगी जिन पर स्टाम्प ड्यूटी लगाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इस वृद्धि के कारण जो आय उन स्टाम्प्स करों के संबंध में होगी जिन पर अधिभार (सर्चार्ज) लगाने का अधिकार इस समय पंचायत समितियों को प्राप्त है, उक्त अधिभार (सर्चार्ज) की बजाय पंचायत समितियों को उपलब्ध कर दी जावेगी।

(५) (क) कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर में वृद्धि :—

(१) डीजल आयल ७% से १०%

(२) हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबिल आॅयल (जिसमें वनस्पति शामिल है) ७% से १०%

(३) जिन वस्तुओं पर ४% ४% से ५% बिक्री कर है निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर :

(i) स्टेशनरी (जिसमें कागज तथा न्यूज़प्रिंट शामिल होगा),

(ii) रैडीमेड कपड़े,

(iii) जूते,

(iv) चश्मे, चश्मे के फ्रेम तथा लैंस,

(v) गुड़,

(vi) कैरोसीन।

(ख) बिक्री कर की कुछ छूटें हटाली जावेंगी:— अनाज तथा दालों तथा इनके विभिन्न रूपों

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

की बिक्री कर की आम छूट भी हटाली जावेगी, परन्तु अनाज आदि की राज्य के भीतर होने वाली बिक्री को कर मुक्त कर दिया जावेगा।

७१. इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप विभिन्न मदों से आय में निम्नलिखित वृद्धि होने का अनुमान है—

(१) मोटर कर	१	लाख
(२) यात्री तथा सामान कर	१६	,,
(३) मनोरंजन कर	५	,,
(४) स्टाम्प ड्यूटी	१२	,,
(५) बिक्री कर	७१	,,
योग	१०५	लाख

७२. इसके अतिरिक्त, राज्य उत्पादन करों (State Excise duty) तथा कोर्ट फीस की दरों में परिवर्तन के कारण ३० लाख रुपये की आय वृद्धि अपेक्षित है।

७३. इस प्रकार कुल अतिरिक्त आय १३५ लाख रुपये होने की आशा है।

७४. इतना होने पर भी १६४ लाख रुपये की घटी फिर बच रहेगी जो कि ८७ लाख राजस्व खाते में और ७७ लाख पूंजी खाते में होगी। बजट में यह घटी राजस्व खाते ६३ लाख दिखाई गई है क्योंकि डिवीज़नों के वास्ते बजट में पूरा प्रावधान रखा गया है। इसकी पूर्ति के लिये सरकारी पावना वसूल करने पर जोर दिया जायगा। खर्चे में और भी कमी और सख्ती की जायेगी। कर की चोरी न होने देने के लिये सरकारी मशीन को और मजबूत और तेज बनाया जायेगा और अल्प बचत व ऋण के लिए अधिक संगठित रूप से जी–जान लगा कर काम किया जायेगा।

७५. यह एहसास तो जरूर है कि करारोपण के ये प्रस्ताव राज्य की जनता का कुछ भार बढ़ायेंगे ही। परन्तु यह ऐसा अनिवार्य भार है जो हमें वहन करना ही होगा, यदि हम चाहते हों कि हमारे राज्य में योजनाबद्ध विकास–कार्य तेजी से हो। यदि कोई यह सुझाना चाहे कि १९६१–६२ में योजना की उच्चतम सीमा कुछ कम कर दी जाये या बड़ा घाटा बाकी रहने दिया जाय, तो यह अपनी जिम्मेदारी से पिन्ड छुड़ाने जैसा होगा और तीसरी योजना के बाकी सालों को आर्थिक मुसीबत में डालना होगा।

७६. इसमें कोई शक नहीं कि हमें राजस्थान के विकास के लिए बहुत रुपया लगाने की जरूरत पेश आ गई है जिसका कि पूरा लाभ हम जल्दी ही न उठा पायेंगे। फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारी तीसरी योजना के उद्देश्यों और हमारे आय–साधनों का जो सही चित्र हमारे सामने आया है उसे देख कर हम इस अतिरिक्त भार को खुशी से स्वीकार करने में अग्रसर होंगे। राजस्थान के गर्वीले सपूत, इस सदन में अपने सुयोग्य प्रतिनिधियों के द्वारा, हमेशा ही आवश्यक कुर्बानियों के लिये आगे कदम बढ़ाते रहे हैं, जिससे राजस्थान का आर्थिक और सामाजिक ढांचा सुदृढ़ हो जाय। अतः मुझे यह भी विश्वास है कि तीसरी योजना के इस प्रथम वर्ष में हम अपनी नई जिम्मेदारियों को उटाने के लिये

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

प्रसन्नता से और उत्साह से आगे बढ़ेंगे जिससे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हम देखेंगे कि हमारा प्यारा राजस्थान भारत के अन्य राज्यों में अपने योग्य उच्च और गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया है ।

(दीर्घ विराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४. २१ बजे, दिनांक १० मार्च, १९६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ९मार्च, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १२४९

हिन्नरा बांध (काली सिंध)।

पाली में पुलिस लाइन का निर्माण।

तहसील लाडपुरा के मंडाना रेन्ज के कृषकों को आवश्यकतानुसार लकड़ी की व्यवस्था।

भादरा कस्बे के एस. एच. ओ. श्री अनारसिंह के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही।

जयपुर के डिस्ट्रिक्ट वेटेरीनेरी ऑफिसर द्वारा खरीद किये गये, इन्स्ट्रूमेन्ट्स।

सामाजिक शिक्षा प्रसार अधिकारी की उपयोगिता।

जयपुर नगरपालिका में आबादी अनुसार जन जाति व अनूसूचित जन जाति के लिये निर्धारित सीटें।

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में हुई गिरफ्तारियां।

श्री नवनीतलाल, असिस्टेन्ट फिशरीज़ डेवलपमेन्ट ऑफिसर, उदयपुर के विरुद्ध सरकारी रकम के दुरुपोग की हुई शिकायत पर कार्यवाही।

नगरपालिका, छोटी सादड़ी।

अजमेर स्थिति आदर्श कारागृह में ललितकुमार नामक कैदी की मृत्यु।

लाडनू नगरपालिका द्वारा सड़क निर्माण हेतु चबूतरे वगैरह की तोड़–फोड़।

भूतपूर्व जोधपुर स्टेट से आज तक कार्य कर रहे जोधपुर नगरपालिका के कर्मचारियों के पी. एफ. का एकाउन्ट।

ग्राम लाछडसर की चोरी के मामले में पकड़े गये अभियुक्त की पुलिस हिरासत में मृत्यु।

सदर अस्पताल व केसर मेमोरियल अस्पताल, धौलपुर में

रोगीवाहन व आवश्यक यंत्रों की व्यवस्था।

जयपुर नगरपालिका का चुनाव।

रानी खुर्द में अस्पताल का खोला जाना।

बीकानेर एवं गंगानगर जिले में पाकिस्तानी सरहद पर तैनात आर० ए० सी० के जवानों के आवास हेतु समुचित व्यवस्था कराना।

जयपुर शहर की थड़ियां।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठकों में लिये गये निर्णय।

कार्य सलाहकारी समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर विचार १३०६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकारी समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तत्पश्चात् सदन द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सहमति भी प्रकट की गई।

विधायी कार्य।

विचारार्थ लिये गये विधेयक।

(१) राजस्थान निष्क्रांत–हित (पृथक्करण) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६१ १३०६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया।

(२) राजस्थान म्युनिसिपल कर (वैधकरण) विधेयक, १९६१ १३२७

श्री सम्पतराम, स्वायत्त शासन मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर किये गये वाद–विवाद में ११ सदस्यों ने भाग लिया।

स्कम्भ स्कम्भ

स्वायत्त शासन मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री जगदीशप्रसाद द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार किया गया तथा उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६१ १४०२

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार किया जाकर उसे सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

(सदन की बैठक २ बज कर ५८ मिनट पर स्थगित की जाकर पुनः ३–३० बजे मध्यान्होत्तर विधान सभा के अध्यक्ष, श्री रामनिवास मिर्धा, की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)।

आयव्ययक, १९६१–६२

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने राज्य के आयव्ययक, १९६१-६२ का उपस्थापन किया। १४४५

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित किया।

सदन की बैठक ४ बज कर २१ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक १० मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक १० मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

१. राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, १९६१

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

COMPARATIVE STATEMENT OF QUOTATIONS FOR THE PURCHASE OF INSTRUMENTS AND HOSPITAL APPLIANCES.

S.No. 1	Name of instruments. 2	Surgical suppliers 3	Goyal & Co. Jaipur. 4	Bombay Medical Hall, Jaipur 5	Agency Services New Delhi. 6	Times Surgical Co. Jaipur. 7	India Overseas Exports. 8	Asha agencys Delhi. 9	No. purchased. 10
1.	Instrument Cabin large size with three glass shelves.	Not quoted	510.00 Each	500.00 each.	480. each	450.00 each.	480.00 each	—	One.
2.	Dressing Trolly with drawer	,,	200.00 ,,	176.00 ,,	175.00 ,,	160.00 ,,	195.00 ,,	Nil.	One.
3.	Ticket Holder.	,,	4.75 ,,	5.50 ,,	5.00 ,,	4.50 ,,	5.20 ,,	,,	24.
4.	Cautery Set complete.	,,	625.00 ,,	Nil	450.00 ,,	435.00 ,,	525.00 ,,	,,	One.
5.	Angle Pipe Lamp floor model.	,,	215.00 ,,	250.00 ,,	210.00 ,,	190.00 ,,	225.00 ,,	,,	One.
6.	Artery Forcepts mosquito S. S.	,,	8.97 ,,	9.00 ,,	8.50 ,,	7.65 ,,	9.50 ,,	,,	Six.
7.	,, ,, ,, Corved	,,	10.15 ,,	9.00 ,,	9.00 ,,	8.50 ,,	10.25 ,,	,,	Six.
8.	Towel holding Forceps Cross section.	,,	4.37 ,,	4.50 ,,	4.50 ,,	4.00 ,,	4.75 ,,	,,	Six.
9.	Tissue Forceps allies 6 S. S.	,,	16.37 ,,	15.00 ,,	16.50 ,,	13.50 ,,	18.00 ,,	,,	Six.
10.	Artery Forceps curved angled 5 S. S.	,,	10.25 ,,	9.00 ,,	9.00 ,,	8.25 ,,	9.00 ,,	,,	Six.
11.	Dressing Drums 9"X9", 8"X6"	,,	56.00 ,,	52.00 ,,	54.00 ,,	51.00 ,,	57.00 ,,	,,	One.
			44.00 ,,		42.00 ,,	40.00 ,,	42.00 ,,	,,	One.
12.	Needle Holder Universal S. S.	,,	17.75 ,,	19.50 ,,	17.00 ,,	15.50 ,,	18.50 ,,	,,	One.
13.	Revolving stool with S. S. top	,,	87.00 ,,	90.00 ,,	85.00 ,,	82.00 ,,	97.00 ,,	,,	One.

परिशिष्ट

COMPARATIVE STATEMENT OF RATES FOR PETTY ARTICLES FOR HOSPITAL USE

Rates approved vide D. D. No. 7813, dated 22-3-60

S.No.	Name of Article.	Arjundas Shival Das Jaipur.	Bhagwan Das Dodeja Jaipur.	Hira Metal Indu. Jaipur.	Kushal Chand Hardware Mrrch Jaipur.	Ramlal Bhatia Jaipur	Number purchased.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Buckets G. I. 12"	4.62 each	4.75 each	4.69 each	Not received.	Not received.	Six.
2.	Hamam G. I. Sheet 4 backet capas	32.00 each	34.00 ,,	33.25 ,,	do	do	Two.
3.	Rope Jute	2.50 per seer	2.62 per seer.	2.56 per seer.	do	do	Ten seers.
4.	,, Cotton.	4.75 ,, ,,	5.32 ,, ,,	4.88 ,, ,,	do	do	Five ,,
5.	Locks Wilson $1\frac{1}{2}$"	3.25 each.	3.50 each.	3.32 each.	do	do	Six.

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Locke Wllson 2 "	4.75 each	4.94 each	5.50 each	Not received.	Not received.	Nine.

Expenditure incurred Rs. 210/8 n. p. only

परिशिष्ट

COMPARATIVE STATEMENT OF QUOTATIONS FOR THE PURCHASE OF THERMOS FLASK, 4 PINT ACTUAL SIZE

S. No.	Name of Article.	Ocean Surgical Co. Jaipur.	Times Surgical Co., Jaipur.	J. R. & Co., Jaipur.	Arjundas Shival Das Tripolia Bazar, Jaipur.	Number purchased.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Thermos Flask W.M. 4 pint actual size.	28. 75 each.	28. 70 each.	42. 00 each	24.12 each. Sample examined and not of actual size.	Sixteen.

Above quotations were invited vide D. A. H. O. Jaipur No. 2406, dated 7-7-59.
„ „ approved vide D. D. No. 16-2-60.

Expenditure incurred Rs. 463.79 n. P. only.

परिशिष्ट

STATEMENT OF THE PURCHASES MADE FOR OPENING FIVE SUB-A. I. CENTRES IN JAIPUR DISTRICT IN COMPLIANCE TO THE D. A. H. No. F. V. 10 (9) P D 59/10975 dated 16-6-59.

Quotations invited Vide D. A. H. O. No. 2068-76 dated 25-6-59.

S. No.	Name of articles.	Deepak Agencies, Delhi.	Ocean Surgical Co., Jaipur.	Rajasthan Surgical Jaipur.	Times Surgical Co., Jaipur.	J. R. & Co. Jaipur.	No. purchased.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sterlizer 18"x6"x6" with spirit lamp C. P. rustless.	along 42. 81 each	68. 50 each. 63. 50 without spt. lamp.	64. 75 each.	55. 50 each. 75. 00 „ Times.	75. 00 each.	Nil.
2.	Vaginal Speculum 12"	24. 81 „	17.00 each.	15. 00 „	18. 25 „ 23. 25 „	28. 00 „	15.
3.	—do— —do— 14"	28. 37 „	19. 75 „	21. 00 „	25. 87 „ 20. 87 „	32. 00 „	15.
4.	All Glass Syrings 5 c. c.	2. 37 „	2. 60 „	1. 87 „	2. 12 „	2. 75 „	6 Dz.
5.	Glass Insemination Catheter.	Nil.	Straight or bent 0.73 „ with rubber 0.94 Pipe black plastic 2.50	1. 75 „	0. 44 „	1. 25 „	1000.

1	2	3	4	5	6	7	8
			White polithene 2.75 Transperent. 3.75				
6.	Stove Prabhat.	32. 62 each	Single Burner 45.50 Prabhat with Pri. burner. 22.00 Paradise with primus burner. 21.75	22. 50 each	Prabhat with Primus burner. 22. 50 each. Original Primus 42. 00	24. 00 each 45. 00 ,,	Five.
7.	Cathetor container.	11. 37 ,,	6. 75 each.	8. 00 ,,	6. 50 each.	9. 00 ,,	20.
8.	Syringe ,,	8. 37 ,,	4. 75 ,, 2. 25 ,,	2. 12 ,,	2. 00 ,,	3.00 ,,	60.

Expenditure incurred over the above purchases Rs. 1691. 01 n. p. only.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर देखिये)

PROCEEDING OF THE MEETING HELD IN THE CHAMBER OF THE HEALTH MINISTER ON 15 TH AND 16TH JULY.

As proposed in the Medical Deptt. letter No. F. 14 (14) (3) MPH/59 dated 13th July, 1960, a meeting was held in the Chamber of the Helath Minister on the 15th July, 1960 at 3.00 P. M. The following were present :

1. Shri G. S. Purohit, I. A. S.,Finance Secretary.
2. Shri Vishnu Dutt Sharma,I. A. S., Medical & Health Secy.
3. Shri H. S. Ramani, I. A. S.,Dy. Secy., Medical & Heath.
4. Shri Kishori Lal, Chief Engineer, PWD (B & R).
5. Dr. B. N. Sharma, Director of Medical & Health.
6. Dr. R. M. Kasliwal, Principal, S. M. S. Medical College, & Controller of Attached Hospitals, Jaipur.
7. Dr. S. C. Mehta. O. S. D., Medical College, Bikaner.
8. Dr. L.R. Sarin, Superintendent, S. M. S. Medical College, Hospital, Jaipur.
9. Dr. Y, Appajee, Prof. of Anotomy, Medical College, Bikaner.

2. The question of increasing the number of seats in the Medical College. Bikaner from 50 to 100 was discussed. The Health Secretary and the D. M. & H. S. supported the proposal in view of the acute shortage of doctors in the state as well as to obtain timely advantage of the Central assistance in this regard Dr. Y. Appajee who had submitted a note of dissen carlier reiterated this pointof viewthat the proposal to raise the strength upto 100 was not feasible in the present set up of Hostel and College buildings, particularly due to the impending inspection of the College by the Medical Council of India in April, 61. Dr. S. C. Mehta, O. S. D. ,Medical College, Bikaner and Dr. Kasliwal shared the same view. After thorough discussion and careful consideration of the issue involved the following decision was taken.

1. That the admission be had 100 seats in the Bikaner Medical College for the academic session 1960-61. Due to shortage of College building and hostel accommodation 20 seats out of them be retained at Jaipur for the present session of till suitable accommodation are found for the entire lot of 100seats of the First Year at Bikaner.

2. In the persent College building the Chief Engineer, P.W.D (B&R) will kindly put up temporary structures of tin sheds of suitable dimensions asper requirements of the O. S. D. Medical College, Bikaner for the use of common lecture halls to accommodate the increased in-take.

3. That for Hostel accommodation, Commissioner, Bikaner may be requested for arranging Government or private building till the Hostel buildings are ready.

4. As regards the additional staff, it was docided that the same would be arranged and posted by early the D. M. H. S. as per requirements of the O. S. D. Medical College, Bikaner.

5. That for additional 20 seats of Binkner Medical College, to be retained at Jaipur,extra accommodation will be needed for which it was agreed that efforts should be made by the D. M. H. S. and the C.E. (B&R) to find suitable accommodation. In this connection taking the Kesargarh Fort building on hire and subsequently to purchase it was also considered and it was decided that since the aforesaid building will be continued to be utilised by the Medical Department even in the longrun, it will be worthwhile to purchase it after getting it assessed by the P. W. D.

(6) That the construction of the main College Building will be expedited by the C. E. (B & R) as per spot instructions by the O. S. D. Medical College, Bikaner within the financial sanction.

(7) That for residential and other buildings for which plans and estimate have been submitted, sue priority will be accorded for the construction of those works in consultation with the D. M. H. S. before according administrative and financial sanctions for the same to enable the P. W. I. to complete the work according to priorities determined by the Administrative Department within the limited sanctions according to technically approved plans.

3. Purchase of a Bus for Medical College, Bikaner.

The purchase of a Bus for the Medical College, Bikaner was regarded as an essential item and the Finance Secretary also gave his approval to the proposal. This is to be met out of the lump-sum provision of Rs. 3.34 lacs under the Head ,"38-Medical' at page 183 of the Budget. The requisite sanction of the Government may be issued accordingly.

4. Concessional rates of electric energy to Associated Group of Hospitals, Bikaner :

The matter was discussed and it was observed that the Executive Engineer, Electrical and Mechanical Division, Bikaner has given two alternatives either of constructing a new light and power circuits at a cost of Rs. 24, 346/-or of the approaching the Rajasthan State Electricity Board for the grant of a concessional flate rate for electric consumption in the above hospitals. The Minister desired that the concerned authorities of the Rajasthan State Electricity Board may be contacted so that the matter could be taken up at his end for expediting an early favourable decision.

5. Construction of a T. B. Ward for Police Personnel :

During discussion on the subject, it was observed that possibly there was a misunderstanding by the Finance Department that the entire Ward was to be allotted to the Police Personnel while they contributed a sum of only Rs 25,000/-It was pointed out that out of a total of 20 beds only 6 were to be reserved for police personnel, which is roughly proportionate to the contribution made by the police personnel to the total cost. The Finance Secretary readily approved the proposal (vide item No. 1 (iv) of F. D.'s note to F. S.) and it was decided that Government decision in this regard be communicated to the proper authorities for early necessary action in this respect.

6. The Finance Secretary also gave his approval for items A, B and C given in the enclosure of letter No. 13916/M C/60 dated 14. 7. 60. from the Principal, S. M. S. Medical College, and Controller of Attached Hospitals, Jaipur. The details are as under.

A. Sanction of the following items

Rs. 3. 40, lacs. No. D-20940/F-15 (20) (182) MPH/59 dt. 25. 4. 60. Rs. in lacs.

(i) Extension of the existing girls' Hostel.	1.00
(ii) Construction of water Tower.	0.75
(iii) Fixing and providing gas plant.	0.75
(iv) Extension of workshop.	0.50
(v) Extension of Animal House.	0.40
	3.40

B. Construction of Rear Block.	3.95
C. Construction of Senior Boys' Hostel.	3.97

The sanction will be conveyed and work expedited regarding the above items.

Sd/—H. S. Ramani,
Deputy Secretary to Govt.

F-14(14) (3)59 Dt. 21. 7. 60.

Copy to all Members for information.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर देखिये)

NEW JOB CHART OF SOCIAL EDUCATION ORGANISERS.

The Community Development work is the responsibility of the entire block team as a whole. But the Social Education Organiser as a member of the team has two-fold functions viz.,

(a) as a member of the development team and

(b) his own particular sphere which include the following:—

To stimulate the process of community organisation:—

(a) by formation of groups such as Women's groups, youth organisation, occupation interest groups, farmers clubs and other groups so that the villagers can participate more effectively in the community development programme.

(b) by organising community centres, and

(c) by utilising the existing leadership and stimulating and developing it through training of village people.

2. To organise—

(a) literacy campaigns, literacy classes and literacy work.

(b) Training of teachers for literacy and post literacy work.

(c) Social Education classes for health education and education in citizenship.

(d) follow-up activities.

(e) rural libraries and reading rooms, and

(f) radio listening groups.

and utilise these organisations in the community for the promotion of the above activities.

3. To assist in communication of ideas to the people through use of various Audio-Visual-Aids for effective propagation of the programme of Community Development among villagers.

4. To organise and encourage recreational and cultural activities such as

(a) folk dances, dramas, katha, kirtans, bhajans etc.

(b) Exhibitions and melas.

(c) physical activities like games, sports and akharas.

5. To perform administrative duties so far as they relate to the Social Education Programme.

In the performance of the above jobs, the social education organiser will work with existing organisations like the Panchayat, the Schools, the Co-operative Societies etc., with a view to promote the programme of Social Education through them and help in their growth.

सूची 'ख'

मेहता कमेटी द्वारा समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी की उपयोगिता के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों तथा उन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूची

	राज्य सरकार जो कदम उठा रही है।
1. The services of S. E. O. should also be utilised in Developing public opinion against existing social evils.	समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी यह कार्य बराबर कर रहे हैं। ग्राम मुखियाओं का शिविर–लगाकर उनसे प्रतिज्ञाएं करवा कर तथा ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराके वे सामाजिक कुरीतियों को दूर, करने का निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं।
2. Specialist staff at the district and state levels may be provided to render guidance to S. E. Os. and a seperate section under the Joint Director of S. E. opened in the Department of Education.	जिला स्तर पर जिला समाज शिक्षा अधिकारी एवं राज्य स्तर पर अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के आधीन उपाध्यक्ष, समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी तकनीकी सलाह एवं पथ–प्रदर्शन हेतु नियुक्त किये हुए हैं।
3. The S. E. O. deserves to be assigned a definite position in the education department.	समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी शिक्षा विभाग में यह उन निरीक्षक शिक्षणालय के समान ही ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड पाता है। दोनों का पद बराबर है।
4. The S. E. O. should seek cooperation of members of co-operative societies and hold progressive villagers to join them where they do not exist.	समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी ग्रामों में सहकारिता को बढ़ावा देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं तथा परिवारों को सहकारी समिति का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

5. Vikas melas, Shibirs or training camps for villagers campaigns or drives for different activities may be utilised as supplementary activities requiring day to day participation by the villagers.

विकास मेला, प्रशिक्षण शिविर एवं अन्य शिविरों का निरन्तर आयोजन किया जाता है जिनमें विभिन्न अभियानों के बारे में जैसे प्रौढ़ शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य पक्ष, बीमा अभियान, श्रमदान पक्ष आदि के बारे में ग्रामीणों को बताया जाता है।

6. S. E. Os. should pay increasing attention to youth clubs and encourage village youths to participate in specific projects of work.

नवयुवक मण्डलों की प्रगति की ओर सरकार का विशेष ध्यान है तथा समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी को नवयुवक मण्डल स्थापित करने के बारे में तथा उनमें ढंग से प्रोजेक्ट चलाने के लिए सेमिनार आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया है।

नवयुवक मण्डल के लिए राज्य सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि तक प्रत्येक ग्राम में जिसकी आबादी ३०० अथवा इससे अधिक हो, युवक मण्डल स्थापित हो जाएं।

7. Literacy programme should be drawn seperately for men and women after a preliminary survey of adult illiterates, and camps and intensive drives organised extensively in all blocks.

प्रौढ़ शिक्षा का कार्य आरम्भ करने से पूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी अपने क्षेत्र के सम्पूर्ण सर्वेक्षण करता है तथा उसके बाद ही महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलता है। इसके लिए वह विभिन्न शिविरों आदि का भी आयोजन करता है।

8. Lest neo-literates relapse into illiteracy follow-up programmes should be worked out.

"फालो–अप" के लिए समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी नवसाक्षरों की रुचि के अनुकूल उनके ज्ञानवर्द्धन के लिए प्रत्येक ग्राम सेवक के मुख्य स्थान पर कुछ पुस्तकें रखता है। पंचायत समिति कार्यालय पर भी नव साक्षरों एवं अन्य उत्साही व्यक्तियों के लिए सूचना केन्द्र एवं वाचनालय भी स्थापित करता है।

9. Circulating libraries of suitable films should be maintained by the States. Each S. E. O. should have a projector and a regular flow of films and know how to operate a projector. Subsidised radio sets should be provided to the villagers.

राज्य सरकार के आधीन एक चल चित्रालय कार्य कर रहा है जो अपने चलचित्रवाहनों द्वारा विभिन्न शिक्षा संस्थाओं एवं ग्रामों में समाज शिक्षा के प्रसार के लिए "फिल्म शो" देता है। प्रत्येक नियमित विकास खण्ड में जनरेटर एवं प्रोजेक्टर खरीदने की व्यवस्था पंचायत समिति कर रही है। समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी को उसके प्रशिक्षण काल में प्रोजेक्टर चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। रेडियो खरीदने के लिए भी ग्रामों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।

10. The period of training should be extended to one year.

समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी का प्रशिक्षण का काल ५ माह का है और महिला समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी का प्रशिक्षण काल साढे दस महीने का है।

11. S. E. Os. should get good grounding in the art of community organisation.

समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी को समुदाय संगठन के बारे में प्रशिक्षण–काल में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

सूची "ग"

व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि कराने हेतु जानकारी कराये जाने वाले विषयों की सूची

पाठयक्रमः—भाषा (हिन्दी) ।

द्वितीय कक्षा की पाठ्य पुस्तक को सहज ही में पढ़ने की योग्यता मोटे २ अक्षरों में छपे हुए मीत पत्र एवं परचों का पढ़ने का अभ्यास साधारण पत्रों को लिख लेना एवं पते कर देना, मनीआर्डर फार्म भर लेना और ले लेना तथा सुलेखा का अभ्यास ।

राष्ट्रगीत एवं अपनी अपाठ्य पुस्तक की चुनी हुई कविताओं को कण्ठस्थ कर सुनाना ।

गणितः—(१) १०० तक की गिनती बोलना व लिखना ।

(२) तीन अंकों की संख्याओं के जोड़, बाकी तथा २ अंकों के गुणा व भाग ।

(३) चालू नए सिक्कों तथा माप तोल का ज्ञान ।

सामान्य ज्ञानः—स्वास्थ्य ठीक रखने के साधारण नियम, जीवन में स्वच्छता का महत्व, तथा मलेरिया बुखार, चेचक, हैजा, मोतीजरा (टाईफॉइड), आंख दुखना, खांसी, फोड़े, फुन्सी आदि स्थानीय मुख्य २ प्रचलित बीमारियों के कारण और उनके रोक थाम व बचने के उपायों की जानकारी निरोग गांव, हमारे अस्पताल, शराब, अफीम आदि नशीली वस्तुओं के उपयोग से हानियां ।

सामाजिक ज्ञानः—नियमितता, समय पालन, जन जीवन में कतार का महत्व, जन सरकार का अर्थ वोट के अधिकार एवं जिम्मेदारी का ज्ञान और इससे व्यक्तिगत सम्बन्ध । राष्ट्रीय दृष्टिकोण हमारे संविधान की मुख्य २ बातें हमारा शासन पंचायत । पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अर्थ की जानकारी, सामाजिक कुरीतियों से हानियां ।

इतिहास एवं भूगोलः—हमारे राज्य एवं देश के प्रमुख व्यक्तियों एवं घटनाओं को कथाएं । हमारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भारतीय इतिहास में । हमारे तथा दूसरे देशों में खेती के ढंग, जल भूमि का कटना, वन, सिंचाई की योजनाएं, सहकारिता दैनिक जीवन में अपनाये जा सकने वाले गृह उद्योग तथा काम आने वाले खनिज पदार्थ के बारे में जानकारी अपने जिला एवं प्रान्त के भूगोल का साधारण ज्ञान ।

(१) सूती कपड़ा ।

(२) रेशमी कपड़ा।

(३) ऊनी कपड़ा।

(४) कागज़।

(५) रेलगाड़ी

(६) समुद्री जहाज।

(७) पेट्रोल।

(८) हमारे युद्ध।

(९) समाचार पत्र।

(१०) डाकखाना।

(११) रेडियो।

(१२) यातायात।

(१३) पशुओं की अच्छी नस्लें।

(१४) पशुओं की मुख्य २ बीमारियां एवं उनके इलाज।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर देखिये)

प्रशासकीय व्यवस्था में काम करने वाली नगरपालिकाओं की जिलेवार सूची

नाम जिला	नाम नगरपालिका
अजमेर	अजमेर
जयपुर	जयपुर
झूंझुनू	सूरजगढ़
टोंक	टोंक
	उनियारा
	देवली
भरतपुर	बयाना
	कामां
गंगानगर	गंगानगर
	करनपुर
	हनुमानगढ़
पाली	पाली
जोधपुर	डीडवाना
सिरोही	मान्उट आबू
उदयपुर	नाथद्वारा
कोटा	कोटा

चुनाव कराये गये नगरपालिकाओं की जिलेवार सूची

नाम जिला	नाम नगरपालिका
जयपुर	कोटपुतली
	फुलेरा
	जोबनेर
सवाईमाधोपुर	गंगापुर
	टोडाभीम
टोंक	मालपुरा
भरतपुर	भरतपुर
चुरू	सुजानगढ़
जोधपुर	मकराना
जालोर	भीनमाल
उदयपुर	भिन्डर
भीलवाड़ा	गंगापुर
कोटा	छबड़ा

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, ९ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२५४	१	सदन क	सदन की
,,	१४	बारे अभी में	बारे में अभी
,,	अन्तिम से ३	करने	करके
१२५५	१	फाइनम	फाइनल
,,	१८	यह है सही	यह सही है
१२५८	७	मैं नहीं	में नहीं
,,	१५	बीमरी	बीमारी
१२५९	१	मजिस्ट्रट	मजिस्ट्रेट
१२६०	५	लिखा हैं	लिखा है
,,	अन्तिम से २	सबकी	सबको
१२६२	२३	वहा	वहीं
१२६४	२०	के	की
१२६६	३	सख्या	संख्या
१२७५	अन्तिम	कितने	कितनी
१२७६	१४	आ. ए. सी.	आर. ए. सी.
,,	२६	पीने की पानी के	पीने के पानी की
१२७९	१३	अनिधिकृत	अनधिकृत
१२८२	२०	भैरवलाल	श्री भैरवलाल
१२८६	१८	heve not	have not
,,	३	in the the	in the
१२९१	१	प्रदर्शम	प्रदर्शन
१२९५	९	सुलाड़िया	सुलाखिया
१३०३	१४	गया, "कि जयपुर	गया है कि "जयपुर
१३०६	३	सतिति	समिति
१३०६	अन्तिम से ४	निष्क्रांन्त	निष्क्रान्त
१३०७-२५	शीर्षक	(पृथकरण)	(पृथक्करण)
१३०९	२३	हाइपोथेटिकल	हाइपोथेटिकल
१३१०	२२	डेफो मेट	डेफीनिट
१३११	१०	करता है।	करती है।

१	२	३	४
१३१५	६–१०	महोजय	महोदय
१३२१	अन्तिम पंक्ति	काई	कोई
१३२२	६	ऑडिनेन्स	ऑर्डिनेन्स
,,	अन्तिम पंक्ति	फोर्स नहीं	फोर्स में नहीं
१३२७	शीर्षक	१२२७	१३२७
,,	,,	हित विधेयक	हित (पृथक्करण) विधेयक
,,	१६	विचारर्थ	विचारार्थ
१३३६	शीर्षक	(वधकरण)	(वैधकरण)
१३४१	२१	फि हम	कि हम
,,	२३	विभाग एक एक की बात को	विभाग की एक एक बात को
१३४२	१	आश्वसन	आवश्वासन
१३४४	१५	वादवि–वाद	वाद-विवाद
,,	२०	सिलेक्ट में	सिलेक्ट कमेटी में
१३४५	१३	हाईकोट हमारे	हाईकोर्ट हमारे
१३४६	५	सुलाखिय	सुलाखिया
१३४८	२	मवन	भवन
,,	८	सुधर	सुधर,
,,	२८	धारणा होनी	धारा होनी
,,	अन्तिम से४	वेतन मिलना	वेतन मिलता
१३५०	१२	वे प्रकार	वे इस प्रकार
१३५१	६	गये है,	गये हैं,
१३५३	शीर्षक	म्पुनिसिपल	म्युनिसिपल
,,	३	मानीनय	माननीय
१३५६	१–२	Speaker. All	Speaker, all
,,	२०	repuesting	requesting
१३६०	२०	बोई लॉज़	बाई लॉज़
१३६१ व ६३	शीर्ष	तंवार	पंवार
१३६४	१७	जजेद	जजेज़
,,	अन्तिम	सेक्रेट	सेक्रेड
१३६५	३	सिक्रेट	सेक्रेड
१३६७	२३	कारण, जो	कारण जो
,,	२४	प्रक्रिया की,	प्रक्रिया की
,,	२५	लगावे गये	लगाये गये
१३७०	१६	फैसल में	फैसले में

१	२	३	४
१३७२	शीर्षक	(वैधरकण)	(वैधकरण)
,,	१६	जनतत्र कि हत्या	जनतंत्र की हत्या
१३७३	शीर्षक	अग्रवाल)	अग्रवाल)
,,	१४ वीं पंक्ति के नीचे	—	(१.०० म. प.)
,,	२६	जसृन से	सृजन से
१३७४	११	म्युनिपैसिलिटीज़	म्युनिसिपैलिटीज़
,,	१२	यड़ो है	पड़ी है
,,	अन्तिम से ६	Impose	impose
,,	अन्तिम से ४	texes..."	taxes..."
१३८०	२२	undestand my	understand my
१३८५	८	है। कि	है कि
१३९०	२१	आर इसके	और इसको
१३९१	२	ओंर से	ओर से
१३९६	५	तीज मुद्दे	तीन मुद्दे
,,	२१	भाषण मे	भाषण में
१३९९	१७	कन्विंस करन	कन्विन्स करने
१४०१	१	स्वाल है	सवाल है
,,	६	वेलिडेएशन	वेलिडेशन
,,	२३	स्वमखाह्	ख्वाम ख्वाह्
१४०२	५	को ह	का हम
,,	अन्तिम से ४	(सशोधन)	(संशोधन)
१४०६	२	टेम्पोररी	टेम्पोरेरी
१४१७	८	was a nnounced	was announced
१४१८	१७	(छावड़ा)	(छबड़ा)
१४१९	११	मोगेर्टटीज़	मोर्टगेजीज़
१४२१	९	श्री भैरोंसंह	श्री भैरोंसिंह
१४२४	२२	sub-sectian	sub-section
१४२५	३	मोटगेज डीड	मोर्टगेज डीड
१४२६	१	फ्रोज्योलोजी	फ्रेज़्योलोजी
१४२७	६	देचाले	दाता ले
१४२८	१६-१७	एक्सर्टिग्विस	एक्जर्टिग्विश
१४३४	शीर्षक	। (संशोधन)	(संशोधन)
१४३९	१०	mane.	made.

१	२	३	४
१४४२	२४	अर्त-टू-डेट	आप-टु-डेड
,,	अन्तिम से २	अ-टू-डेट	,,
१४४५	शीर्षक	मांग संख्या ६८—मुख्य	टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक
१४४८	शीर्षक	वित्ता मन्त्री	वित्त मन्त्री
,,	२	निमाण	निर्माण
१४५४	५	(डप्रिसियेशन	(डेप्रिसियेशन
१४५५	६	रूपरे-रेखा	रूप-रेखा
१४५६	१२	३१, दिसम्बर १९६०	३१ दिसम्बर, १९६०
१४६२	१३	उह मद	उस मद
,,	१७	होगी जबकि	होगी जब कि
१४६५	४	थे हटा	थे, हटा
१४६६	१६	सैना के	सेना के
१४७०	१५	था आमदनी	था पर आमदनी
१४७१	६—७	(रेनेशलाइजेशन)	(रेशनलाइज़ेशन)
,,	अन्तिम	फे पद	के पद
१४७५	अन्तिम से २	सरकार पावना	सरकारी पावना
१४७७	पंक्ति ७ के नीचे	—	राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापन)
१४८९	पंक्ति ६ कॉलम ५	Surgical	Surgical Suppliers
१४९१	६	the Helath	the Health
,,	२४	dissen carllier... ...pointof veiwthat	dissent earlier... point of view that
१४९२	१४	by early	early by
१५०२	पंक्ति १८ कॉलम २	मान्उट आबू	माउन्ट आबू

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१२७४	अन्तिम से २	अध्यक्षपीठ के	XXXXअध्यक्ष पीठ के
१२७५	१	गुष्ता	गुप्ता
१३३७	शीर्ष	श्ची	श्री
१३७६	शीर्षक	विधेयक, १६५१	विधेयक, १६६१
१३६२	१४	श्री उपाध्याय	श्री उपाध्यक्ष
१४०१-२	शीर्षक	६ मार्च, ५१	६ मार्च, ६१
१४५०	शीर्षक	वित्त नंत्री	वित्त मंत्री
शुद्धि पत्र का पेज ३	कॉलम ३ पंक्ति १	(वैधरकण)	(वैधकरण)
शुद्धि पत्र पृष्ठ २	पंक्ति ११	आवश्वासन	आश्वासन
शुद्धि पत्र का पेज ४	कॉलम ४ पंक्ति १	आप-टु-डेड	अप-टु-डेट